सिडबी

वृद्धिशील क्लस्टर

भारत के एमएसएमई की संभावनाओं को करें साकार

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 (भाग-I)

विषय

01
कॉर्पोरेट अवलोकन

01 प्रमुख कॉर्पोरेट जानकारी
04 सिडबी एमएसएमई को समझता है
06 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य
10 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - संभावना

14
संमविधिक रिपोर्ट

14 वार्षिक सामान्य बैठक का नोटिस
24 निदेशकों की रिपोर्ट
27 व्यवसाय निष्पादन
52 नैगम अभिशासन रिपोर्ट
70 अनुलग्नक I
74 अनुलग्नक II
79 अनुलग्नक III
80 अनुलग्नक IV
85 अनुलग्नक V

इस रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ें या डाउनलोड करें
www.sidbi.in

प्रमुख कॉर्पोरेट जानकारी

यथा मार्च 31, 2025 को निदेशक मंडल

श्री मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक/
कार्यपालक निदेशक

श्री प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक/
कार्यपालक निदेशक

डॉ. रजनीश
गैर-कार्यपालक निदेशक /
सरकार के नामिती

श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन
गैर-कार्यपालक निदेशक / सरकार के
नामिती

श्री अनिंद्य सुंदर पॉल
गैर-कार्यपालक निदेशक/शेयरधारक
(एसबीआई नामिती) निदेशक

श्री लक्ष्मी चंद मीना
गैर-कार्यपालक निदेशक/शेयरधारक
(एलआईसी नामिती) निदेशक

श्री मणिकुमार एस.
गैर-कार्यपालक निदेशक/शेयरधारक
(नाबार्ड नामिती) निदेशक

श्री अमित टंडन
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र
निदेशक

श्री जितेन्द्र कालरा
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
गैर-कार्यपालक निदेशक /
स्वतंत्र निदेशक

सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल
गैर-कार्यपालक निदेशक /
स्वतंत्र निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्रीमती यलंगी मुन्नी कुमारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री संजय जैन	मुख्य जोखिम अधिकारी
श्री संजय नारायण सिंह	मुख्य अनुपालन अधिकारी
श्रीमती यलंगी मुन्नी कुमारी	प्रमुख, लेखापरीक्षा उद्भाग
श्री पंकज कुमार साहु	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

प्रधान कार्यालय:

सिडबी टॉवर 15 - अशोक मार्ग, लखनऊ-226001.
एलईआई: 3358003NTGA2D7D31E14; **सीआईएन:** लागू नहीं

मुंबई कार्यालय:

स्वावलंबन भवन, प्लॉट नंबर सी -11, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

कॉर्पोरेट वेबसाइट: www.sidbi.in

ईमेल: compliance_officer@sidbi.in, erdav@sidbi.in

निक्षेपागार: नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड

सांविधिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स (एफआरएन: 118769W)
पता: 504, रेनबो चैम्बर्स, एस वी रोड, एमटीएनएल एक्सचेंज के निकट, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र - 400067

सचिवीय लेखापरीक्षक:

मैसर्स दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स (एफसीएस: 5652)
पता: ए-603, मारुति भुवन, पारसी पंचायत रोड, सोना उद्योग इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400069

बैंकर:

- भारतीय स्टेट बैंक
- पंजाब नैशनल बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
- केनरा बैंक लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- कर्नाटक बैंक
- साउथ इंडियन बैंक
- यूको बैंक
- एक्ज़िम बैंक

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता: सी -101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400083; दूरभाष: 022-49186000;
फैक्स : 022-49186060,
वेबसाइट: www.in.mpms.mufg.com

डिबेंचर ट्रस्टी:

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल,
122 दिनशॉं वाछा रोड, चर्चगेट
मुंबई - 400 020
संपर्क: श्री अर्धेन्दु मुखोपाध्याय
फोन : (91) (22) 4325555
ईमेल: dt@sbicaptrustee.com
वेबसाइट: www.sbicaptrustee.com

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड (आईटीएसएल)
एशियन बिल्डिंग, भूमि तल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,
संपर्क: श्री रितोब्रत मित्रा
फोन (सीधा) +91 22 4080 7023
मोबाइल: +91 98922 58709
फैक्स: +91 022 6631 1776
ईमेल: iitl@idbitrustee.com;
response@idbitrustee.com
वेबसाइट: www.idbitrustee.com

सिडबी की समूह संरचना यथा मार्च 31, 2025

क. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाएं

- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)
- सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)
- सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

ख. सहयोगी संस्थाएँ

- एक्युटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्युटे) (पूर्ववर्ती स्मेरा) (35.73% शेयरधारिता)
- इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क) (15% शेयरधारिता) (अब निर्निहित)
- रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (30% शेयरधारिता)
- इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड (आईएसटीएसएल) (22.73% शेयरधारिता)
- ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड (6.55% शेयरधारिता)

इसके अतिरिक्त, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुपालन में प्रकट किया जाना अपेक्षित है, सिडबी की 10% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले संगठन (उपर्युक्त संगठनों के अतिरिक्त) निम्नलिखित हैं:

- बिहार राज्य वित्तीय निगम (48.43% शेयरधारिता)
- दिल्ली राज्य वित्तीय निगम (23.66% शेयरधारिता)
- गुजरात राज्य वित्तीय निगम (28.41% शेयरधारिता)
- महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (39.99% शेयरधारिता)
- पंजाब राज्य वित्तीय निगम (25.92% शेयरधारिता)
- उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (24.18% शेयरधारिता)
- कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (20% शेयरधारिता)
- किटको लिमिटेड (49.77% शेयरधारिता)
- बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड (49.25% शेयरधारिता)
- राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- राजस्थान ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- हैदराबाद इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेंचर इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- साइबराबाद ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (24.50% शेयरधारिता)
- आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम (14.02% शेयरधारिता)
- ओडिशा वित्त निगम (15.31% शेयरधारिता)
- राजस्थान वित्त निगम (19.90% शेयरधारिता)
- पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (10% शेयरधारिता)
- हार्डिकॉन लि. (12.5% शेयरधारिता)
- हिमाचल परामर्श संगठन लि. (14.78% शेयरधारिता)
- राजस्थान परामर्श संगठन लि. (12% शेयरधारिता)
- निटकॉन लि. (14.26% शेयरधारिता)
- गुजरात औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लि. (12.5% शेयरधारिता)
- जेकिटको लि. (11.65% शेयरधारिता)

ग. सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन -

धारा 8 कंपनी, गारंटी द्वारा लिमिटेड

घ. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित ट्रस्ट)

सिडबी एमएसएमई को समझता है

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को हुई। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है।

ध्येय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पूंजी तक पहुंच सुगम बनाना और उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना, ताकि भारतीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ उनका गहन एकीकरण हो सके।

दर्शन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जीवन चक्र के सभी चरणों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में उभरना।

सिडबी - आँकड़े

वित्तीय मैट्रिक्स	मानव पूंजी	भौतिक मौजूदगी
₹5,68,239 करोड़ आस्तियाँ	**1,091** कर्मचारी आधार	**127** शाखा कार्यालय
₹4,811 करोड़ शुद्ध लाभ	**₹4.40 करोड़** प्रति कर्मचारी लाभ	**15** क्षेत्रीय कार्यालय
₹4,96,282 करोड़ ऋण और अग्रिम	**1,989** प्रशिक्षण नामांकन	
0.04% सकल एनपीए		

संस्थागत वित्त:
वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं को पुनर्वित्त

प्रत्यक्ष वित्त:
शाखा नेटवर्क और साझेदार मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण

इक्विटी/उद्यम पूँजी:
इक्विटी और उद्यम ऋण के माध्यम से स्टार्टअप् इकाइयों को वित्तीय सहायता

क्लस्टर विकास:
सिडबी क्लस्टर विकास निधि के माध्यम से राज्यों में बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण

पारितंत्र विकास:
प्रभाव परियोजनाओं के माध्यम से नवोन्मेष और विकास में अग्रणी

नीति पक्षपोषण:
डेटा आधारित जानकारी और नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से सूचना विषमता को दूर करना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी चुनौतियों के बावजूद स्वस्थ जीडीपी वृद्धि दर का अनुभव कर रही है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र एक प्रमुख इंजन है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% की प्रभावशाली वास्तविक वृद्धि हासिल की है, जो वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन है। जोरदार कृषि उत्पादन, ग्रामीण मांग में सशक्त सुधार और सरकार के निरंतर पूंजीगत व्यय ने एक चुनौतीपूर्ण और गतिशील वैश्विक वातावरण के बीच भी इस सकारात्मक गति को संभव बनाया है। वित्त वर्ष 2025 की समाप्ति पर यद्यपि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण व्यापारिक तनाव, टैरिफ अनिश्चितताओं और जारी भू-राजनीतिक कारकों से निर्मित था, तथापि भारत की आर्थिक समुत्थानशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विश्व बैंक की "ग्लोबल इकनॉमिक प्रोस्पैक्ट्स" (जून 2025) के अनुसार, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2024 के 2.8% की तुलना में 2025 में और मामूली 2.3% रहने और वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में वृद्धि 3.4% से घटकर 1.8% रहने का अनुमान है, लेकिन भारत का प्रदर्शन स्थिरता और संभावना का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है और जटिल दुनिया में इसकी बढ़ती ताकत और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है।

भारत जैसे बड़ी कार्यशील जनसंख्या वाले देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपनी रोजगार सृजन क्षमता के फलस्वरूप वृद्धि और विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई योगदान करते हैं, 27 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और निर्यात में लगभग आधा हिस्सा उनका है। उनका प्रभाव पारंपरिक उद्योगों और डीप टेक, एग्रीटेक, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे उभरते उद्योगों, दोनों में मूल्य सृजित करने वाले क्षेत्रों के एक विस्तृत दायरे में फैला हुआ है। क्षेत्रगत विविधता और जमीनी स्तर की नवोन्मेष क्षमता के फलस्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विभिन्न संकेतक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूल आर्थिक परिवेश की ओर इशारा करते हैं। मार्च 2025 में सिडबी के त्रैमासिक एमएसएमई आउटलुक सर्वेक्षण ने वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य के बारे में एमएसएमई क्षेत्र के आशावाद को रेखांकित किया। आगे एक वर्ष की उम्मीदें भी पर्याप्त आशावादी हैं और वैश्विक मोर्चे पर अनिश्चितता के बीच एक स्थिर कारोबारी माहौल और भारत सरकार से निरंतर नीतिगत समर्थन की उम्मीद को रेखांकित करती हैं। ऋण के मोर्चे पर देखें, तो वित्त वर्ष 2025 में बैंकों द्वारा प्रदत्त सकल अग्रिम में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋण में 14.7 प्रतिशत की बेहतर वृद्धि दर्ज की गई और इससे एमएसएमई के बीच वित्तीय समावेशन को बल मिला। वित्तीय वर्ष 2025 में ऋण में जोरदार वृद्धि हुई और चूक 1.79% के निम्न स्तर पर रही, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के लिए बेहतर ऋण परिदृश्य का संकेत मिलता है। तथापि, सिडबी की हाल ही में जारी रिपोर्ट "अंडरस्टैंडिंग इंडियन एमएसएमई सेक्टर - प्रोग्रेस एंड चैलेंजेज" में दर्शाए गए अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में 30 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित ऋण अंतराल है, जिसे देखते हुए इस क्षेत्र को पर्याप्त ऋण पहुंच प्रदान करने का कार्य अभी अधूरा है।

भारत जैसे बड़ी कार्यशील जनसंख्या वाले देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपनी रोजगार सृजन क्षमता के फलस्वरूप वृद्धि और विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विकास के इंजन के रूप में स्थापित करना

सिडबी ने अभिनव प्रयासों के व्यापक समुच्चय के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की सेवा करना जारी रखा है। आर्थिक विकास में एमएसएमई की बढ़ती हुई भूमिका और मूल्य श्रृंखलाओं में उनकी एकीकृत उपस्थिति के मद्देनजर बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे सिडबी पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वह एमएसएमई क्षेत्र को वृद्धि पथ पर बढ़ने और और वित्त तक पहुंच, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, संधारणीय वित्त जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करे। सिडबी यह भी स्वीकार करता है कि भारत सरकार के विभिन्न नीतिगत उपायों जैसे कुल कारोबार और निवेश की सीमा में वृद्धि, ऋण गारंटी कवरेज में वृद्धि, डिजिटल ऋण देने पर बल आदि का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसने एमएसएमई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में योगदान किया है।

सिडबी का कार्यनिष्पादन: एमएसएमई क्षेत्र पर सार्थक प्रभाव

एमएसएमई क्षेत्र उत्तरोत्तर विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तदनुरूप ही आपके बैंक ने भी प्रगति करते हुए नई ऊँचाइयों को छुआ है और वित्त वर्ष 2025 में इसका निवल लाभ ₹ 4,811 करोड़ रहा, जो 19.5% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाता है। बैंक के ऋण और अग्रिम वित्त वर्ष 2025 में ₹ 4.96 लाख करोड़ रुपये को पार कर गए, जबकि सकल एनपीए 0.04 प्रतिशत थे, जो नगण्य हैं और ऋण संविभाग के अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाते हैं।

वर्ष के दौरान, प्रत्यक्ष सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सिडबी ने अपने प्रत्यक्ष ऋण परिचालनों को बढ़ाया। उधारकर्ताओं के वृहत्तर वर्ग तक पहुंचने के प्रयास में, बैंक ने त्रिआयामी रणनीति अपनाई - पहला, शाखा नेटवर्क का विस्तार, जिसके अंतर्गत 26 नए शाखा कार्यालय खोले गए, विशेषकर उन स्थानों पर जहां उच्चतर प्रभाव पैदा किया जा सकता है; दूसरा, विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से ग्राहक पहुंच का विस्तार; और अंतिम, एमएसएमई क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पादों की पेशकश। हमने अपनी ऋण हामीदारी प्रक्रिया के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया है ताकि कम समय लेते हुए तेजी से डिजिटल ऋण संभव हो सके। इन उपायों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष ऋण परिचालन में वर्षानुवर्ष 41 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई और बकाया ₹ 37,781 करोड़ रुपये के उत्कृष्ट आंकड़े तक पहुंच गया।

[1] आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
[2] एमएसएमई पल्स

2.78 करोड़

आईएम को यूएपी के माध्यम से पंजीकृत किया गया है

₹3 लाख करोड़

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सीजीटीएमएसई ऋण की पहुँच

सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है, जिसके अंतर्गत अभिनव डिजिटल प्रयासों के माध्यम से ऋण पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जीएसटी सहाय ऐप ने कागजरहित, बीजक आधारित ऋण को संभव बनाया है और वित्त वर्ष 2025 में ₹1,750 ग्राहकों के लिए ₹15,000 से अधिक बीजकों का वित्तपोषण किया है। नए डिजिटल ऋण उत्पादों के अंतर्गत अब निर्बाध अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं, जबकि एक्सप्रेस ऋण उत्पाद तेजी से प्रसंस्करण के लिए स्वचालित मूल्यांकन का उपयोग करता है।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय के साथ मिलकर सिडबी द्वारा शुरू किया गया उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) इस क्षेत्र के औपचारीकरण को निरंतर गति दे रहा है, जिसके तहत विशेष रूप से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक व्यावसायिक पहचान प्रदान की जा रही है और समावेशी वित्त की नींव रखी जा रही है। यह जानना उत्साहजनक है कि उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ₹2.7 करोड़ से अधिक अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम पंजीकृत किए गए हैं, जिसका संभावित लाभप्रद उपयोग इस क्षेत्र के लिए ऋण वितरण और अन्य सरकारी सहायता/लाभ के अंतरण को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। सिडबी इस समय उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को डिजिटल ऋण देने के लिए एक ऋण मार्केटप्लेस की संकल्पना तैयार कर उसे प्रायोगिक आधार पर लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसके अंतर्गत वैकल्पिक डेटा, अभिनव फिनटेक समाधानों और क्षेत्र-स्तरीय जुड़ाव का लाभप्रद उपयोग होगा और अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को ऋण वितरण की लागत में कमी आएगी।

सिडबी ने एमएसएमई अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाया है, जिसमें क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझेदारी में प्राथमिक सर्वेक्षण और ऋण अंतर्दृष्टि शामिल है।

पारितंत्र का विकास: वित्त से परे

वित्तीय सहायता प्रदाता होने के साथ-साथ, आपके बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की गैर-वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विभिन्न संवर्द्धनशील और विकासपरक प्रयासों का विस्तार किया। सिडबी ने पूरे भारत में उद्योग समूहों (क्लस्टरों) में उद्योग संघों के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है - उद्योग संघों को सशक्त बनाना, ताकि वे अपने सदस्य एमएसएमई की वित्तीय और गैर-वित्तीय जरूरतों को समझकर उन्हें बेहतर सेवाएं दे सकें, उद्योग संघों के अभिशासन को मजबूत करना और इन संघों के लिए राजस्व का सतत प्रवाह तैयार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

सिडबी एमएसएमई सूचना अंतराल का समाधान कर रहा है, जिसके लिए सर्वेक्षण और जानकारीपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही हैं, जो एमएसएमई क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण और ऋण अंतराल का अनुमान प्रदान करती हैं। बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र की धारणा और कार्यनिष्पादन को ट्रैक करने के लिए दिसंबर 2024 से तिमाही एमएसएमई धारणा सूचकांकों - एमएसएमई बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स और एमएसएमई बिजनेस एक्सपेक्टेशन्स इंडेक्स - की भी शुरूआत की। इसके अतिरिक्त, प्रमुख एमएसएमई रुझानों को उजागर करने के लिए, उद्योग साझेदारों के सहयोग से सिडबी द्वारा एमएसएमई पल्स और माइक्रोफाइनेंस पल्स का प्रकाशन जारी है।

सिडबी के पास सहायक संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं का एक विस्तृत नेटवर्क भी है। ये संस्थाएँ एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रही हैं। यहाँ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) का उल्लेख करना आवश्यक है, जो चालू वर्ष में अपनी रजत जयंती मना रहा है। सीजीटीएमएसई ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों की ऋण पहुंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और वित्त वर्ष 2025 में ₹ 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि की 27 लाख से अधिक गारंटियों को मंजूरी दी है, जिससे संचयी गारंटियों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, जिनकी कुल राशि ₹ 9.34 लाख करोड़ रुपये है। इन गारंटियों ने 3 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन संभव बनाया है। गारंटी कवरेज की सीमा ₹ 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ₹ 10 करोड़ रुपये कर दिए जाने और ₹ 1 करोड़ रुपये से अधिक से ₹ 5 करोड़ रुपये तक की गारंटी के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क कम कर दिए जाने के पश्चात आशा की जाती है कि सीजीटीएमएसई का कार्यनिष्पादन नई ऊँचाइयों का स्पर्श करेगा।

यहाँ रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) का भी उल्लेख आवश्यक है, जो सिडबी द्वारा स्थापित एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है और एमएसएमई की व्यापार प्राप्यराशियों, विशेषकर बड़े कॉरपोरेट्स से प्राप्यराशियों, का वित्तपोषण करके नकदी प्रवाह के मुद्दों का समाधान करता है। आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म से अब तक 40,000 से अधिक एमएसएमई जुड़े है और इसके जरिए लगभग 80 लाख बीजकों को वित्तपोषण किया गया है, जिनका मूल्य ₹ 175,000 करोड़ से अधिक है। ट्रेड्स योजना के प्रभाव का परीक्षण करने वाले एक अध्ययन ने इस बात को रेखांकित किया है कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जुड़े एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के प्राप्यराशि चक्र में 23% की कमी आई, विशेषकर वित्तीय रूप से अल्प विकसित राज्यों में। विश्लेषण से यह भी उजागर हुआ कि कार्यशील पूँजी उपलब्धता में सुधार के फलस्वरूप एमएसएमई अपने परिचालनों का विस्तार तथा अपनी उत्पादकता में सुधार करने में समर्थ हैं।

भावी मार्ग

व्यापक नीतिगत प्रयासों और बेहतर ऋण प्रवाह ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता आ रही है और सरकार स्वदेशीकरण पर जोर दे रही है, जिससे एमएसएमई के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। आगे की चुनौतियों में ऋण पहुंच का विस्तार करना, कार्यबल का कौशल उन्नयन करना और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। हरित ऊर्जा और स्वच्छ उत्पादन कार्यप्रणाली को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने से एमएसएमई क्षेत्र के लिए व्यवसाय के अवसर पैदा हो रहे हैं। विस्तारित परिभाषाओं और सरकार के सहयोग के फलस्वरूप, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अब वैश्विक प्रभाव पैदा करने के लिए तैयार हैं। आगे चलकर, सिडबी की अपने शाखा नेटवर्क का और विस्तार करने की योजना है, ताकि ऋण तथा सहायता सेवाओं तक एमएसएमई की अधिक पहुंच संभव हो सके। आपके बैंक का यह प्रयास भी होगा कि उद्योग संघ विकास पहल के अंतर्गत उद्योग संघों के नेटवर्क का लाभ उठाते हुए समुत्थानशील एमएसएमई पारितंत्र के विकास का पोषण किया जाए। सिडबी के विकासपरक प्रयास प्रभाव-उन्मुख दृष्टिकोण से निर्देशित होंगे, जो उद्यम सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मापनीय परिणाम सुनिश्चित करेंगे। बैंक वित्तीय, विकासपरक और नीतिगत प्रयासों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम खुद को बड़े पैमाने पर ले जा सकेंगे और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - संभावना

भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, 6.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण ताकत और समुत्थानशीलता प्रदान करता है। यह क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार, विनिर्माण और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करता है। एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक तिहाई योगदान करते हैं और 28 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, जो राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

[1] उद्यम पोर्टल

एमएसएमई अर्थव्यवस्था में दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक ओर वे विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों का आधार है, तो दूसरी ओर वे स्टार्टअप इकाइयों के माध्यम से नवोन्मेष का नेतृत्व कर रहे हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प और ग्राम स्तर के उद्यम अधिकांश कार्यबल को टिकाऊ आजीविका प्रदान करके प्रासंगिक बने रहेंगे। विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयासों के जरिए ऐसे उद्यमों के लिए बाजार का विस्तार करने की आवश्यकता है। रक्षा, औषधि निर्माण, वाहन पुर्जे, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और डीप टैक उद्योगों के साथ-साथ श्रम-गहन उद्योग यथा - चमड़ा, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई क्षेत्र एमएसएमई की वृद्धि को गति दे सकते हैं और सरकार के नीतिगत प्रयासों के सहयोग से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

भारत के जीडीपी में एमएसएमई के सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा

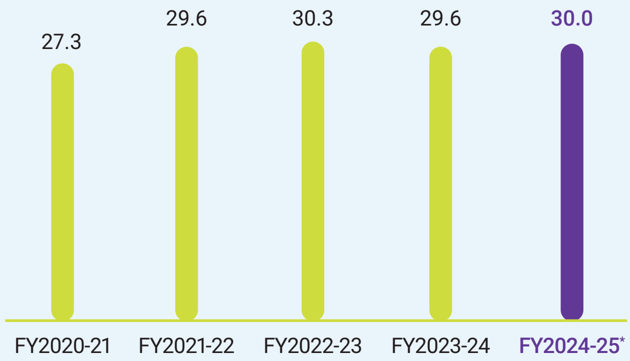

सिडबी का अनुमान

भारत के जीवंत एमएसएमई क्षेत्र में छोटे अनौपचारिक उद्यमों से लेकर परिष्कृत प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप तक संस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। औपचारिक अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के एकीकरण को संभव करने के लिए, भारत सरकार ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। यह प्लेटफॉर्म अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिकता के दायरे में लाता है और इस प्रकार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसे लाभों तक उनकी पहुंच को संभव बनाता है। इस पहल की सफलता उद्यम असिस्ट के परिचालन के लगभग ढाई वर्षों में 2.7 करोड़ से अधिक अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (जून 2025 तक) के उच्च पंजीकरण से देखी जा सकती है।

भारत में एक और उल्लेखनीय यात्रा स्टार्टअप की रही है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र है, जिसमें 1.57 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें 51 प्रतिशत से अधिक टियर II/III शहरों से उभर रहे हैं और 17 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। स्टार्टअप पारितंत्र की सफलता का श्रेय संकेंद्रित नीतिगत प्रयासों को दिया जा सकता है, जैसे - सिडबी द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस) योजना, नीति आयोग का अटल इन्नोवेशन मिशन (एआईएम), भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) आदि।

कार्यनिष्पादन के मोर्चे पर, सिडबी एमएसएमई आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने टैरिफ लगाने के बारे में बढ़ती अनिश्चितता के बावजूद वर्तमान आर्थिक परिवेश में व्यावसायिक कार्यनिष्पादन के बारे में आशावादी भाव दर्शाया है। एमएसएमई बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स (एम-बीसीआई) वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के 58.30 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 60.82 हो गया। विनिर्माण, व्यापार और सेवा, तीनों क्षेत्रों के सूचकांक मूल्य में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में, पिछली तिमाही की

[2] पीआईबी

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें 1.57 लाख से ज़्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से 51% से ज़्यादा उद्यम टियर II और टियर III शहरों से आते हैं, जो सामूहिक रूप से 17 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।

तुलना में, आशावाद के स्तर में सुधार देखा गया। एक वर्ष आगे के लिए भी आशावादी संकेत हैं और एमएसएमई बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स (एम-बीईआई) वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए 60.65 है जो जरा सा ही कम है। एम-बीसीआई और एम-बीईआई प्रसार सूचकांक हैं जिनका दायरा 0 से 100 तक होता है, जहां 50 से ऊपर के स्कोर सकारात्मक भाव को दर्शाते हैं और 50 से नीचे के स्कोर नकारात्मक भाव का संकेत देते हैं। जोकाटा-सिडबी सम्पूर्ण इंडेक्स से मापी गई एमएसएमई आर्थिक गतिविधि के लिए भी वित्त वर्ष 2025 में सूचकांक 0.55 से 0.62 के दायरे में है, जो क्षेत्र की मामूली विस्तार गतिविधि को दर्शाता है।

एमएसएमई बीसीआई/बीईआई पाठ - द्वितीय चक्र
सिडबी एमएसएमई आउटलुक सर्वेक्षण

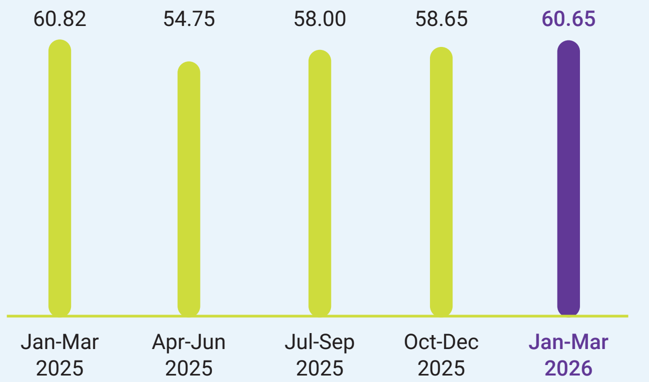

स्रोतः सिडबी एमएसएमई आउटलुक सर्वेक्षण

जोकाटा संपूर्ण सूचकांक

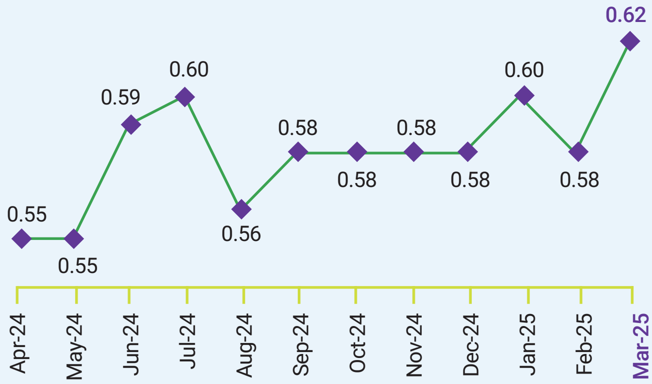

स्रोतः जोकाटा-सिडबी सम्पूर्ण

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) से एमएसएमई को ऋण प्रवाह में पिछले पांच वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यथा मार्च 2025 को एमएसएमई क्षेत्र का बकाया ऋण महामारी-पूर्व के स्तर का 2 गुना था, जो एमएसएमई क्षेत्र की अंतर्निहित विकास की गति और बेहतर ऋण जरूरत को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 में, एमएसएमई पर बकाया ऋण 14.8 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि के साथ ₹31.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, यद्यपि यह पिछले वित्त वर्ष में देखी गई उच्च वृद्धि की तुलना में नरमी को दर्शाता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त एमएसएमई ऋण में वृद्धि समग्र सकल अग्रिमों में वृद्धि (11%) से अधिक थी, जिससे यह क्षेत्र ऋणदाताओं द्वारा पसंदीदा क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के नए ऋण प्रस्तावों में न्यू टू क्रेडिट (एनटीसी) वर्ग ने 47% का महत्वपूर्ण योगदान किया है, हालांकि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के 51% की तुलना में इसमें नरमी आई। 90 दिन से अधिक की चूक की स्थिति, वित्त वर्ष 2025 के अंत में 1.79% रही, जो 5 वर्ष का निम्नतम स्तर है, और इस प्रकार एमएसएमई क्षेत्र मध्यम अवधि में टिकाऊ ऋण वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया एमएसएमई ऋण

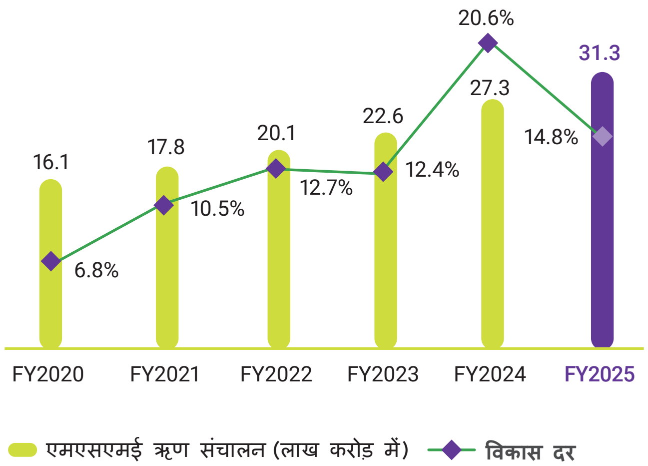

इतिशेष स्तरीय चूक

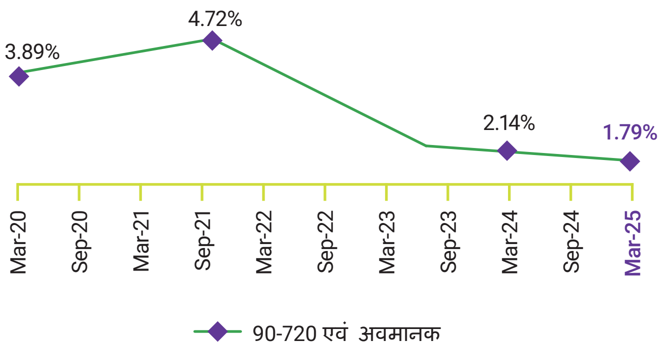

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक, सिडबी-सिबिल एमएसएमई पल्स

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तथापि एमएसएमई क्षेत्र पर सिडबी की रिपोर्ट का मोटा-मोटा अनुमान है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए ~ ₹ 30 लाख करोड़ का ऋण अंतराल है, जो कि समाधानयोग्य है। अध्ययन में आगे बताया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुंच एक प्रमुख चुनौती है (~2000 एमएसएमई के सर्वेक्षण के आधार पर)। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि सूक्ष्म उद्यम वर्ग में अनौपचारिक वित्त से उधार लेना जारी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई के लिए चुनौतियां वैश्विक मोर्चे से भी उभर रही हैं। निकट अवधि में वैश्विक वृद्धि कमजोर रहने का अनुमान है। विश्व बैंक का पूर्वानुमान है कि 2025 में यह 2.3% और 2026 में मामूली बढ़ोत्तरी के साथ 2.4% रहेगी। व्यापार और टैरिफ नीतियां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए तनाव और अनिश्चितता पैदा कर रही हैं। कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरक्षणवादी नीतियां और अन्य देशों द्वारा प्रतिशोधी टैरिफ व्यापार में बाधा डाल सकते हैं, निवेश में देरी कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और राजकोषीय नीतियों पर दबाव डाल सकते हैं। बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिम व्यापार की वस्तुओं, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा सकते हैं और मुद्रास्फीति, जो वर्तमान में नीचे स्तर पर है, पर दबाव डाल सकते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से एमएसएमई निर्यातकों की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होने की संभावना है। भारत द्वारा निकट अवधि में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिससे टैरिफ बोझ कम हो सकता है, किंतु अंतरिम अनिश्चितता चालू वर्ष में निर्यात को प्रभावित कर सकती है। परिधान, वाहन पुर्जों और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। रणनीतिक नीति और एमएसएमई निर्यातकों को पर्याप्त ऋण सहायता के साथ-साथ लक्षित बाजारों का विविधीकरण आवश्यक है, ताकि एमएसएमई क्षेत्र अनिश्चितता से निपट सके।

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक वातावरण से अछूता रहने की संभावना नहीं है, लेकिन घरेलू वृद्धि की गति वित्त वर्ष 26 में स्थिर रहने की संभावना है और अधिकांश पूर्वानुमानों में 6.3% -6.5% के बीच वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अनुकूल मानसून पूर्वानुमान, निम्न मुद्रास्फीति, घटी हुई ब्याज दरें एवं मध्यम वर्ग को कर रियायतों के फलस्वरूप खपत में स्वस्थ वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक निवेश में लगातार वृद्धि की उम्मीद है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक वृद्धि की संभावना प्रस्तुत करती है।

नीतिगत उपायों से पुष्ट संभावना

सरकार के नीतिगत प्रयास भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को सहायता देना और उसकी सतत संवृद्धि को सुगम बनाना जारी रखेंगे। एमएसएमई की सभी श्रेणियों - सूक्ष्म, लघु और मध्यम - के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ा दिया गया है। इनसे उन्हें पैमाने की उच्च दक्षताएँ और पूंजी तक बेहतर पहुंच हासिल करने में और रोजगार का सृजन करने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप इकाइयों और निर्यातकों सहित एमएसएमई उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऋण गारंटी कवर को धीरे-धीरे बढ़ाया गया है, ताकि मौजूदा ऋण अंतराल को पाटा जा सके । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2025-26 में, फुटवियर एवं चमड़ा, खिलौने और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम गहन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतिगत और सुगमता उपायों का प्रस्ताव किया गया है। पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा, नवीनतर प्रौद्योगिकियों में

[3] आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2025
[4] एमएसएमई पल्स
[5] अंडरस्टैंडिंग इंडियन एमएसएमई सेक्टर: प्रोग्रेस एंड चैलेन्जेज़

एमएसएमई की सभी श्रेणियों - सूक्ष्म, लघु और मध्यम - के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ा दिया गया है।

स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए ₹ 10,000 करोड़ रुपये के नए फंड ऑफ फंड की घोषणा की गई है।

यद्यपि वैश्विक परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, तथापि मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी कारकों, घरेलू खपत की मांग में हो रहे सुधार, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से उभरते निर्यात अवसरों, तेजी से बढ़ रहे ऋण प्रवाह और सरकार से निरंतर नीतिगत सहयोग के फलस्वरूप भारतीय एमएसएमई के लिए संभावनाएं अनुकूल बनी हुई हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी अपनी ओर से वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को अपनाने, बेहतर गुणवत्ता हेतु प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने, संधारणीयता संबंधी अभिनव प्रयास करने, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने, वित्तीय अनुशासन अपनाने और विशेष रूप से, अभिशासन और पारदर्शिता की संस्कृति विकसित करने की जरूरत होगी। स्पष्ट रूप से, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य को हासिल करने हेतु संवृद्धि के संचालक के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं।

वार्षिक सामान्य बैठक का नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के शेयरधारकों की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, 29 सितंबर 2025 को भारतीय समय के अनुसार अपराह्न 3.00 बजे बोर्ड रूम, सिडबी प्रधान कार्यालय अर्थात् सिडबी टावर, 15-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 में निम्नलिखित कामकाज के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कामकाज:

1. **मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ('सिडबी') के लेखापरीक्षित एकल और समेकित तुलनपत्र और लाभ - हानि लेखा और सिडबी के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदित करना और उसे अंगीकर करना।**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन (नों) के साथ या बिना संशोधनों के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प किया गया कि** यथा मार्च 31, 2025 को सिडबी का लेखापरीक्षित एकल और समेकित तुलनपत्र, मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु सिडबी का लाभ - हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि के लिए सिडबी के निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलनपत्र तथा लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एतद्द्वारा अंगीकृत की जाती है।"

2. **मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष (2025) के लिए सिडबी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन (नों) के साथ या बिना संशोधनों के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प किया गया कि** मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सिडबी की पूर्णतः चुकता ईक्विटी पूंजी पर रु. 2 प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाए जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि को सदस्य-रजिस्टर में हैं।"

3. **वित्त वर्ष 2026 के लिए और उसके बाद अंतरिम अवधि के लिए बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने पर विचार करना और सिडबी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन (नों) के साथ या बिना संशोधनों के **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प किया गया कि** बैंक के निदेशक मंडल को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षक सूची प्राप्त होने के बाद, मैसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्त वर्ष 2026 के लिए ऐसे पारिश्रमिक और व्यय पर बैंक का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाएँ और जिन पर बैंक और सांविधिक लेखापरीक्षक परस्पर सहमत हों।"

   यह भी संकल्प किया गया कि मैसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, जिन्हें बैंक की पिछली 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्त किया गया था, को एतद्द्वारा 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु, और यदि भारतीय रिजर्व बैंक से लेखापरीक्षकों की सूची प्राप्त होने में और विलंब हो तो बाद की तिमाहियों हेतु भी, बैंक के वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

   यह भी संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को नियुक्ति की शर्तों को अनुमोदित करने और परिवर्तित या संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना

   "**संकल्प किया गया कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62 डी (3) के परंतुक और 62एन(3) के अनुसरण में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो) की धारा 6(1) (डी) के अनुसार, श्री लक्ष्मी चंद मीना (डीआईएन:10728812) की नियुक्ति को एतद्द्वारा सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम ने 28 अक्तूबर 2024 से निदेशक नियुक्त किया था और जो रोटेशन द्वारा निवृत्ति के अधीन नहीं हैं।"

5. **निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना**

   "**संकल्प किया गया कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी (3) के परंतुक और 62एन(3) के अनुसरण में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो) की धारा 6 (1) (एफ) के परंतुक के अनुसार, श्री पी.जे. थॉमस को स्वतंत्र (सहयोजित) निदेशक के रूप में 15 नवंबर 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सहयोजित किया था। तदनुसार श्री पी.जे. थॉमस (डीआईएन: 10332033) को स्वतंत्र (सहयोजित) निदेशक के रूप में एतद्द्वारा सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

6. **निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे तो संशोधन (नों) सहित या संशोधनों के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "**संकल्प किया गया कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के 62डी (3) के परंतुक और 62एन(3) के अनुसरण में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989(इसके किसी भी संशोधन सहित, जो इस समय लागू हो) की धारा 6 (1) (एफ) के परंतुक के अनुसार, सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल को स्वतंत्र (सहयोजित) निदेशक के रूप में 14 मार्च 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सहयोजित किया था। तदनुसार सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल (डीआईएन: 01383513) को स्वतंत्र (सहयोजित) निदेशक के रूप में एतद्द्वारा सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

विशेष व्यवसाय:

7. **निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "**संकल्प किया गया कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (उसके किसी सांविधिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), परिवर्तन(नों) अथवा पुनः अधिनियमन(नों), जो इस समय लागू हो, सहित) के अनुसरण में और निदेशक मंडल की संस्तुति के आधार पर, मै. अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (फर्म यूनिक कोडः पी2003डीई49100) को एतद्द्वारा बैंक के साचिविक लेखापरीक्षक के रूप में 01 अप्रैल 2025 से मार्च 31, 2030 तक लगातार 5 वर्ष के लिए ऐसी शर्तों और पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है जिनका विवरण बैठक आहूत करने वाले नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकरण में दिया गया है।"

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए उसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया गया कि

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, समय समय पर यथासंशोधित, के विनियम 62के के प्रावधानों

(ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (जिस आगे "बैंक" कहा जाएगा) की संबद्ध पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति, और

(iii) लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन तथा निदेशक मंडल की संस्तुति के अनुसरण में और उनके अनुसार बैंक और बैंक की विशिष्ट सहायक संस्थाओं (जिनकी सूची इस संकल्प के स्पष्टीकरण कथन में दी गई है) को ऐसी संस्थाओं, जो एलओडीआर विनियमों के विनियम 2(1)(जेडसी) के अर्थ में संबद्ध पक्ष संव्यवहार हेतु अर्ह हैं, के साथ संबद्ध पक्ष संविदा(एँ)/व्यवस्था(एं)/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार हों या सब मिलाकर किए गए संव्यवहार हों या संव्यवहारों की कोई श्रृंखला हो या अन्य किसी रूप में किए गए संव्यवहार हों) करने और/या जारी रखने के लिए, बैंक के सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। ये संव्यवहार निम्नलिखित की प्रक्रिया में हो सकते हैं:

i. ऋण सुविधाएं प्रदान करना, जैसे - सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी मांग ऋण, अल्पावधि ऋण, ओवरड्राफ्ट, या किसी अन्य प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएँ और/या गारंटी, ऋण पत्र, या अन्य किसी प्रकार की गैर-निधि-आधारित सुविधाएं, ऐसी सुविधाओं के संबंध में प्राप्य ब्याज और अन्य प्रभारों सहित,

ii. सेवाओं की खरीद/बिक्री, साझा सेवाओं की खरीद/बिक्री,

iii. इक्विटी इन्फ्यूजन,

iv. ऋणों की खरीद और/या बिक्री,

v. रीपरचेज (रेपो) संव्यवहार और अन्य अनुमत अल्पावधि उधारी संव्यवहार,

vi. रिवर्स रीपरचेज (रिवर्स रेपो) संव्यवहार और अन्य अनुमत अल्पावधि ऋण संव्यवहार,

vii. विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव संव्यवहार,

viii. संबद्ध पक्षों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश,

ix. द्वितीयक बाजार में संबद्ध पक्षों से/को प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री (संबद्ध या असंबद्ध पक्षों द्वारा जारी),

x. संबद्ध पक्षों को ऋण प्रतिभूतियां जारी करके उधार लेना,

xi. बीमा सेवाएँ प्राप्त करना,

xii. ऐसा कोई अन्य संव्यवहार जिसमें संसाधनों, सेवाओं अथवा दायित्वों का अंतरण शामिल हो।

ये संव्यवहार ऐसे सारभूत निबंधन और शर्तों [जैसा कि लागू कानूनों और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत अनुमन्य हो, भले ही मार्च 31, 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष ("वित्त वर्ष 2026") के दौरान किसी भी समय एकल संव्यवहार या पिछले संव्यवहारों को साथ मिलाकर संव्यवहार की अधिकतम सीमा 1000 करोड़ रुपये या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कुल कारोबार के 10%, जो भी कम हो, से अधिक हो, जैसा कि लागू कानूनों या किसी अन्य सारभूत न्यूनतम सीमा, जो समय-समय पर लागू हो, के तहत निर्दिष्ट किया गया हो] पर होंगे, जो इस संकल्प के स्पष्टीकरण कथन में दिए गए है और जिन पर संबंधित संस्थाओं के साथ बैंक और विशिष्ट सहायक संस्थाओं द्वारा सहमति व्यक्त की जाए जिससे कि मार्च 31, 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान,

(i) संबंधित संस्थाओं के साथ बैंक और बैंक की प्रत्येक विशिष्ट सहायक संस्था के संव्यवहारों का अधिकतम मूल्य और

(ii) प्रत्येक संबंधित संस्था के साथ ऐसे सभी संव्यवहारों का कुल मूल्य

उस मूल्य से अधिक न हो जो निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित एक्सपोजर मानदंड के जरिए तय किया गया है और जो स्पष्टीकरण कथन में निर्दिष्ट है, बशर्ते उक्त संव्यवहार उचित दूरी आधार पर और व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में हो।

यह भी संकल्प किया गया कि बैंक के निदेशक मंडल (जिसे आगे "निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत इस संकल्प (संकल्पों)/संव्यवहार(रों) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर गठित की गई और/या नई संविदा(ओं)/ व्यवस्था (ओं) / संव्यवहार(रों), चाहे वह एकल संव्यवहार हो या संव्यवहारों की एक श्रृंखला के रूप में मिलाकर किए गए संव्यवहार हों या किसी अन्य रूप में संव्यवहार हों, में प्रवेश करने और/या उनका निष्पादन करने के लिए गठित की गई / अधिकारप्रदत्त / गठित की जाने वाली किसी भी समिति को शामिल समझा जाएगा) को इस संकल्प को लागू करने में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने और ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यक, समीचीन और वांछनीय हों। यह माना जाएगा कि सदस्यों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से इस पर अपना अनुमोदन दे दिया है।

यह भी संकल्प किया गया कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा निदेशक मंडल को ऐसे सभी दस्तावेज, विलेख, लेखन, उक्त दस्तावेजों की फाइलिंग सहित, आदि को हस्ताक्षरित और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्य, कृत्य या चीजें करने और ऐसे आवश्यक कदम उठाने, जो पूर्णतया निदेशक मंडल के विवेक से उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन और वांछनीय समझे जाएं, करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हैं।

यह भी संकल्प किया गया कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा निदेशक मंडल को यहाँ प्रदत्त सभी या कोई भी शक्ति किसी भी निदेशक समिति और/या निदेशक(कों) और/या बैंक के किसी अधिकारी(रियों)/इसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति(यों) को, लागू कानूनों के अनुसार, ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले संपन्न करने और ऐसे दस्तावेजों, लेखनों आदि को निष्पादित करने, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाएं, प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत करते हैं।"

प्रधान कार्यालय
सिडबी टॉवर, 15 अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001
दिनांक: 18 सितंबर 2025
स्थान: लखनऊ

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

ह0/-
(प्रकाश कुमार)
उप प्रबंध निदेशक

टिप्पणियाँ:

1. 27 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में किए जाने वाले सामान्य कामकाज की मद सं. 3, 4, 5, 6, 7 था 8 से संबंधित एक-एक स्पष्टीकरण इसके साथ अनुलग्नक में दिया गया है।
2. सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 61(2) के अनुसार, सिडबी का जो शेयरधारक किसी सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार है, उसे स्वयं के बजाय किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयरधारक हो या नहीं) को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा; लेकिन इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
3. सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 62(2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सिडबी की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक में विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक सहभागिता या मतदान नहीं करेगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में उस संकल्प को पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित, सिडबी के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चार स्पष्ट दिन पहले जमा न कर दी गई हो।
4. सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 63 (3) के अनुसार, प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के साथ अनुलग्न फॉर्म बी में विधिवत प्राधिकृत न हो।
5. सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम संख्या 59(1) के अनुसार, बैठक में मतदान के लिए रखे गए संकल्प पर हाथ उठाकर निर्णय किया जाएगा, बशर्ते मतदान की मांग न की जाए। इसके अलावा, हाथ उठाकर किसी भी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा होने पर या उससे पहले, बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव से मतदान का आदेश दिया जा सकता है और इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित किसी भी शेयरधारक या शेयरधारकों, जिनकी इतनी शेयरधारिता हो कि उन्हें उक्त संकल्प पर मतदान का अधिकार हो और जो उक्त संकल्प के संबंध में कुल मतदान शक्ति के पांचवें हिस्से से कम न हो, द्वारा माँग किए जाने पर, अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जाएगा।
6. शेयरधारक 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक में होने वाले कामकाज के संबंध में प्रश्न अपने पंजीकृत ईमेल पते से, अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, सिडबी की ईमेल आईडी compliance_officer@sidbi.in या boarddiv_lho@sidbi.in पर अग्रिम रूप से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से दो कार्य दिवस पहले तक भेज सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए ईमेल-आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

7. यथा मार्च 31, 2025 का सिडबी का लेखापरीक्षित एकल और समेकित तुलनपत्र, मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु सिडबी का लाभ-हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि के लिए सिडबी के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस सहित (**'वार्षिक रिपोर्ट'**) को सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर प्रदर्शित किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है जिनका ई-मेल पता सिडबी या निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य शेयरधारकों को भेजी जा रही हैं जो विशेष रूप से इसके लिए अनुरोध करते हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति डिबेंचर ट्रस्टी को भी भेजी जाती है और उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी उसी दिन प्रस्तुत किया जाता है, जिस दिन उसे सिडबी के शेयरधारकों को भेजा जाता है।
8. अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करें। ई-मेल पते को पंजीकृत करने के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई होने पर सदस्य ईमेल आईडी compliance_officer@sidbi.in या boarddiv_lho@sidbi.in को लिख सकते हैं।

प्रश्न पूछने/स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया:

9. बैठक के सुचारु संचालन के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए compliance_officer@sidbi.in या boarddiv_lho@sidbi.in पर अग्रिम रूप से अपने विचार व्यक्त करें/ प्रश्न भेजें। वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से दो कार्य दिवस पहले तक प्राप्त प्रश्नों /पृच्छाओं पर ही सिडबी द्वारा विचार किया जाएगा और वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान उनका जवाब दिया जाएगा।
10. जो सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना हाथ उठा सकते हैं। तथापि, सिडबी को वार्षिक सामान्य बैठक के सुचारु संचालन के लिए प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार होगा।

सामान्य सूचना:

1. वोटिंग अधिकार निर्दिष्ट तिथि, जो कि 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि है, को शेयरधारक (कों) द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे।
2. निदेशक मंडल ने मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 2 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की संस्तुति की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
3. यदि निदेशक मंडल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इक्विटी शेयरों पर लाभांश को वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित कर दिया जाता है, तो इसका भुगतान घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर उन सभी लाभार्थी स्वामियों/सदस्यों को धारित शेयरों के संबंध में कर दिया जाएगा, जिनके नाम सिडबी के सदस्य- रजिस्टर में हैं।
4. सिडबी की वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के हकदार शेयरधारकों को चिह्नित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में माना जाएगा।
5. वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, लाभांश आय लागू दरों पर 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और इस प्रकार सिडबी को किसी लाभांश वितरण कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
6. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित निक्षेपागार खातों के संबंध में पंजीकृत बैंक विवरणों का उपयोग सिडबी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। सिडबी बैंक विवरण या बैंक अधिदेशों में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारक सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे परिवर्तनों की सूचना सदस्यों के निक्षेपागार प्रतिभागी को ही दी जानी चाहिए।
7. शेयरधारकों से अनुरोध है कि सिडबी के इक्विटी शेयरों से संबंधित किसी भी मामले के लिए बोर्ड प्रभाग, (दूरभाष संख्या 022–67531200 / 67531130 / 67531233 मोबाइल नंबर 9987419667, 9415322793, 9968018849, 9078000173, ईमेल: boarddiv_lho@sidbi.in या compliance_officer@sidbi.in) से संपर्क करें।

नोटिस का अनुलग्नक

मद संख्या 3 से संबंधित स्पष्टीकरण

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश सिडबी पर लागू होते हैं। सिडबी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सूची में से सांविधिक लेखा परीक्षक की नियक्ति/पुनः नियुक्ति करनी होती है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 सितंबर 2024 के पत्र डीओएस. एआरजी. सं. एस 54744/08:03 :008/2024-25 के जरिए प्रेषित लेखापरीक्षकों की सूची में से मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट, को वित्तीय वर्ष 2024-25 (द्वितीय वर्ष) हेतु सिडबी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सिडबी ने 28 अप्रैल 2025 के पत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि वे सिडबी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 (तृतीय वर्ष) हेतु सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2026 हेतु पात्र लेखापरीक्षकों की सूची अभी उन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन में समय लग रहा है, अतः वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित शेयर धारकों से अनुरोध है कि भारतीय रिज़र्व बैंक से लेखापरीक्षकों की सूची प्राप्त होने के बाद अनुमोदन प्राप्त होने पर सिडबी के निदेशक मंडल को मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 26 (तृतीय वर्ष) हेतु सनदी लेखाकार के रूप में नियुक्त करने, जिसमें नियुक्ति की शर्तें / पारिश्रमिक शामिल हैं, हेतु प्राधिकृत करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्राप्ति में लगने वाले अनुमानित समय को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स जे काला एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही हेतु तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त होने में और विलंब होने पर परवर्ती तिमाहियों हेतु भी बैंक के वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा करने के लिए बैंक के सनदी लेखाकार के रूप में कार्य करेंगे।

इसलिए, आपका निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 3 में दिए गए सामान्य संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

सिडबी के कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 4 से संबंधित स्पष्टीकरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (डी) के अनुसरण में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा श्री लक्ष्मी चंद मीना को 28 अक्तूबर 2024 से गैर-कार्यपालक निदेशक नामित किया गया है।

श्री लक्ष्मी चंद मीना का संक्षिप्त जीवनवृत्त, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरणों तथा अन्य अपेक्षित जानकारी सहित, नोटिस /वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

निदेशक मंडल की राय में, **श्री लक्ष्मी चंद मीना** के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है और वे गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र हैं। उनकी संबद्धता सिडबी के लिए बहुत लाभप्रद और हितवर्द्धक होगी।

एलओडीआर 2015, विनियम 62 बी (1)बी के अनुसार, "स्वतंत्र निदेशक" का वही अर्थ होगा, जो उक्त विनियमों के विनियम 16 के उप विनियम (1) के खंड (बी) के अंतर्गत दिया गया है। विनियम 62 बी के दायरे में नामिती निदेशकों को छोड़कर केवल गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं।

तथापि, विनियम 16 के अनुसार, स्पष्टीकरण- 'उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध संस्था' के मामले में: (ए) जो एक कार्पोरेट निकाय है, जिसे उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश है, उसके निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में, सेबी को यह अभिवेदन दिया गया है कि रियायत प्रदान करते हुए सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों, नामिती निदेशकों सहित, को विनियम 16 के स्पष्टीकरण के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक माना जाए।

तदनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सिडबी को इस संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विशेष संकल्प के माध्यम से श्री लक्ष्मी चंद मीना को 28 अक्तूबर 2024 से बैंक के "गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामिती निदेशक" के रूप में पद ग्रहण हेतु नियुक्त करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करें, जो रोटेशन द्वारा निवृत्ति के अधीन नहीं होंगे।

श्री लक्ष्मी चंद मीना को छोड़कर, सिडबी के अन्य कोई भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी रूप में उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 5 से संबंधित स्पष्टीकरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के परंतुक के अनुसरण में **श्री पी. जे. थॉमस** को बोर्ड द्वारा गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में 15 नवंबर 2024 से तीन वर्ष की अवधि हेतु सहयोजित किया गया है।

श्री पी. जे. थॉमस का संक्षिप्त जीवनवृत्त, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरणों तथा अन्य अपेक्षित जानकारी सहित, नोटिस /वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

बोर्ड की राय में, श्री पी. जे. थॉमस के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है और वह गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक के पद पर बने रहने हेतु पात्र हैं। उनकी संबद्धता सिडबी के लिए अत्यधिक लाभप्रद और हितवर्द्धक होगी।

एलओडीआर 2015, विनियम 62 बी (1)बी के अनुसार, "स्वतंत्र निदेशक" का वही अर्थ होगा, जो उक्त विनियमों के विनियम 16 के उप विनियम (1) के खंड (बी) के अंतर्गत दिया गया है। विनियम 62 बी के दायरे में नामिती निदेशकों को छोड़कर केवल गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं।

तथापि, विनियम 16 के अनुसार, स्पष्टीकरण- 'उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध संस्था' के मामले में: (ए) जो एक कार्पोरेट निकाय है, जिसे

उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश है, उसके निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में, सेबी को यह अभिवेदन दिया गया है कि रियायत प्रदान करते हुए सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों, नामिती निदेशकों सहित, को विनियम 16 के स्पष्टीकरण के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक माना जाए।

तदनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सिडबी को इस संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विशेष संकल्प के माध्यम से श्री पी. जे. थॉमस को 15 नवंबर 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के "गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक" के रूप में बनाए रखने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करें, जो रोटेशन द्वारा निवृत्ति के अधीन नहीं हैं।

श्री पी. जे. थॉमस को छोड़कर, सिडबी के किसी अन्य निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 6 से संबंधित स्पष्टीकरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 6 (1) (एफ) के परंतुक के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल को 14 मार्च 2025 से तीन वर्ष की अवधि हेतु गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में सहयोजित किया गया है।

सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल का संक्षिप्त जीवनवृत्त, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरणों तथा अन्य अपेक्षित जानकारी सहित, नोटिस /वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

बोर्ड की राय में, **सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल** के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है और वे गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने रहने हेतु पात्र हैं। उनकी संबद्धता सिडबी के लिए बहुत लाभप्रद और हितवर्द्धक होगी।

एलओडीआर 2015, विनियम 62 बी (1)बी के अनुसार, "स्वतंत्र निदेशक" का वही अर्थ होगा, जो उक्त विनियमों के विनियम 16 के उप विनियम (1) के खंड (बी) के अंतर्गत दिया गया है। विनियम 62 बी के दायरे में नामिती निदेशकों को छोड़कर केवल गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं।

तथापि, विनियम 16 के अनुसार, स्पष्टीकरण- 'उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध संस्था' के मामले में: (ए) जो एक कार्पोरेट निकाय है, जिसे उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश है, उसके निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में, सेबी को यह अभिवेदन दिया गया है कि रियायत प्रदान करते हुए सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों, नामिती निदेशकों सहित, को विनियम 16 के स्पष्टीकरण के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक माना जाए।

तदनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सिडबी को इस संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विशेष संकल्प के माध्यम से सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल को 15 नवंबर 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के "गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक" के रूप में बनाए रखने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करें, जो रोटेशन के जरिए निवृत्ति के अधीन नहीं हैं।

सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल को छोड़कर, सिडबी के किसी अन्य निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से उक्त संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद सं. 7 से संबंधित स्पष्टीकरण

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के विनियम 62एम (विनियम 24 ए के साथ पठित) के अनुसार, प्रत्येक उच्च मूल्य ऋण वाली सूचीबद्ध संस्था (एचवीडीएलई) सचिवीय लेखा परीक्षा करेगी और किसी प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव द्वारा दी गई सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को सूचीबद्ध संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के साथ बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रूप में संलग्न करेगी। साथ ही, प्रत्येक एचवीडीएलई प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रूप में, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी।

बोर्ड ने 08 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, (फर्म यूनिक कोड: P2003DE49100) (जिसे आगे **अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स** कहा जाएगा) को 01 अप्रैल से 2025 से मार्च 31, 2030 तक लगातार पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया था और बैंक के सदस्यों को उसकी संस्तुति की थी। उक्त नियुक्ति आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक वैध होगी, जो बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स 2003 में स्थापित प्रैक्टिसरत कंपनी सचिवों की एक प्रसिद्ध फर्म है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा फर्म की समकक्ष समीक्षा की गई है और इसमें चार साझेदारों की एक टीम है। सीएस फर्म अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स वर्तमान में/हाल के वर्षों में एनएचपीसी, आईएफसीआई, आरईसी, सेल, पीएनबी की सचिवीय लेखा परीक्षक रही है।

बोर्ड ने सचिवीय लेखा परीक्षा करने, वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (सेबी लिस्टिंग और अन्य लागू विनियमों के तहत अनुपालन स्थिति की सीमित त्रैमासिक समीक्षा सहित) जारी करने के लिए अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2030 की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹ 69384/- रुपये (उनहत्तर हजार तीन सौ चौरासी रुपये), संबंधित व्यय और जीएसटी सहित सभी लागू करों आदि को मिलाकर, के शुल्क पर सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। इस शुल्क में कोई अन्य भुगतान शामिल नहीं है जो सेबी के दिशानिर्देशों/आईसीएसआई विनियमों के तहत अनुमत किसी भी अन्य पेशेवर सेवाओं का उपयोग करने के लिए बैंक द्वारा किया जाए। ऐसी सेवाओं के लिए शुल्क प्रबंधन द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षक के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर तय किया जा सकता है।

यह सिफारिश अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड और योग्यता, उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी लिस्टिंग विनियमों पर आधारित है। सिफारिश करते समय, निदेशक मंडल ने फर्म के अनुभव, क्षमता, ऑडिट अनुभव पर भी विचार किया है।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स ने बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि यदि उनकी उपर्युक्त नियुक्ति की जाती है, तो वह उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर होगी।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स ने पुष्टि की है कि फर्म अपात्र घोषित नहीं है और सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 24ए के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है।

निदेशक मंडल उक्त नोटिस की मद संख्या 7 पर उल्लिखित संकल्प को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने हेतु संस्तुति करता है।

बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी उक्त नोटिस की मद संख्या 7 पर उल्लिखित संकल्प को पारित किए जाने से, वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा, संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 8 से संबंधित स्पष्टीकरण

पृष्ठभूमि और संदर्भ:

लागू कानून:

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के विनियम 2(1)(जेडसी) के अनुसार, "संबद्ध पक्ष संव्यवहार" का अर्थ है ऐसा संव्यवहार है जिसमें निम्नलिखित पक्षों के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का हस्तांतरण शामिल है:

(i) एक ओर एक सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक संस्था और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी भी सहायक संस्था से संबद्ध पक्ष या

(ii) एक ओर एक सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक संस्था, और दूसरी ओर कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक संस्था के संबद्ध पक्ष को लाभ पहुंचाना है

भले ही कीमत ली गई हो और किसी संबद्ध पक्ष "**संव्यवहार**" में एकल संव्यवहार या संविदा के अंतर्गत संव्यवहार का समूह शामिल समझा जाएगा:

एलओडीआर विनियमों के विनियम 62के के प्रावधान 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद किए गए सभी संव्यवहारों पर लागू होते हैं। एलओडीआर विनियमों, समय समय पर यथासंशोधित, के विनियम 62 के अनुसार, किसी संबद्ध पक्ष के साथ किसी भी संव्यवहार को सारभूत माना जाएगा, यदि एकल रूप से किए गए संव्यवहार का मूल्य या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान हुए पिछले संव्यवहारों के साथ मिलाकर कुल मूल्य 1,000 करोड़ रुपये या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कुल कारोबार के 10%, दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक हो।

सभी सारभूत संबद्ध पक्ष संव्यवहारों और लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित परवर्ती सारभूत संशोधनों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और उस पर डिबेंचर ट्रस्टी उन डिबेंचर धारकों से अनापत्ति प्राप्त करेगा जो जारीकर्ता से संबद्ध नहीं हैं और जिनके पास मूल्य में कम से कम पचास प्रतिशत से अधिक डिबेंचर हों, ई-वोटिंग सहित वोटिंग के आधार पर।

डिबेंचर ट्रस्टी और डिबेंचर धारकों से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त किया जाएगा।

डिबेंचर धारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एक साधारण संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र रोक दिया गया हो, तो मामले को शेयरधारकों के विचार के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

यथा मार्च 31, 2025 को बकाया सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, मौजूदा या भावी सारभूत संबद्ध पक्ष संव्यवहार के लिए डिबेंचर ट्रस्टी और डिबेंचर धारकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त सीमाएं तब भी लागू होती हैं जब संव्यवहार संबंधित कंपनी की सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में और उचित दूरी आधार पर हुआ हो।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए प्रयोज्यता:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ("बैंक") ने एलओडीआर विनियमों के विनियम 2 (1) (जेडसी) और बैंक के संबद्ध पक्ष संव्यवहार विषयक नीति के अनुसार संबद्ध पक्ष संव्यवहारों का आकलन किया है।

संबद्ध पक्षों के प्रति वित्त वर्ष 2026 के दौरान संभावित सारभूत संबद्ध पक्ष संव्यवहारों(आरपीटी) के विषय में शेयरधारकों का अनुमोदन निम्नवत माँगा जा रहा है।

सारभूत आरपीटी का विवरण जिनके लिए बैंक के सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है:

अखिल भारतीय वित्तीय संस्था होने के नाते सिडबी विभिन्न वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं अर्थात बैंक (आरआरबी, यूसीबी आदि सहित), एनबीएफसी, पीएसयू आदि को पुनर्वित्त, संसाधन सहायता, साख, ऋण आदि प्रदान करता है। । ऐसी संस्थाओं के लिए एक्सपोजर की मात्रा बैंक और सहायक संस्थाओं के अनुमोदित एक्सपोजर मानदंडों से शासित होती है। इन संस्थाओं के साथ संव्यवहार आनुमानिक प्रकृति के होते हैं और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो कि बाजार की स्थितियों, व्यावसायिक मोलतोल के आधार पर और समीक्षा के बाद, तथा बैंक की ऋण/निवेश नीति के अनुसार निर्धारित होता है।

सिडबी की शेयरधारिता भारत सरकार और उसके स्वामित्व/नियंत्रण वाली संस्थाओं के पास होने और भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा नामित समान निदेशकों की उपस्थिति के कारण उपर्युक्त में से कुछ संव्यवहार एलओडीआर विनियमों के 2(1) (जेडबी) के संदर्भ में आरपीटी की श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि ये संव्यवहार दोहराए जाने वाले प्रकृति के होते हैं और सिडबी या सहायक संस्थाओं के हित में भी होते हैं ताकि वे अपने संबंधित अधिदेश को प्राप्त कर सकें। तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति से वित्त वर्ष 2026 के लिए इन एक्सपोजर के प्रति सर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इस सर्वव्यापी अनुमोदन के पश्चात होने वाले वास्तविक संव्यवहारों को भी लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के लिए समिति की त्रैमासिक बैठक में रखा जाएगा।

उपर्युक्त पैरा में दर्शाए गए संबद्ध पक्ष संव्यवहारों, जो लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हैं, और जो एलओडीआर विनियमों के अनुसार सारभूत आरपीटी की श्रेणी के अनुरूप हैं, को तदनुसार आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना अपेक्षित है। वार्षिक सामान्य बैठक से माँगा गया अनुमोदन एलओडीआर विनियमन 62के(5) के अनुसार डिबेंचर ट्रस्टी के अनुमोदन (01 अप्रैल, 2025 से चालू वित्त वर्ष के दौरान सिडबी द्वारा जारी की गई नई गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में) के अधीन है।

बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं के सभी संबद्ध पक्ष संव्यवहार उचित दूरी आधार पर और व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में होते हैं।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में ही मद सं. 8 को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए रखा गया है।

सेबी के 11 नवंबर, 2024 के मास्टर परिपत्र के अनुसार जानकारी

(अध्याय III, खंड III बी)

प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा समिति को प्रदान की गई जानकारी का सारांश		
क्रमांक	**विवरण**	**ब्यौरा**
	नाम	**सिडबी/मुद्रा/एसवीसीएल/एसटीसीएल**
1	आरपीटी का विवरण/आरपीटी का प्रकार	निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं आदि सहित एक्सपोजर, जैसा कि संकल्प में दिया गया है।
2	आरपीटी की सारभूत शर्तें	संव्यवहार की शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों और पेश किए गए उत्पादों के लिए बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन हैं जो सभी ग्राहकों (संबद्ध/असंबद्ध) पर लागू होती हैं।
3	संबद्ध पक्ष का नाम	उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार
4	सिडबी/मुद्रा/एसवीसीएल/एसटीसीएल के साथ संबंध	उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार
5	सिडबी के साथ संबद्ध पक्ष के संबंध या हित (वित्तीय या अन्यथा) का स्वरूप	उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार
6	प्रस्तावित संव्यवहार की कालावधि	संबद्ध पक्षों के साथ संबद्ध पक्ष संव्यवहार सतत कारोबारी संव्यवहार हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 के संव्यवहारों हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।
7	प्रस्तावित संव्यवहार का मूल्य	अधिकतम मूल्य बैंक द्वारा अनुमोदित एक्सपोजर मानदंड के अनुसार, जैसा कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण में उल्लिखित है। इन संस्थाओं के साथ संव्यवहार आनुमानिक प्रकृति के हैं और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो कि बाजार की स्थितियों, व्यावसायिक मोलतोल और समीक्षा के बाद, और बैंक की ऋण/निवेश नीति के अनुसार तय होता है। सिडबी की शेयरधारिता भारत सरकार और उसके स्वामित्व/नियंत्रण वाली संस्थाओं के पास होने तथा भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा नामित समान निदेशकों की उपस्थिति के फलस्वरूप उपर्युक्त में से कुछ संव्यवहार आरपीटी की श्रेणी में आ सकते हैं।
8	पिछले वित्त वर्ष का सिडबी का समेकित वार्षिक कुल कारोबार	वित्त वर्ष 2025 में कुल समेकित आय ₹40,753 करोड़ है।
9	पिछले वित्त वर्ष के सिडबी के वार्षिक समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार एक्सपोजर मानदंड के भीतर लेनदेन के वास्तविक मूल्य के आधार पर यह भिन्न-भिन्न हो सकता है।
10	यदि संव्यवहार सिडबी द्वारा किए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है	
11	संव्यवहार का प्रकार (ऋण/अंतर-कॉर्पोरेट जमा/अग्रिम या निवेश)	संकल्प में दिए गए विवरण के अनुसार एक्सपोजर, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं आदि सहित
12	क्रमांक 11 पर उल्लिखित प्रस्तावित आरपीटी के संबंध में निधियों का स्रोत	बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक/सहायक संस्था की संसाधन योजना के अनुसार
13	क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी करने हेतु यदि कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता हुई हो	
14	ऋणग्रस्तता का स्वरूप;	बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक/सहायक संस्था की संसाधन योजना के अनुसार
15	आरपीटी के लिए जुटाई गई धनराशि की लागत	निधीयन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक के प्रबंधन द्वारा यथानिर्णीत बाजार शक्तियों के अनुसार।
16	ऋणग्रस्तता की अवधि	आवश्यकता के अनुसार
17	क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी की लागू शर्तें	बैंक की ऋण नीति और एक्सपोजर मानदंडों, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में यथा उल्लिखित, के अनुसार
18	क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी की प्रसंविदाएँ	बैंक की ऋण नीति और एक्सपोजर मानदंडों, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में यथा उल्लिखित, के अनुसार

प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा समिति को प्रदान की गई जानकारी का सारांश		
क्रमांक	**विवरण**	**ब्यौरा**
	नाम	**सिडबी/मुद्रा/एसवीसीएल/एसटीसीएल**
19	क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी की अवधि	बैंक की ऋण नीति और एक्सपोजर मानदंडों, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में यथा उल्लिखित, के अनुसार
20	क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी की ब्याज दर	बैंक की ऋण नीति और एक्सपोजर मानदंडों, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में यथा उल्लिखित, के अनुसार
21	क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी का चुकौती कार्यक्रम	बैंक की ऋण नीति और एक्सपोजर मानदंडों, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में यथा उल्लिखित, के अनुसार
22	(क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी) की प्रकृति - प्रतिभूत/अप्रतिभूत	बैंक की ऋण नीति और एक्सपोजर मानदंडों, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में यथा उल्लिखित, के अनुसार (प्रतिभूत/अप्रतिभूत दोनों), आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अधीन
23	यदि (क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी) प्रतिभूत है, तो प्रतिभूति का स्वरूप	बैंक की ऋण नीति के अनुसार
24	(क्रमांक 11 पर उल्लिखित आरपीटी) के पश्चात उक्त निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा उक्त निधियों के उपयोग का उद्देश्य	बैंक की ऋण नीति के अनुसार
25	आरपीटी सिडबी के हित में क्यों है, इसका औचित्य	ये संव्यवहार सिडबी अधिनियम, 1989 के अनुसार अपने अधिदेश को हासिल करने के उद्देश्य से अपने ग्राहकों के साथ बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जिनमें बैंक के संबद्ध पक्ष शामिल हो सकते हैं।
26	मूल्य निर्धारण या अन्य बाह्य पक्ष रिपोर्ट की प्रति$, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट का आधार लिया गया हो	संव्यवहार प्रचलित बाजार दरों/उचित मूल्यों पर और उचित दूरी आधार पर किए जाते हैं और इन संव्यवहारों के लिए किसी मूल्य निर्धारण रिपोर्ट का आधार नहीं लिया गया है।
27	प्रति-पक्ष के वार्षिक समेकित कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में आरपीटी मूल्य (स्वैच्छिक)	किसी संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक संव्यवहार के आधार पर अलग-अलग होगा जैसा कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण में दिया गया है।
28	कोई अन्य जानकारी, जो प्रासंगिक हो सकती हो	-
29	प्रस्तावित संव्यवहार सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है, इसका औचित्य	-

$ प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अवलंबित मूल्य निर्धारण या अन्य बाह्य रिपोर्ट, यदि कोई हो, शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त आरपीटी संबंधी सर्वव्यापी अनुमोदन की वैधता के संबंध में खंड धारा III-बी पैरा (सी) के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त आरपीटी संबंधी सर्वव्यापी अनुमोदन अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक, किंतु पंद्रह महीने से अनधिक की अवधि के लिए वैध होगा।

सदस्य ध्यान दें कि एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, उनके तहत परिभाषित संबद्ध पक्ष (चाहे ऐसे संबद्ध पक्ष उपर्युक्त संव्यवहारों में शामिल पक्ष हों अथवा न हों), मद संख्या 8 के तहत संकल्पों को अनुमोदित करने हेतु मतदान नहीं करेंगे।

बैंक के कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार नोटिस के मद सं. 8 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा और अनुमोदन के आधार पर, निदेशक मंडल संलग्न नोटिस की मद सं. 8 के अनुमोदन (एक साधारण संकल्प के माध्यम से) की संस्तुति शेयरधारकों से करता है।

प्रधान कार्यालय
सिडबी टॉवर, 15 अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001
दिनांक: 18 सितंबर 2025
स्थान: लखनऊ

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

ह0/-
(प्रकाश कुमार)
उप प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक

उन निदेशकों का विवरण, जिनकी नियुक्ति, लिस्टिंग विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सत्ताईसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपेक्षित है

25 सितंबर 2024 को आयोजित पिछली वार्षिक सामान्य बैठक के बाद नियुक्त/सहयोजित निदेशक

I. श्री लक्ष्मी चंद मीना

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पूर्व अधिकारी श्री लक्ष्मी चंद मीना ने एलआईसी की विभिन्न शाखाओं और मंडलों में विभिन्न प्रशासनिक और विपणन कार्यों में समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव हासिल किया। अपने लंबे करियर के दौरान श्री मीना 3 वर्ष एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी-एचएफएल) के केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक (विपणन) के पद पर रहे, जहाँ उन्होंने एलआईसी-एचएफएल के विपणन कार्यों का नेतृत्व किया। कार्यपालक निदेशक के कैडर वे राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), पुणे में कार्यरत रहे। इसके बाद, वे मुंबई में एलआईसी के प्रबंध विकास केंद्र (एमडीसी) में रहे और इसके निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। श्री मीना ने बीएससी की उपाधि प्राप्त की है।

II. श्री पी.जे. थॉमस

श्री पी जे थॉमस ने विज्ञान में बी.एससी. (ऑनर्स) तथा बैंकिंग और वित्त में एम.बी.ए की उपाधि प्राप्त की है। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। सेन्ट्रल बैंकर के रूप में 36 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत रहे श्री थॉमस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एक बैंक अधिकारी के रूप में अपना कॅरियर प्रारंभ किया और फिर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में एक अधिकारी के रूप नियुक्त हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के क्षेत्रीय निदेशक सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। बैंकिंग विनियमन, बैंकिंग पर्यवेक्षण और वित्तीय समावेशन में उनकी विशेषज्ञता है। उन्होंने बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण में फेडरल रिजर्व ऑफ न्ययॉर्क एंड फ्लोरिडा में तथा बेसल, फ्रैंकफर्ट, कुआलालंपुर और मनीला स्थित अन्य निकायों में प्रशिक्षण प्राप्त किया । उन्होंने आंध्रा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक-मंडलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

III. सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल

सुश्री पदमजा रूपारेल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्यमिता पारितंत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जानी जाती हैं; वे इंडियन एंजेल नेटवर्क और बायोएंजल्स जैसी संस्थाओं की सहसंस्थापक के रूप में और सक्रिय एंजेल निवेशक के रूप में पहचानी जाती हैं। उनका व्यापक अनुभव बड़े कॉर्पोरेट्स, विलय एवं अधिग्रहण और शुरुआती चरण के उद्यमों तक फैला हुआ है। उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें शामिल हैं – अग्रणी प्रकाशनों द्वारा वर्ष की "सबसे शक्तिशाली महिलाओं" की सूची में स्थान और वीमेन इकनॉमिक फॉरम द्वारा "निवेश बैंकिंग में दशक की महिला" पुरस्कार । सुश्री रूपारेल आईएएन की उद्यम पूंजी निधियों की संस्थापक साझेदार और वरिष्ठ प्रबंधन साझेदार हैं, और सिडबी, टीडीबी, आईवीसीए, टीआईई एनसीआर और नैसकॉम जैसे संगठनों में प्रमुख बोर्ड और परामर्शी भूमिकाएं निभाती हैं तथा विभिन्न कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक हैं।

* मार्च 31, 2025 तक अन्य निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा और अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

फॉर्म बी
प्रॉक्सी का फॉर्म

[सिडबी अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सिडबी सामान्य विनियम 2000 के विनियम 63 का उप-विनियम (3) अनुसूची VI फॉर्म बी देखें]

मैं/हम, ...राज्य के .... जिले में स्थित ....का/की/के निवासी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के/की शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री......................... जो ....राज्य के .... जिले में स्थित ....के निवासी है, अथवा उनके विफल रहने पर श्री .... जो ....राज्य के .... जिले में स्थित ....के निवासी हैं, को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के शेयरधारकों की दिनांक .... को प्रस्तावित बैठक और उसके किसी स्थगन के फलस्वरूप होने वाली बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता(ती) हूँ / करते हैं।

दिनांक ________ को ________________ द्वारा हस्ताक्षरित

मार्ग मानचित्र

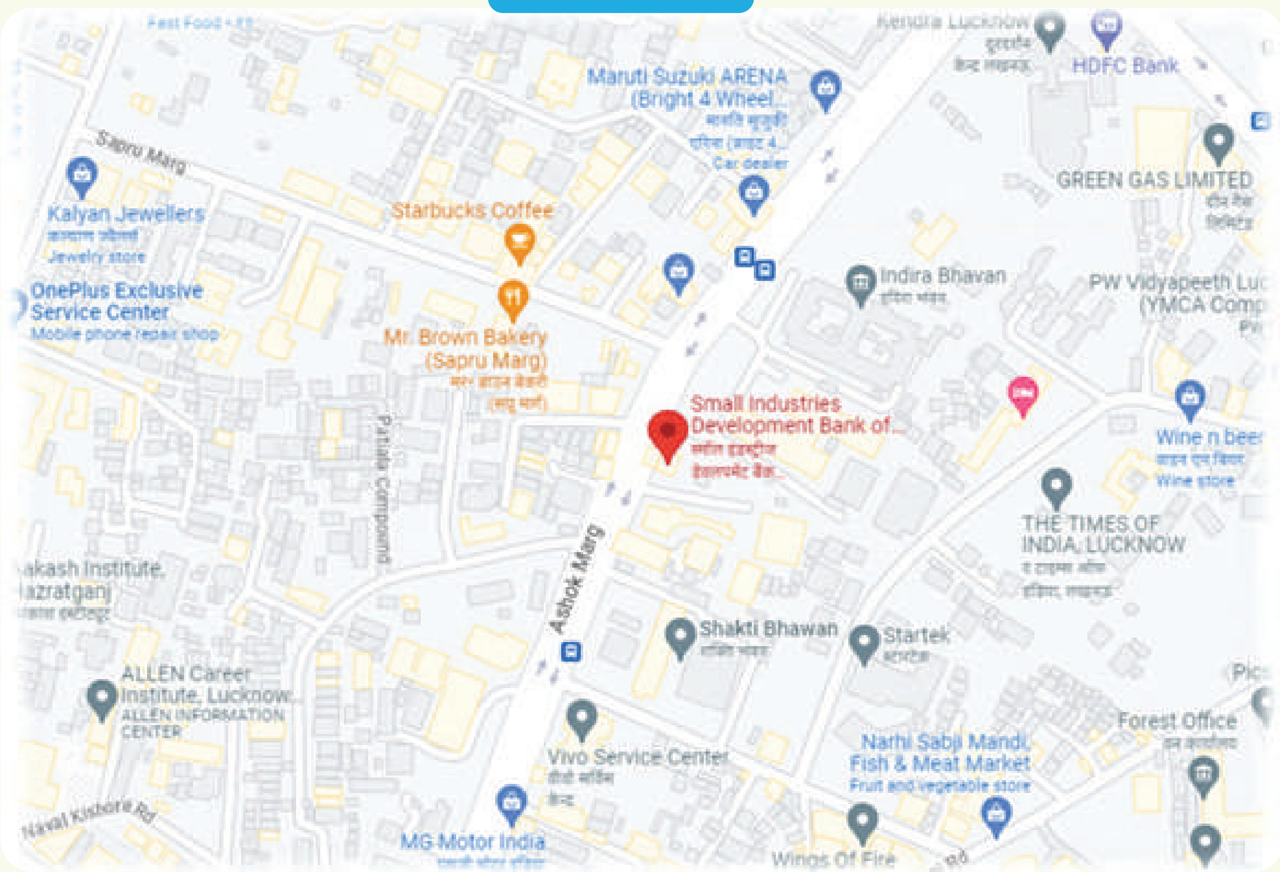

सिडबी प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001 हेतु मार्ग मानचित्र

निदेशकों की रिपोर्ट

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

सेवा में,
सदस्यगण,

आपके निदेशकों को मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित, निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. वित्तीय कार्यनिष्पादन - एक दृष्टि में

(₹ करोड़ में)

विवरण	समेकित		एकल	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
पूंजी और देयताएं				
पूंजी	569	569	569	569
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	39,051	33,578	35,839	31,148
जमाराशियाँ	2,24,751	2,41,416	1,95,600	2,06,384
उधारियाँ	3,17,037	2,70,545	3,17,264	2,70,545
अन्य देयताएं और प्रावधान	19,504	14,478	18,967	13,875
कुल	**6,00,912**	**5,60,586**	**5,68,239**	**5,22,521**
आस्तियाँ				
नकदी और बैंक शेष	24,975	33,543	17,672	23,309
निवेश	45,354	34,753	46,938	36,410
ऋण और अग्रिम	5,23,038	4,84,933	4,96,282	4,56,015
स्थिर आस्तियाँ	280	287	280	286
अन्य आस्तियाँ	7,265	7,070	7,067	6,501
कुल	**6,00,912**	**5,60,586**	**5,68,239**	**5,22,521**
कुल आय	40,753	34,232	38,511	31,942
कुल व्यय	33,282	27,877	32,113	26,652
कर-पूर्व लाभ	7,471	6,355	6,398	5,290
कर व्यय	1,875	1,542	1,587	1,263
कर-पश्चात लाभ	5,596	4,822	4,811	4,026
प्रति शेयर मूल/तुनूकृत अर्जन	98.43	84.82	84.62	70.82
आस्तियों पर प्रतिफल (कर-पश्चात्) (वार्षिकीकृत) (%)	0.98	0.96	0.89	0.87
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	21.33*	17.86	19.62*	15.94
सकल एनपीए का %	0.03	0.03	0.04	0.02
निवल एनपीए का %	0.00	0.00	0.00	0.00

* बेसल III के अनुसार

क. एकल :

i **लाभ:** बैंक का निवल लाभ वित्त वर्ष 2025 में 19.5% बढ़कर ₹ 4,811 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹ 4,026 करोड़ था।

ii **निवल लाभ मार्जिन:** वित्त वर्ष 2025 में निवल लाभ मार्जिन मामूली रूप से कम होकर 12.49% रह गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 12.61% था।

iii **कुल आय और व्यय:** कुल आय वित्त वर्ष 2025 में 20.6% बढ़कर ₹ 38,511 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹ 31,942 करोड़ थी और कुल व्यय वित्त वर्ष 2025 में 20.5% बढ़कर ₹ 32,113 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹ 26,652 करोड़ था।

iv **आस्तियाँ और ऋण एवं अग्रिम:** कुल आस्तियाँ वित्त वर्ष 2025 में 8.7% बढ़कर ₹ 5,68,239 करोड़ हो गईं, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹ 5,22,521 करोड़ थीं । ऋण और अग्रिम स्वरूप कुल आस्तियाँ 87.3% थीं, जो मार्च 31, 2025 तक ₹ 4,96,282 करोड़ हो गईं, जबकि मार्च 31, 2024 तक ये ₹ 4,56,015 करोड़ थी, जिसमें वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 8.8% की वृद्धि दर्ज हुई है।

v. **जमा राशियाँ:** जमा राशियों में 5.2% की गिरावट देखी गई और यह वित्त वर्ष 2024 के ₹ 2,06,384 करोड़ से वित्त वर्ष 2025 में ₹ 1,95,600 करोड़ रह गईं।

vi. **उधारियाँ:** वित्त वर्ष 2025 के दौरान, उधारियाँ 17.3% बढ़कर ₹ 3,17,264 करोड़ हो गईं।

vii. **शेयरधारकों को प्रतिफल:** बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) वित्त वर्ष 2025 में ₹ 84.62 रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह ₹ 70.82 था। आस्तियों पर प्रतिफल (कर-पश्चात्) वित्त वर्ष 2024 के 0.87% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 0.89% हो गया।

viii. **शेयर पूँजी:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की शेयर पूँजी में कोई बदलाव नहीं हुआ। यथा मार्च 31, 2025 को चुकता शेयर पूँजी दस-दस रुपये के 56,85,41,169 इक्विटी शेयर थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने विभेदक मताधिकार वाले कोई शेयर जारी नहीं किए हैं और न ही कोई स्टॉक विकल्प या स्वीट इक्विटी प्रदान की है। बैंक के किसी भी निदेशक के पास बैंक का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

ऋण और अग्रिम (₹ करोड़)

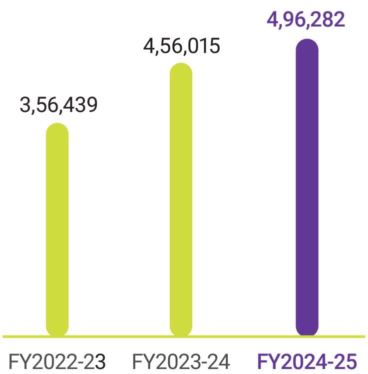

आस्ति आधार (₹ करोड)

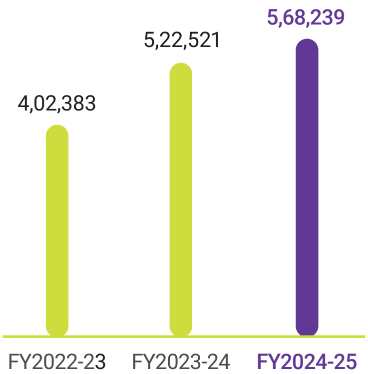

प्रति शेयर अर्जन (₹)

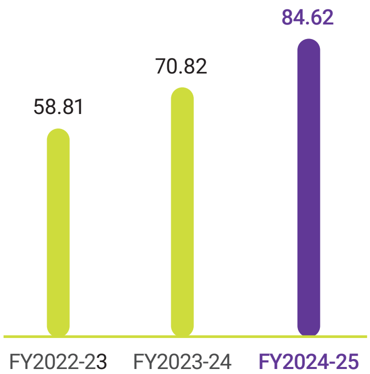

ix. **लाभांश:** सिडबी के निदेशक मंडल ने सहर्ष वित्त वर्ष 2025 हेतु दस-दस रुपये के अंकित मूल्य के 56,85,41,169 इक्विटी शेयरों पर ₹2 प्रति शेयर के लाभांश की संस्तुति शेयरधारकों के विचारार्थ की है।

x. **आस्ति गुणवत्ता मैट्रिक्स:** मार्च 31, 2025 को बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ और निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 0.04% और 0.00% थी।

xi. **बेसल III** के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 के अंत में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 19.62% था।

ख. समेकित:

i. बैंक की कुल आय वित्त वर्ष 2024 के ₹34,232 करोड़ से 19.0% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹40,753 करोड़ हो गई। बैंक का निवल लाभ वित्त वर्ष 2024 के ₹4,822 करोड़ से 16.1% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹5,596 करोड़ हो गया।

ii. बैंक की प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) पिछले वित्तीय वर्ष के ₹84.82 की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर ₹98.43 हो गई।

ग. भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन की प्रगति:

आरबीआई द्वारा सिडबी को जारी दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, एआईएफआई के लिए भारतीय लेखांकन मानक का कार्यान्वयन अगली सूचना तक आस्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरणों को आईजीएएपी के अनुरूप अंतिम रूप दिया जा रहा है।

व्यवसाय निष्पादन

क. मुख्य परिचालन - एक दृष्टि में

(₹ करोड़ में)

उत्पाद खंड	शेष		साल दर साल संवृद्धि %
	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	
प्रत्यक्ष ऋण	26,826	37,781	41%
बैंकों को पुनर्वित्त	3,63,101	3,85,327	6%
एनबीएफसी को पुनर्वित्त	55,205	64,189	16%
एमएफआई को पुनर्वित्त	8,771	6,054	-31%
क्लस्टर विकास निधि योजना	2,111	2,931	39%
कुल	**4,56,015**	**4,96,282**	**9%**

I. संस्थागत वित्त :

बैंक के ऋणों और अग्रिमों में संस्थागत वित्त का योगदान लगभग 92% है। वित्त वर्ष 2025 के अंत तक संस्थागत वित्त के अंतर्गत बकाया राशि ₹ 4,55,570 करोड़ थी।

बैंकों को पुनर्वित्त

बैंक एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। बैंकों का बकाया पुनर्वित्त संविभाग मार्च 31, 2025 तक ₹3,85,327 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह ₹3,63,101 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष 6.1% की वृद्धि दर्शाता है।

पुनर्वित्त संविभाग 50 प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) में फैला हुआ था, जिसमें 11 पीएसबी, 16 पीवीबी, 6 एफबी, 8 एसएफबी, 7 आरआरबी और 2 यूसीबी शामिल थे तथा पुनर्वित्त के अंतर्गत एमएसई ग्राहकों की संख्या लगभग 29.83 लाख थी।

वर्ष के दौरान, बैंकों को पुनर्वित्त के अंतर्गत 40 प्राथमिक ऋण संस्थाओं (पीएलआई) में ऋण वितरित किए गए, जिससे देश के सभी 8 संघ शासित प्रदेशों, 28 राज्यों और 715 जिलों (कुल 785 जिलों में से) के 8.13 लाख एमएसई ग्राहक लाभान्वित हुए। वर्ष के दौरान, संविभाग में 4 नई प्राथमिक ऋण संस्थाएं जोड़ी गईं।

वित्त वर्ष 2009 में इसके प्रवर्तन से लेकर वित्त वर्ष 2025 तक एमएसई पुनर्वित्त (एमआरएफ) से संचयी संवितरण ₹3,90,217 करोड़ रुपये रहा।

एनबीएफसी को पुनर्वित्त

वित्त वर्ष 2025 के अंत तक सिडबी का बकाया एनबीएफसी संविभाग पिछले वर्ष के ₹55,205 करोड़ की तुलना में ₹64,189 करोड़ रुपये रहा, जो 16% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान किए गए ऋणों से लगभग 4.21 लाख एमएसएमई ग्राहक लाभान्वित हुए। यह संविभाग एएए से लेकर अनरेटेड एनबीएफसी तक सभी एनबीएफसी संस्थाओं में व्याप्त था।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 14 नई एनबीएफसी को शामिल किया और वित्त वर्ष 2025 के अंत तक सभी योजनाओं के अंतर्गत इनकी कुल संख्या 118 एनबीएफसी की हो जाएगी। इसके अलावा, बैंक ने 46 छोटी एनबीएफसी को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिन्हें ए और उससे निम्न रेटिंग प्राप्त थी /जो अनरेटेड थीं।

एनबीएफसी क्षेत्र के लिए विकासापरक पहल

- बैंक ने ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (जीएएमई) के साथ मिलकर एक एनबीएफसी ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम (एनजीएपी) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य छोटी/कम रेटिंग वाली एनबीएफसी कंपनियों की क्षमता निर्माण करना है। **पहले चरण में 17 एनबीएफसी को इसमें शामिल किया गया।**
- बैंक ने ऋण देने के लिए सह-वित्तपोषण पद्धति भी अपनाई है, जिसका उद्देश्य भागीदार एनबीएफसी की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाकर छोटी/कम रेटिंग वाली/बिना रेटिंग वाली एनबीएफसी के व्यापक दायरे तक पहुँच बनाना है। इस व्यवस्था के तहत, बैंक छोटी/कम रेटिंग वाली/बिना रेटिंग वाली एनबीएफसी (लक्ष्य एनबीएफसी) को प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण प्रदान करता है, जिन्हें भागीदार एनबीएफसी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। **वित्त वर्ष 2025 में, बैंक ने 3 भागीदार एनबीएफसी के साथ मिलकर 5 लक्षित एनबीएफसी को अपने साथ सहयोजित किया है।**

सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को पुनर्वित्त

वित्त वर्ष 2025 के अंत तक सिडबी का एमएफआई बकाया संविभाग 6,054 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹8,771 करोड़ था, जिसमें 31% की गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में अंतिम उधारकर्ताओं के बीच ऋणग्रस्तता में वृद्धि, आय में गिरावट आदि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के ऋण संविभाग में वसूली संबंधी दबाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अधिकांश एनबीएफसी-एमएफआई ने इस क्षेत्र में दबाव के परिणामस्वरूप उच्च ऋण- हानि के प्रावधान किए हैं और ऋणों को बट्टे खाते में दर्ज किए हैं।

एमएफआई द्वारा अपने ऋण हामीदारी अंकन और वसूली प्रविधि पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण इसमें गिरावट आई है। सघन प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने समग्र मंदी के अनुरूप इस क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप की गति को मध्यम बनाते हुए सचेत निर्णय लिया तथा क्षेत्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप इस खंड के अंतर्गत ऋण संविभाग को रणनीतिक रूप से कम किया।

II. प्रत्यक्ष ऋण

शाखा नेटवर्क, भागीदार संस्थाओं और डिजिटल ऋण प्रदायगी के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण संविभाग में वित्त वर्ष 2025 के दौरान 41% की संवृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2025 के अंत तक बकाया ₹37,781 करोड़ हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 के अंत तक यह ₹26,826 करोड़ था। इस मजबूत संवृद्धि के मूल में मुख्यतया कतिपय संरचनात्मक और उत्पाद स्तर के हस्तक्षेपों जैसे संपूर्ण ऋण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, नए उत्पादों का प्रारंभ, प्रतिस्पर्धी दरों और नई शाखाओं के प्रवर्तन आदि रेखांकित होते हैं।

- **प्रत्यक्ष ऋण- शाखा नेटवर्क**

सिडबी अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान प्रत्यक्ष ऋण-शाखा नेटवर्क के तहत कतिपय प्रमुख प्रयास निम्नवत रहे :

भागीदारी और सहयोग

ग्राहक पहुँच बढ़ाने और नवोन्मेषी उत्पादों के डिज़ाइन की दृष्टि से बैंक विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्राहक अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमएसएमई के नए क्षेत्रों तक पहुँच बनाना है। वर्ष के दौरान, बैंक ने सिडबी के एमएसएमई ग्राहकों के लाभार्थियों को बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया है। यह उन राज्य सरकारों /लाभार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो सिडबी द्वारा जारी बैंक गारंटी स्वीकार नहीं करते हैं। बैंक ने रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) के साथ भी समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं, ताकि आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई को कार्य आदेशों के निष्पादन/पूंजीगत व्यय हेतु मशीनरी प्राप्त करने हेतु ऋण देने की प्रक्रिया सुगम हो सके। उक्त के अतिरिक्त, बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए उद्योग संघों, ओईएम आदि के साथ भी समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं।

नई शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का शुभारंभ

माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप, सिडबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 26 नई शाखाएँ खोली हैं, जिससे वित्त वर्ष 2025 तक सिडबी की शाखाओं की कुल संख्या 127 हो जाएगी, जो कुल मिलाकर 176 एमएसएमई समूहों को सेवा प्रदान करेंगी। नई शाखाएँ अल्प-सेवित क्षेत्रों में स्थित एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण के संबंध में बेहतर पहुँच सुनिश्चित करेंगी। साथ ही, इनसे सूक्ष्म ऋण, संपार्श्विक मुक्त व्यावसायिक ऋण, मशीनरी ऋण आदि पर भी ध्यान संकेंद्रित हो सकेगा।

नई शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का शुभारंभ

माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप, सिडबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 26 नई शाखाएँ खोली हैं, जिससे वित्त वर्ष 2025 तक सिडबी की शाखाओं की कुल संख्या 127 हो जाएगी, जो कुल मिलाकर 176 एमएसएमई समूहों को सेवा प्रदान करेंगी। नई शाखाएँ अल्प-सेवित क्षेत्रों में स्थित एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण के संबंध में बेहतर पहुँच सुनिश्चित करेंगी। साथ ही, इनसे सूक्ष्म ऋण, संपार्श्विक मुक्त व्यावसायिक ऋण, मशीनरी ऋण आदि पर भी ध्यान संकेंद्रित हो सकेगा।

नए/नवीनीकृत उत्पाद

बैंक ने नए उत्पाद /विशिष्ट उत्पाद का प्रवर्तन किए, जो मुख्य रूप से एमएसएमई की पुनरुत्थान /विकास की दिशा में सम्मुख आने वाली उदीयमान मांगों को पूरा करने पर केंद्रित हैं। बाज़ार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस, स्विफ्ट, स्विफ्ट-एफटी जैसे मौजूदा उत्पादों में सुधार/संशोधन किया गया।

सिडबी के नए ग्राहकों को शामिल करने के लिए "स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी)" के दायरे को और अधिक व्यापक बनाते हुए, बैंक ने एमएसएमई की मशीनरी /उपकरण संबंधी वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया उत्पाद, "स्वचालित मूल्यांकन और त्वरित मंजूरी के माध्यम से शीघ्र ऋण प्रदान करने की त्वरित प्रक्रिया (एक्सप्रेस 2.0)" का शुभारंभ किया है। उत्पाद ढाँचे में वित्तीय आय और व्यापार (फिट) / सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर)/ इकाई का समग्र जोकाटा सूचकांक और प्रवर्तकों के सिबिल क्रेडिट विज़न स्कोर के आधार पर स्वचालित मूल्यांकन की परिकल्पना की गई है।

बैंक द्वारा प्रवर्तित नए उत्पाद निम्मामुसार हैं -

- रक्षा एवं संबंधित क्षेत्रों में एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित सहायता (कैश डिफेंस) - पात्र एमएसएमई इकाइयों को सहमत रक्षा कार्य-आदेशों के शीघ्र निष्पादन के लिए अल्प /मध्यम अवधि की वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना।
- ईडीजीई अर्थात एमएसएमई को नए डीजी सेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण संबंधी उपायों को अपनाने के लिए स्टैंडअलोन डीजी सेट (आधारभूत ऐक्सेसरीज सहित) की खरीद के लिए सावधि ऋण सहायता शुरू की गई।
- एमएसएमई क्षेत्र में होटलों, रेस्तरां और अन्य उद्यमों के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए सहायता योजना (मोर) – यह सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से होटल, रेस्तरां, अन्य एमएसएमई क्षेत्र की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से परिचालित की जा रही है।
- कृषि आधारित उद्योगों में विकास और पुनर्सृजन-उन्मुख निवेश हेतु सहायता (एग्री-एआई) योजना खाद्य प्रसंस्करण सहित बागवानी, पुष्प कृषि में रत गैर-कृषि क्षेत्र की एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान के लिए आरंभ किया गया।
- ट्रेड्स ऑनबोर्डेड एमएसएमई सहायता (एटीओएम) - यह योजना ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत, शामिल और सक्रिय एमएसएमई विक्रेताओं के लिए डिजिटल ऋण प्रदान करते हुए मशीनरी/ उपकरणों की खरीद हेतु सावधि ऋण सहायता प्रदान करने के लिए प्रवर्तित की गई।

प्रत्यक्ष ऋण - भागीदार संस्थाएं

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) पर ध्यान संकेंद्रित करते हुए एमएसएमई क्षेत्र में पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सिडबी ने एनबीएफसी, एमएफआई, फिनटेक, बीसी आदि जैसे चैनल भागीदारों की विशेषज्ञता और बड़े नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने हेतु विभिन्न वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ भागीदारी की।

प्रमुख परिचालनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

प्रयास योजना

- सिडबी की प्रयास योजना अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को डिजिटल माध्यम से ₹50,000 से ₹5,00,000 तक की सहायता प्रदान करती है । इस योजना के तहत अब तक आईएमई को 3.15 लाख से अधिक के ऋण संवितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 85% से अधिक महिला लाभार्थी हैं। वित्त वर्ष 2025 में ₹2,029 करोड़ की राशि संवितरित की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025 तक की अवधि की इस योजना की संचयी ₹5,792 करोड़ की संवितरण की राशि शामिल है।
- सिडबी ने सुस्थापित स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली का लाभ उठाकर और उनके सदस्यों को व्यापक वैयक्तिक उद्यम योजना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) के माध्यम से वैयक्तिक उद्यम योजना (आईईएस) के क्रियान्वित करने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) और राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य किया है।
- आईईएस के अंतर्गत प्रत्येक सीएलएफ अपने पात्र सदस्यों को ₹ 50,000- ₹ 2,00,000 की सीमा में व्यक्तिगत ऋण की आवश्यकता होने पर शामिल कर सकता है। वर्ष के दौरान, 28 सीएलएफ को ऋण को मंजूरी प्रदान की गई और 800 से अधिक उधारकर्ताओं को आईईएस के अंतर्गत कुल ₹ 10 करोड़ से अधिक के ऋण मंजूर किए गए।

सह-उधार परिचालन

- एनबीएफसी के साथ सह-उधार व्यवस्था के अंतर्गत, बैंक का लक्ष्य छोटे एमएसएमई, विशेष रूप से नए उधारकर्ताओं को किफायती ऋण प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, इस योजना के तहत ₹1,791 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए ₹2,080 करोड़ का संचयी संवितरण 6,924 ऋणों के लिए किया गया।

प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से एनबीएफसी से ऋण आस्तियों की खरीद

- सिडबी ने प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से एनबीएफसी/ एचएफसी को तत्काल तरलता उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की है। इससे उनके लिए अधिक ग्राहकों की सहायता हेतु अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया सुगम हुई।
- वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹1,157 करोड़ संवितरित किए गए, जिसमें वित्त वर्ष 2025 तक विभिन्न एनबीएफसी /एचएफसी और एमएसएमई पूल बाय-आउट के माध्यम से 4,887 ऋणों के लिए संचयी संवितरण ₹1,206 करोड़ हो गया।

ऋण प्रदायगी व्यवस्था (सीडीए)

- एनबीएफसी के साथ ऋण प्रदायगी की व्यवस्था, कतिपय एनबीएफसी के साथ संरचित व्यवस्था के माध्यम से अभिगम-विस्तार की पहुंच बढ़ाने की एक पद्धति है, जिससे कि खुदरा ग्राहकों को उनकी विशेषज्ञता और पहुंच का उपयोग करके सहायता प्रदान की जा सके।
- वर्ष के दौरान, इस व्यवस्था के तहत विभिन्न एनबीएफसी को ₹65 करोड़ संवितरित किए गए तथा 2,712 ऋणों के लिए संचयी संवितरण ₹699 करोड़ हो गया।

उक्त पहलकदमियों के कारण भागीदार मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण संविभाग लगभग दोगुना हो गया और वित्त वर्ष 2025 के अंत में बकाया राशि ₹5,760 करोड़ हो गई, जिससे साल-दर-साल 98% की संवृद्धि दर्ज हुई है।

प्रत्यक्ष ऋण- डिजिटल

शाखा नेटवर्क के माध्यम से ऋण प्रदायगी संबंधी एक्सप्रेस जैसे डिजिटल उत्पादों के अलावा, बैंक ने जीएसटी सहाय और ट्रेड्स के अंतर्गत वित्तपोषण का अभिवर्द्धन किया है।

जीएसटी सहाय

- सिडबी ने ओपन क्रेडिट एन्हांसमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) और अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए एक संदर्भ जीएसटी सहाय ऐप का प्रवर्तन किया है। यह ऐप सूक्ष्म उद्यमों को जीएसटीएन से प्राप्त व्यापार डेटा, एए के माध्यम से बैंक संबंधी जानकारी, क्रेडिट ब्यूरो की स्थिति, ई-साइन, ई-स्टाम्पिंग, ई-एनएसीएच आदि का उपयोग करके प्रारंभ से लेकर चुकौती तक कागज़ रहित प्रक्रिया के रूप में 'ऑन टैप' चालान-आधारित (नकदी प्रवाह आधारित) छोटे मूल्य ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
- वर्ष के दौरान, जीएसटी सहाय कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र प्रगति उत्साहजनक रही है, जिसमें 1750 से भी अधिक ग्राहकों को कुल ₹600 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत करने, ₹315 करोड़ का संवितरण और 15000 से अधिक चालानों के वित्तपोषण के साथ ही अच्छी प्रगति दर्ज की गई है। 250 से अधिक जेएके और 52 एफपीएस को क्रमशः पीएमबीआई और बी2बी प्लेटफॉर्म से अपनी खरीदारी के वित्तपोषण की सुविधा मंजूर की गई है।
- इसके अलावा, बैंक ने उद्यमों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक डिजिटल बिज़नेस लोन उत्पाद (₹25 लाख) पेश किया है। जीएसटी सहाय इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए सृजित इस उत्पाद को मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है और यह एक सहज, कागज़ रहित और अपेक्षित ऋण मंजूरी की प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए तकनीक की दक्षता का उपयोग करता है। यह बिज़नेस लोन उत्पाद आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर ऋण स्वीकृति तक, पूरी डिजिटल ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे टर्नअराउंड समय कम होता है और ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा सुकर हो जाती है।

ट्रेड्स (टीआरईडीएस)

- सिडबी तीन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म अर्थात् आरएक्सआईएल, एम1एक्सचेंज और इनवॉइसमार्ट के माध्यम से ट्रेड्स का परिचालन कर रहा है। आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म पर 73 वित्त-प्रदायकों में सिडबी का शीर्ष 7 वित्त-प्रदायकों में विशिष्ट स्थान है। क्रेताओं की ऋण-सीमाएँ भी वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 138 हो गईं, जो पिछले वर्ष में 62 तक सीमित थीं।

डिजिटल ऋण संविभाग अर्थात् जीएसटी सहाय और ट्रेड्स में वित्त वर्ष 2025 के अंत तक ₹2,170 करोड़ रुपये के बकाया के साथ 52% की वार्षिक संवृद्धि दर्ज हुई।

हरित वित्तपोषण

सिडबी संधारणीय प्रथाओं को लागू करने में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता करने के लिए हरित वित्त पहल में शामिल है। संस्था ने एमएसएमई क्षेत्र के भीतर हरित वित्तपोषण को आगे बढ़ाने के लिए एक ढाँचे की स्थापना की है। समय के साथ ही सिडबी ने अनुभव प्राप्त किए हैं और संधारणीयता केंद्रित प्रयासों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से अंतर्दृष्टि हासिल की है। सिडबी संधारणीय प्रथाओं को अपनाने में एमएसएमई क्षेत्र के समर्थन हेतु हरित वित्तपोषण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

इसे दो प्रमुख योजनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है: हरित वित्तपोषण योजना (जीएफएस) और एंड-टू-एंड ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण योजना (4E)। ये दो हरित ऋण उत्पाद ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, सर्कुलर इकोनॉमी/अपशिष्ट प्रबंध और अनुकूलन परियोजनाओं की वित्तीय जरूरतों पर केंद्रित हैं। एक ओर जीएफएस ग्रीन परियोजनाओं से संबंधित वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करता है, तो दूसरी ओर 4ई योजना ब्राउनफील्ड/ मौजूदा उद्यमों के लिए ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं में निवेश को बढ़ावा देती है। वित्त वर्ष 2025 के अंत में हरित वित्तपोषण संविभाग ₹12,293 करोड़ का रहा, जिससे शाखा ऋण संविभाग का लगभग 41% का योगदान सुगम हुआ है।

1106 गीगावाट घंटा/वर्ष
ऊर्जा की बचत

2.95 प्रति मिलियन टन CO_2
जीएचजी उत्सर्जन में कमी

वित्तीय वर्ष 2022 से

9500+
एमएसएमई की सहायता की गई

₹16,600+ करोड़
मंजूर

₹12,290+ करोड़
बकाया

जीएचजी उत्सर्जन में कमी
सिडबी हरित वित्तपोषण संविभाग

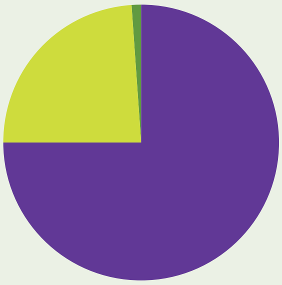

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का सशक्तीकरण

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र	ऋणों की सं.	मंजूर राशि (₹ करोड़)	वर्धित क्षमता (मेगावाट)
पीवी सोलर रूफटॉप	1813	2292	590
पीवी ग्राउंड माउंटेड	349	1653	425
पवन ऊर्जा	36	282	35
कुल	2198	4227	1050

एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का कार्यान्वयन

एमएसई-गिफ्ट और एमएसई-स्पाइस: सिडबी एमएसएमई मंत्रालय की एमएसई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (एमएसई-गिफ्ट) और एमएसई स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी (एमएसई-स्पाइस) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। ये योजनाएँ हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए ब्याज सहायता या सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में संधारणीय, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, प्रदान किए गए कुल हरित ऋणों में से 1958 हरित ऋणों को ब्याज प्रोत्साहन (आईएस) प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की एमएसई-गिफ्ट योजना (सिडबी द्वारा कार्यान्वित) के तहत कवर किया गया है, जिसमें से 560+ एमएसएमई इकाइयों ने ब्याज प्रोत्साहन का लाभ उठाया है।

जोखिम शमन रणनीति

सिडबी ने ऊर्जा दक्षता, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और विद्युत वाहनों पर विशिष्ट जोखिम साझाकरण सुविधा (आरएसएफ) का परिचालन किया है। इससे बैंकिंग कार्य-संव्यवहारों की अभिवृद्धि हुई है और अभिनव/ उभरते क्षेत्रों/ खंडों के लिए ऋण के प्रवाह में सुधार हुआ है।

अ) **ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम साझाकरण सुविधा (पीआरएसएफ)-** सिडबी (विश्व बैंक द्वारा समर्थित) द्वारा कार्यान्वित पीआरएसएफ को कई देशों में दोहराया जा रहा है और सीओपी 28 के दौरान ओईसीडी द्वारा 12 वैश्विक मॉडल में से एक के रूप में चुना गया है। आज पीआरएसएफ 84 मिलियन अमरीकी डालर की लागत की 83 परियोजनाओं के लिए गारंटी राशि सहित लगभग 138 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के साथ ईएससीओ बाजार को गतिशील बनाने में उत्प्रेरक का कार्य किया है, जिससे 385 गीगावॉट प्रति वर्ष की ऊर्जा बचत हुई है और उत्सर्जन में 0.30 मिलियन टन टीसीओ2/प्रति वर्ष की कमी आई है।

ब) **ईवी-आरएसएफ-** सिडबी शेल फाउंडेशन द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जोखिम साझा करने की सुविधा संचालित कर रहा है। द्वितीयक हानि सुविधा के रूप में जोखिम-साझाकरण सुविधा का उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ईवी ऋणों को कवर करने के लिए किया जा रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि ईवी-आरएसएफ के तहत समर्थित 1904 ईवी के साथ प्रति वर्ष लगभग 8762 टीसीओ2 की बचत होती है, जिसमें इसके अंतर्गत जारी 10 गारंटी को कवर करते हुए संविभाग का आकार ₹68.21 करोड़ का होगा।

स) एमएसडब्ल्यू-आरएसएफ - जीआईजेड द्वारा समर्थित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के लिए जोखिम साझाकरण सुविधा के तहत, अभी तक कुल 7 गारंटी जारी की गई हैं, जिससे ₹147.73 करोड़ की कुल परियोजनाएं सृजित हुई और ₹36.39 करोड़ का संविभाग तैयार हुआ।

वित्त वर्ष 2024-2025 में सिडबी द्वारा जुटाई गई बहुपक्षीय निधि:

सिडबी ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) की मान्यता प्राप्त संस्था (एई) और प्रत्यक्ष अभिगम संस्था है और इसने अपनी परियोजना के लिए सीधे जलवायु निधि को प्रदान करने या एई की भूमिका में ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए स्वयं को सबसे उपयुक्त डीएफआई के रूप में स्थापित किया है। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड (एएसएफ) 120 मिलियन अमरीकी डालर का उद्यम पूंजी कोष है, जिसका उद्देश्य भारत में आरंभिक चरण की जलवायु प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियों में निवेश करना है। सिडबी ने एएसएफ कार्यक्रम के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) से 24.5 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, जीसीएफ ने 200 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण मंजूर किया है, जिसे एमएसएमई उद्यमों को उनके हरित हस्तक्षेप के लिए वित्तपोषित करने हेतु सिडबी से 800 मिलियन अमरीकी डालर तक के सह-वित्तपोषण में सहयोजित किया जाएगा। सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र में हरित निवेश को बढ़ाने के लिए केएफडब्ल्यू (150 मिलियन अमरीकी डालर) और एएफडी (100 मिलियन अमरीकी डालर) से हरित ऋण-व्यवस्था (एलओसी) का भी लाभ उठाया है और एमएसएमई क्षेत्र में हरित निवेश को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय पक्षकारों के साथ सतत साझेदारी कर रहा है।

ग्रीन इनक्लूसिविटी (जीआरआईटी) - सिडबी ईई हस्तक्षेप के माध्यम से स्मार्ट क्लस्टर विकसित कर रहा है। जीआरआईटी (ग्रीन इनक्लूसिविटी) नामक प्रयास ईएससीओ के माध्यम से काम करती है, जहां एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता और विस्तृत ऊर्जा ऑडिट पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए ईएससीओ को नियोजित किया जाता है। इससे एमएसएमई अपने परिचालन को बेहतर बनाने और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो बैंक वित्त द्वारा समर्थित है।

इनक्यूबेटरों के माध्यम से उद्यम ऋण / बीज निधि

स्टार्ट-अप वेंचर डेट स्कीम: बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023 में एमएसएमई/स्टार्टअप्स के लिए वेंचर डेट की जो रूपरेखा प्रवर्तित की गई थी, उसे वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के दौरान उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, ₹298 करोड़ का संवितरण किया गया। यह वित्त वर्ष 2025 के अंत तक दोगुना बढ़कर ₹402 करोड़ हो गया।

भावी भारत का समर्थन - इनक्यूबेटरों के माध्यम से सीड फंड: इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ साझेदारी में प्रभावशाली और उत्पाद/आईपी-संचालित स्टार्टअप की सीड फंडिंग के लिए बैंक के अनूठे मॉडल के परिणामस्वरूप 16 इन्क्यूबेटरों में ₹121 करोड़ के मंजूर सीड फंड कॉर्पस के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि हुई। स्टार्टअप्स के लिए संबंधित मंजूरी, वित्त वर्ष 2023 में ₹2 करोड़ की मंजूरी के साथ 1 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹41.58 करोड़ की मंजूरी के साथ 71 स्टार्टअप हो गई। इसमें वित्त वर्ष 2025 के दौरान रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए 3 इन्क्यूबेटरों को अतिरिक्त ₹13 करोड़ की मंजूरी भी शामिल है, जिससे रक्षा क्षेत्र के तहत 8 इन्क्यूबेटरों के लिए संचयी मंजूरी ₹38 करोड़ रुपये हो गई है।

III. सिडबी क्लस्टर विकास निधि

- एमएसएमई क्लस्टरों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एक बड़ी बाधा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने सिडबी को एक कम लागत वाली निधि "सिडबी क्लस्टर विकास निधि (एससीडीएफ)" प्रदान की है, जिसके माध्यम से बैंक एमएसएमई क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है।
- एससीडीएफ के तहत, बैंक ने नए/मौजूदा एमएसएमई क्लस्टरों में बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं के सृजन/उन्नयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सुविधा प्रदान करने वाली 158 परियोजनाओं में ₹6,836 करोड़ की निधि की प्रतिबद्धता की है ।
- वर्ष के दौरान, एमएसएमई क्लस्टर अवसंरचना विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं को एससीडीएफ के अंतर्गत शामिल किया गया है। मार्च 31, 2025 तक इस संविभाग के अंतर्गत बकाया राशि ₹2,931 करोड़ थी।
- मार्च 31, 2025 तक 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने एससीडीएफ के तहत सहायता प्राप्त की है।

IV. इक्विटी वित्त

फंड ऑफ फंड्स के अंतर्गत, सिडबी सेबी पंजीकृत वेंचर फंड्स /एआईएफ में अंशदान करता है। योजना के अधिदेश के अनुसार एमएसएमई/स्टार्टअप्स में इन्हें अपनी निधि की निर्दिष्ट राशि का निवेश करना आवश्यक है।

फंड ऑफ फंड्स का परिचालन

- **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस):** स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की कुल राशि ₹10,000 करोड़ है और यह सेबी-पंजीकृत वेंचर फंड्स/ एआईएफ में योगदान करता है। अभी तक एफएफएस ने 153 एआईएफ में ₹11,808 करोड़ की सकल प्रतिबद्धताएँ पूरी कर ली हैं और मूल आवंटन लक्ष्य को पार कर लिया है। यह उपलब्धि मार्च 2026 की प्रारंभिक परिकल्पित समय-सीमा से काफी पहले ही हासिल कर ली गई।
- **एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार का एस्पायर फंड:** सिडबी ₹310 करोड़ की एस्पायर फंड का प्रबंध कर रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में स्टार्ट-अप का समर्थन करना है। योजना के तहत कुल वचनबद्धताएं ₹217.50 करोड़ हो गईं।

राज्य निधि कोष

ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड:

इस फंड को वित्त वर्ष 2024 के दौरान आरंभ किया गया था और वर्तमान आवंटन/कॉर्पस ₹100 करोड़ के संबंध में सिडबी ने पूर्व में ही 5 एआईएफ को ₹00 करोड़ की प्रतिबद्धता पूरी कर ली है, जिससे उपलब्ध आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो गया है।

बिहार स्टार्टअप स्केल-अप फाइनेंसिंग फंड:

वित्त वर्ष 2024 में प्रवर्तित इस फंड की वर्तमान निधि ₹50 करोड़ है। इसमें से सिडबी द्वारा राज्य में स्टार्टअप निवेश को समर्थन देने के लिए 4 एआईएफ को ₹17 करोड़ की प्रतिबद्धता कर दी गई है।

महाराष्ट्र के लिए फंड ऑफ फंड्स:

₹100 करोड़ के कॉर्पस के साथ महाराष्ट्र स्थित स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स को वित्त वर्ष 2025 में आरंभ किया गया।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड:

उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹1,000 करोड़ की स्टार्ट-अप फंड का आरंभ किया, जिसका प्रबंध सिडबी द्वारा किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, यूपी सरकार ने विभिन्न एआईएफ को योगदान की सुविधा के लिए अतिरिक्त ₹100 करोड़ जारी किए, ताकि उन्हें स्टार्टअप में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इससे जारी की गई निधि की कुल राशि ₹325 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, योजना के तहत ₹250 करोड़ की प्रतिबद्धता पूरी हो गई है।

उपरोक्त मानचित्र पैमाने पर नहीं हैं। केवल उदाहरण के लिए हैं।

इंडिया अल्पवित्त इक्विटी फंड (आईएमईएफ) के तहत परिचालन

भारत सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत छोटी अल्पवित्त संस्थाओं को इक्विटी सहायता प्रदान करने हेतु इंडिया अल्पवित्त इक्विटी फंड का प्रवर्तन किया। बैंक ने इस प्रक्रिया में स्व-नियामक संगठनों से गहन विचारविमर्श किया और पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एमएफआई संस्थाओं को लक्ष्य करते हुए अहमदाबाद और कोलकाता में अभिगम कार्यक्रम आयोजित किए। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2025 में 12 एमएफआई को ₹15 करोड़ मंजूर किए गए।

ख. जोखिम प्रबंध

बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंध, बाजार जोखिम प्रबंध, परिचालनगत जोखिम प्रबंध, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया, सूचना सुरक्षा जोखिम और व्यवसाय सातत्य प्रबंध जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंध प्रणाली स्थापित की गई है।

बैंक की जोखिम प्रबंध समिति अपनी गतिविधियों में शामिल जोखिमों की निगरानी और उनका प्रबंध करती है।

बैंक ने विभिन्न संबद्ध जोखिमों और उनके शमन के लिए कतिपय जोखिम प्रबंध नीतियां जैसे उद्यम जोखिम प्रबंध नीति (ईआरएम), प्रतिभूति और संपार्श्विक प्रबंध नीति, बाजार जोखिम प्रबंध नीति (एमआरएमपी), परिचालन जोखिम प्रबंध नीति (ओआरएम), आईटी सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, व्यवसाय निरंतरता प्रबंध नीति (बीसीएम), आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति (आईसीएएपी), देश जोखिम प्रबंध नीति, आस्ति देयता प्रबंध नीति (एएलएम), तरलता प्रबंध नीति, निवेश नीति, डेरिवेटिव आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश (आईसीजीडी), मॉडल सत्यापन नीति और बेसल-III प्रकटीकरण नीति कार्यान्वित की हैं।

वर्ष के दौरान पहलकदमियां :

बेसल-III का कार्यान्वयन

बैंक की नीतियों की समीक्षा की गई है और उन्हें बेसल III पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार अद्यतन किया गया है, जिसे बोर्ड ने भी अनुमोदित कर दिया है। सीआरएआर गणना के लिए आवश्यक प्रणालियाँ स्थापित कर दी गई हैं और बेसल III के अंतर्गत स्तंभ 3 पर केंद्रित प्रकटीकरण कार्य संपन्न कर लिए गए हैं। बैंक ने 1 अप्रैल, 2024 से बेसल III संबंधी दिशानिर्देशों को लागू कर दिया है।

नये डिजिटल टूल और स्वचालन का अपनाया जाना

बैंक ने ऋण हामीदारी अंकन प्रक्रिया और क्रेडिट रेटिंग प्रविधि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नए डिजिटल टूल को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। यह अभिदान-आधारित सेवाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जिसमें निम्नलिखित दो प्रमुख घटक शामिल हैं :

- वित्तीय प्रसार का एक एआई टूल जिससे उपयोगकर्ताओं को लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों से वित्तीय डेटा प्राप्त करते हुए सटीकता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करके अनुकूलित वित्तीय टेम्पलेट्स में वित्तीय विश्लेषण संबंधी कार्य सुगम हो सकेगा।
- सम्यक् सावधानी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एमसीए/सेबी/ईपीएफओ/अन्य नियामकों के पास उपलब्ध कंपनियों के डेटाबेस तक पहुंच के माध्यम से 3600 जोखिम मूल्यांकन को सुकर बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता के स्तर पर पृष्ठभूमि संबंधी व्यापक परीक्षण की प्रक्रिया सुगम हो सकेगी।

प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्लेटफॉर्म का पुनर्निमाण और सुदृढ़ीकरण

बैंक ने ईडब्ल्यूएस प्रविधि को 15 जुलाई, 2024 के आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुरूप नया रूप दिया है और इसे सशक्त बनाया है, जिससे बेहतर नियामक अनुपालन और प्रभावी जोखिम प्रबंध प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

बाजार जोखिम प्रबंधन पहल

बैंक ने सप्ताह के दौरान देयताओं को पूरा करने के लिए साप्ताहिक आधार पर तरलता की समीक्षा के प्रवर्तन के साथ ही, मासिक समीक्षा सहित त्रैमासिक आकस्मिकता वित्तपोषण योजना और आस्ति-दबाव परीक्षण की शुरुआत की।

ग. एनपीए निगरानी

सिडबी संविभाग की गुणवत्ता बनाए रखने और एनपीए खातों से वसूली पर अत्यधिक बल दे रहा है।

₹5 करोड़ और उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले सभी अलग-अलग एनपीए मामलों और एसएमए, पुनर्संरचित खातों की तिमाही आधार पर समीक्षा करने के लिए एक बोर्ड स्तरीय वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड तिमाही आधार पर सभी एनपीए की स्थिति, एनपीए संबंधी वसूली, नई चूक, दी गई राहत की बारीकियों, समझौता-आधारित निपटान और विवेकपूर्ण / वास्तविक बट्टे खाते डालने की समीक्षा करता है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹286 करोड़ की वसूली की गई, जबकि वित्त वर्ष 2025 के अंत में बैंक का सकल एनपीए ₹183 करोड़ (वित्त वर्ष 2024 में ₹100 करोड़ की तुलना में) था। शुद्ध एनपीए शून्य था (वित्त वर्ष 2024 में निल की तुलना में)।

घ. प्रकाशन और पहुंच

सिडबी क्रेडिट ब्यूरो आदि की मदद से ज्ञानपरक उत्पादों के प्रकाशन के साथ सूचना-विषमता को कम करने और नीति निर्माताओं की निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उन्हें कई भारतीय भाषाओं में जारी करने की दिशा में कार्यरत है।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को समझना:

यह रिपोर्ट विनिर्माण, सेवा और व्यापार के 19 क्षेत्रों में 2,097 एमएसएमई उद्यमों के सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय एमएसएमई क्षेत्र पर केंद्रित जानकारी प्रदान करती है। इसमें वित्त तक पहुँच, प्रौद्योगिकी अपनाने, प्रतिस्पर्धा, अनुपालन, बाज़ार अभिगम, बुनियादी ढाँचा, आपूर्ति श्रृंखला और कुशल श्रम की उपलब्धता जैसी प्रमुख चुनौतियों को शामिल किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के साथ ही, रिपोर्ट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण अंतराल का व्यापक प्राक्कलन भी किया गया है।

एमएसएमई पल्स:

यह सिडबी-ट्रांसयूनियन सिबिल की एक पहल है, जो एमएसएमई क्षेत्र की ऋण संबंधी स्थिति पर दृष्टिपात करती है तथा संस्थागत ऋणदाताओं और हितधारकों को अपेक्षित जानकारी प्रदान करती है।

माइक्रोफाइनेंस पल्स:

यह अल्पवित्त क्षेत्र की ऋण-प्रवृत्तियों पर केंद्रित सिडबी-इक्विफैक्स की त्रैमासिक रिपोर्ट है, जो इस क्षेत्र पर डेटा-समर्थित नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

संपर्ण:

यह एक एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक है। संपूर्ण सिडबी और जोकाटा द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह एमएसएमई-विशिष्ट उच्च आवृत्ति संकेतक एमएसएमई के संदर्भ में भारत के विकास इंजन की आर्थिक गतिविधि को प्रतिदर्शित करता है।

संधारणीयता दृष्टिकोण सूचकांक (एसपीईएक्स):

सिडबी - डीऐंडबी ने भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के संधारणीय परिदृश्य पर एक व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक सूचकांक तैयार किया है, जिसमें तीन आयामों यथा जागरूकता, उत्सुकता और संधारणीय उपायों के कार्यान्वयन पर व्यावसायिक संधारणीयता की धारणा को मूर्त रूप देने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों का आकलन किया गया है।

एमएसएमई आउटलुक सर्वेक्षण:

यह लगभग 1200 एमएसएमई उद्यमों के आधार पर निर्मित एक त्रैमासिक अखिल भारतीय सर्वेक्षण है, जो व्यावसायिक निष्पादन से लेकर कुशल श्रम की उपलब्धता, रोज़गार सृजन, क्षमता-अभिवृद्धि, वित्तीय पहुँच, निधियों की लागत, व्यवसाय की प्रक्रियागत सहजता आदि जैसे मानदंडों पर प्रकाश डालता है। इससे एमएसएमई की वर्तमान व्यावसायिक स्थिति और भविष्य की अपेक्षाओं का आकलन सुगम हो जाता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य एमएसएमई व्यवसाय विश्वास सूचकांक (एम-बीसीआई) और एमएसएमई व्यवसाय अपेक्षा सूचकांक (एम-बीईआई) तैयार करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण डेटा अंतराल को दूर करना है।

च. एमएसएमई क्षेत्र के लिये डिजिटल प्रयास

सिडबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बैंक अपने निर्णय लेने और उधार देने की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के साथ-साथ इस पारितंत्र में डिजिटल हस्तक्षेपों को लागू कर रहा है। बैंक द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

एमएसएमई औपचारिकीकरण परियोजना: उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म

- कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सिडबी के साथ उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का उद्घाटन 11 जनवरी, 2023 को एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को अर्थात् निर्दिष्ट नामित एजेंसी (डीए) के माध्यम से जीएसटी शासन के तहत अ-पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को पंजीकृत कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई आदि जैसी विनियमित संस्थाओं सहित 45 नई नामित एजेंसियाँ (डीए) यूएपी पर सम्मिलित हुईं, जिससे यूएपी पर इनकी कुल संख्या 215 से भी अधिक हो गई। इसके अलावा, यूएपी के माध्यम से 99 लाख से अधिक विशिष्ट आईएमई पंजीकृत किए गए, जिससे यूएपी पर पंजीकृत विशिष्ट आईएमई की कुल संख्या 265 लाख से अधिक हो गई।

स्टैंड अप मित्र और उद्यमीमित्र पोर्टल्स (समरूपी पोर्टल) (www.udyamimitra.in/ www.standupmitra.in)

सिडबी डीएफएस के सहयोग से स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 2016 से स्टैंडअप इंडिया पोर्टल और उद्यमीमित्र पोर्टल का विकास और अनुरक्षण कर रहा है। 460 बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जो इनकी 1.8 लाख से अधिक शाखाओं को जोड़ते हैं। कतिपय मंत्रालयों के अंतर्गत उदयमित्रा पोर्टल को विभिन्न क्रेडिट/एमएसएमई योजनाओं के सिडबी के डिजिटल कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए नया रूप दिया गया था, जिसमें कई हितधारकों के लिए आवश्यकता-आधारित कार्यप्रवाह समाहित थे। इस प्लग-एंड-प्ले मॉडल ने ऑनबोर्डिंग-समय को कम किया और कार्यक्रम-दक्षता को बढ़ाया।

उद्यमीमित्र पोर्टल और तत्संबंधी संरचना के सदुपुयोग के साथ प्रवर्तित कुछ प्रमुख और प्रभावशाली योजनाएं हैं पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, स्टैंड अप इंडिया, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि आदि। सिडबी ने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग पोर्टल भी सृजित किए हैं, जिससे उद्यमीमित्र के साथ इनकी अपेक्षित ब्रांडिंग और सरल एकीकरण की सुविधा प्राप्त होती है। आज यह सिडबी के लिए एक मूल्यवान डिजिटल संपत्ति बन गई है।

विभिन्न कार्यक्रमों के पोर्टल निम्नलिखित प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हैं:

कार्यक्रम का नाम	मंत्रालय का नाम	कार्यक्रम पोर्टल
स्टैंड अप इंडिया	वित्तीय सेवा विभाग - वित्त मंत्रालय	https://portal.standupmitra.in/
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	पशुपालन एवं डेयरी विभाग - मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय4	https://nlm.udyamimitra.in/
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	पशुपालन एवं डेयरी विभाग - मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय	https://ahidf.udyamimitra.in/
फार्मा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	https://pli-pharma.udyamimitra.in/
दूरसंचार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	https://pli-telecom.udyamimitra.in/
पीएम स्वनिधि	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	www.pmsvanidhi.mohua.gov.in
पीएम विश्वकर्मा	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	https://pmvishwakarma.gov.in/
फार्मास्युटिकल उद्योग का सुदृढ़ीकरण	फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	https://spi.udyamimitra.in/
सामान्य सुविधा चिकित्सा उपकरण समूह सहायता	फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	https://amdcf.udyamimitra.in/
विक्रेता कनेक्ट पोर्टल	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	https://vendorconnect.udyamimitra.in/
स्वावलंबन चैलेंज फंड	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	https://scf.udyamimitra.in/
स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	https://sck.udyamimitra.in/

छ. सूत्रधार की भूमिका

सिडबी भारत सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कतिपय प्रमुख कार्यक्रम नीचे सूचीबद्ध हैं:

पीएम स्वनिधि

भारत सरकार का आवास और शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए) कोविड-19 से प्रभावित शहरी स्ट्रीट वेंडरों को अल्पवित्त प्रदान करने के लिए 1 जून, 2020 से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएम विश्वकर्मा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) ने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में परिष्कार और उनकी पहुंच को बढ़ाना है।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ

सिडबी फार्मास्युटिकल उद्योग (₹15,000 करोड़) और दूरसंचार (₹12,195 करोड़) के लिए पीएलआई योजनाओं का प्रबंध करता है।

फार्मास्युटिकल उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना - एसपीआई

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का फार्मास्युटिकल विभाग (डीओपी) इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। एसपीआई योजना (वित्त वर्ष 25-26 तक ₹500 करोड़) फार्मा क्लस्टरों और एमएसएमई में उत्पादकता को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना

सिडबी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना का कार्यान्वयन भागीदार है, जिसका कार्यान्वयन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (डीएएचडी) द्वारा किया जा रहा है। सिडबी एनएलएम योजना के लिए निधि प्रदान करने वाली एजेंसी की भूमिका भी निभाता है।

सामान्य सुविधा चिकित्सा उपकरण समूह सहायता (सीएफएमडीसी)

सिडबी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना की परियोजना प्रबंध एजेंसी (पीएमए) है।

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस)

जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के आरंभ से सिडबी के माध्यम से 1846 इकाइयों को कुल ₹218.94 करोड़ के पूंजी सब्सिडी संबंधी दावे निपटाए जा चुके हैं।

ज. विकास और प्रभाव के लिए कार्यक्रम

i. वित्तीय संस्थानों के विकास (डीएफआई) के अपने अधिदेश के अनुरूप, सिडबी एमएसएमई की विभिन्न गैर-वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एमएसएमई के संवर्द्धन और विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है।

ii. **मिशन स्वावलंबन** के अंतर्गत बैंक की विभिन्न गतिविधियों के परिणाम वर्ष के लिए संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

पहुँच: **3,05,500+**

प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं: **75,400+**

सृजित उद्यम /आजीविका: **32,300+**

ऋण कनेक्ट: **18,870+**

बाजार कनेक्ट: **8,140+**

कतिपय पहलकदमियों के संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैं :

1

उद्योग संघों के विकास के लिए हस्तक्षेप

बैंक ने पूरे भारत में औद्योगिक समूहों के उद्योग संघों के विकास के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

यह कार्यक्रम उद्योग संघों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान "अमूर्त" (सॉफ्ट) हस्तक्षेपों के माध्यम से करता है, जैसे मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए व्यवसाय सहायता कर्मी को नियोजित करना तथा कार्यालय अवसंरचना विकास के लिए "मूर्त" (हार्ड) हस्तक्षेप करना।

2

सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम (एमईपीपी)

एमईपीपी (पूर्ववर्ती ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम - आरआईपी) सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन हेतु एक एकीकृत कार्यक्रम है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, 1149 इकाइयों की स्थापना की गई है, 902 लाभार्थियों को ऋण सुविधा के साथ-मार्गदर्शी सेवाएँ भी प्रदान की गई।

3

स्वावलंबन चैलेंज फंड (एससीएफ)

एससीएफ विकास संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव और परिणाम-आधारित समाधानों को क्राउड-सोर्स करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यवस्था है। 2021 से तीन एससीएफ विंडो शुरू की गई हैं और देश भर में 1,100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वित्त वर्ष 2025 में 7,000 से अधिक लाभार्थियों को संगठित और प्रशिक्षित किया गया है, 1400 से अधिक उद्यम/आजीविका सृजित हुए हैं, 340 से अधिक लाभार्थियों को औपचारिक ऋण प्रदान किया गया है और 1200 से अधिक लाभार्थियों को बाजार संपर्क के लिए सहायता प्रदान की गई है।

4

महिला आजीविका सृजन कार्यक्रम

सिडबी ने महिला आजीविका सृजन कार्यक्रम (डब्ल्यूएलजीपी) के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंकिंग मित्र, भारत को सहयोग प्रदान किया, जिसमें असम, मेघालय और नागालैंड के दो-दो जिलों में आजीविका/नैनो/सूक्ष्म उद्यम सृजित करने के लिए निम्न आय वर्ग के परिवारों की 1,500 महिलाओं की भागीदारी शामिल है।

5

स्वराज (जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के साथ महिलाओं और युवाओं का कौशल विकास)

इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों के 200 गाँवों के 1000 बेरोजगार युवाओं का क्षमता निर्माण करना है। इस परियोजना के तहत 750 से अधिक लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

6

एनआई-एमएसएमई परिसर, हैदराबाद में वित्तीय समावेशन केंद्र के लिए एक पीठ की स्थापना

सिडबी और सीजीटीएमएसई ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) परिसर में वित्तीय समावेशन केंद्र (सीएफआई) के लिए एक पीठ की स्थापना की है। इसका उद्देश्य एमएसई में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श के बारे में जागरूकता पैदा करना, वित्तीय विवेक पर ज्ञान का प्रसार करना और औपचारिक एवं सुव्यवस्थित ऋण के अवसर विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, सिडबी ने विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, त्रिशूर में भी पीठों की स्थापना की है।

सिडबी क्लस्टर हस्तक्षेप कार्यक्रम (सीआईपी)

- इस कार्यक्रम का प्रवर्तन चुनिंदा क्लस्टरों में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि कार्यनीतियों की रूपरेखा और कार्यान्वयन के माध्यम से एमएसएमई को विभिन्न व्यावसायिक विकास सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनिंदा क्लस्टरों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें एक मजबूत प्रदर्शन प्रभाव के साथ आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करना है।

- बैंक ने 20 क्लस्टरों (अगस्त 2024 में संपन्न 5 क्लस्टर) में विशिष्ट बीडीएस क्लस्टर हस्तक्षेप कार्यक्रम (सीआईपी) को भी अपनाया है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान इन समूहों में 180 से अधिक हस्तक्षेप किए गए।

झ. नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी प्रयास

सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ) सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ), जो एक सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत है, विभिन्न गैर-लाभकारी संगठनों जैसे; चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसायटी, सहकारी, एसएचजी फेडरेशन, उत्पादक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करके नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों का संचालन करता है, जो अनौपचारिक श्रमिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वंचित युवाओं, आदिवासियों, बुजुर्ग आबादी आदि के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव सृजन पर विशेष बल देते हुए समाज के निचले तबके की सेवा करते हैं।

वित्त वर्ष 2025 में एसएसएफ के कार्यक्रमों ने 19000 से अधिक अल्पसेवित लोगों के जीवन को रूपांतरित किया, जिससे 50% महिलाएं लाभान्वित हुईं। इनमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित नर्सिंग क्षेत्र से संबद्ध महिलाएँ शामिल थीं।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, एसएसएफ द्वारा संपन्न कतिपय प्रभावी सीएसआर गतिविधियाँ इस प्रकार रहीं:

वंचित महिलाओं के लिए सतत आजीविका: 'ईवी टैक्सी चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम': इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर और बेंगलोर में 250 वंचित महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) टैक्सी चालक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को ईवी ड्राइविंग कौशल सीखने और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिली है।

आंध्र प्रदेश में जनजातीय समुदायों के साथ 'बांस शिल्प नवाचार केंद्र' की स्थापना: बांस शिल्प नवाचार केंद्र स्थापित करने पर केंद्रित यह परियोजना बांस की वस्तुओं/उत्पादों के निर्माण के लिए 2000 जनजातीय युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु आंध्र प्रदेश के एएसआर जिले के चिंतापल्ली मंडल में कार्यान्वित की जा रही है।

मुंबई में वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए "मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट" के रूप में कौशल विकास और आजीविका सृजन: यह परियोजना समाज के वंचित वर्ग की 200 महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहां इन महिला लाभार्थियों को "मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट" (एमएनए) के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

विभिन्न कलात्मक स्वरूपों को बढ़ावा देकर कारीगरों के उद्यम को सुगम बनाना: यह परियोजना मधुबनी के कला स्वरूप, सुजनी कढ़ाई परंपरा और सिक्की घास शिल्प के उद्यम विकास कार्यक्रम में कारीगरों को सक्रिय रूप से शामिल कर रही है और इसके द्वारा 300 महिला कारीगरों को उत्पादक कंपनी में संस्थागत रूप प्रदान किया जाएगा, आपूर्ति-श्रृंखला का सृजन आदि पूरा किया जाएगा।

'क्लीनिक ऑन व्हील्स': संजीवनी परियोजना के तहत, सिक्किम, गंगटोक के ग्रामीण इलाकों में मुफ्त में आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण समुदायों के हितों को सशक्त बनाने पर केंद्रित प्रभावशाली गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की गई।

इसके अलावा, एसएसएफ ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए एनजीओ को सहायता प्रदान की तथा जल एटीएम स्थापित करने में भी सहायता की।

ञ. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध

बैंक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, धोखाधड़ी के मामलों की विशेष लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ, शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्य संपन्न करता है। बैंक ने प्रत्यक्ष ऋण परिचालन वाले सभी शाखा कार्यालयों में बाह्य सीए फर्मों के माध्यम से समवर्ती लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया का भी प्रवर्तन किया है।

ट. मानव पूँजी प्रबंध

मार्च 31, 2025 तक बैंक में 1,091 स्थायी कर्मचारी थे, जिनमें 1013 अधिकारी, 64 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और 14 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे।

कर्मचारियों में 260 (कुल संख्या का 23.83%) ओबीसी श्रेणी से, 32 दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से और 1 कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित हैं। इसके अलावा, 183 कर्मचारी (कुल संख्या का 16.77%) एससी श्रेणी से और 83 कर्मचारी (कुल संख्या का 7.6%) एसटी श्रेणी के हैं।

बैंक में महिला कर्मचारियों की संख्या 227 है (कुल संख्या का 20.80%)। बैंक सदैव महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता रहा है और करियर में प्रगति के लिए निष्पक्ष एवं उचित प्रथाओं को लागू करता रहा है।

व्यवसाय में निरंतर वृद्धि और जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक ने नियमित आधार पर अनुभवी व्यावसायिक रूप से दक्ष व्यक्तियों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि विशिष्ट कार्यों के लिए संविदात्मक आधार पर और बैकएंड एवं परिचालन सहायता के लिए आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। बैंक ने 50 ग्रेड 'ए' अधिकारियों, 10 ग्रेड 'बी' अधिकारियों, सिस्टम स्ट्रीम में 6 ग्रेड 'बी' अधिकारियों और विधि स्ट्रीम में 6 ग्रेड 'बी' अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इन अधिकारियों के वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है।

बैंक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के कौशल और उनकी दक्षताओं में अभिवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने 122 बाह्य और आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल 1989 नामांकन किए, जिनमें 14 विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। कुल नामांकनों में से 283 नामांकन महिला कर्मचारियों के थे। इसके अलावा, 305 नामांकन अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए और 159 नामांकन अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए थे। इन नामांकनों में बैंक के 961 कर्मचारी शामिल किए गए।

यौन उत्पीड़न निवारण - आंतरिक शिकायत समिति : बैंक अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल को प्रमुखता से बढ़ावा देता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में आंतरिक शिकायत समितियाँ स्थापित की हैं। वर्ष के दौरान, आंतरिक समितियों को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ठ. सूचना प्रौद्योगिकी

आईटी संचालन बैंक की वित्तीय, गैर-वित्तीय और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। बैंक ने कई प्लेटफ़ॉर्म और इकोसिस्टम परियोजनाओं को लागू करके परिचालनों का आद्योपांत डिजिटलीकरण किया है और एमएसएमई पारितंत्र में मूल्यवर्धन किया है। कतिपय एपीआई से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं को स्वतः भरकर एक अधिक प्रभावी उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन मॉड्यूल को नया रूप दिया गया है। बैंक ने विभिन्न स्तरों पर पोर्टफोलियो निष्पादन की निगरानी और ट्रैकिंग हेतु व्यावसायिक मानदंडों और अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु शक्तिशाली बीआई और विज़ुअलाइज़ेशन टूल लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदनों की प्राप्ति और प्रसंस्करण के लिए भागीदार ऋण अनुप्रयोगों /प्रणालियों को डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया। साथ ही, बैंक की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, साइबर सुरक्षा और व्यवसाय सातत्य प्रबंध (बीसीएम) प्रशिक्षण आयोजित किए गए। साथ ही, जागरूकता अलर्ट और कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं। बैंक ने दोषपूर्ण बिंदुओं की पहचान करने, व्यावसायिक जोखिमों का आकलन करने और अपनी सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक रेड टीम अभ्यास भी शुरू किया।

ड. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कुल 102 राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की गईं । वर्ष के दौरान, क्षेत्र 'क' में 99% पत्राचार हिंदी में हुआ, जबकि क्षेत्र 'ख' और 'ग' में यह क्रमशः 94% और 81% रहा। उक्त तीनों क्षेत्रों में हिंदी टिप्पण का प्रतिशत क्रमशः लगभग 90%, 86% और 79% रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कुल 35 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान, बैंक के 32 कार्यालयों और 8 उद्-भागों राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित निरीक्षण भी किए गए।

ढ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), एक वैकल्पिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी और एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा एक वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनके विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने अधिनियम की धारा 4 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शिता अधिकारी भी नियुक्त किया है, ताकि सीपीआईओ द्वारा आरटीआई प्रश्नों का समय पर उत्तर देने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा दिया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान बैंक को विभिन्न सूचनाओं के संबंध में 225 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का निर्धारित समय के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटारा किया गया।

ण. सतर्कता

बैंक निवारक और सक्रिय सतर्कता पहलुओं पर ज़ोर देता है और कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कई पहलकदमियाँ कर रहा है। निवारक सतर्कता उपायों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर निवारक सतर्कता समितियाँ और केंद्रीय स्तर पर "प्रधान कार्यालय में सतर्कता समिति" का गठन किया गया है। एक "आंतरिक सतर्कता सलाहकार समिति" निरीक्षणों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों, कर्मचारी जवाबदेही रिपोर्टों आदि से उत्पन्न शिकायतों या मामलों की जाँच करती है और मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को अपने द्वारा परीक्षित संबंधित मामलों में सतर्कता के पहलू के विद्यमान होने या ऐसा नहीं पाए जाने के संबंध में अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करती है।

धोखाधड़ी विरोधी जागरूकता कार्यक्रम के रूप में, बैंक के धोखाधड़ी प्रबंध कक्ष (एफएमसी) द्वारा धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली को समय-समय पर अंचल /क्षेत्रीय /शाखा कार्यालयों के साथ साझा किया जाता है।

शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है तथा अनुपालन संबंधी प्रमुख मामलों को तत्काल सुधार के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

वर्ष के दौरान निवारक सतर्कता, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा/ ईमानदारी, पारदर्शिता आदि क्षेत्रों पर विभिन्न संवेदीकरण कार्यक्रम, पोस्टर निर्माण, निबंध/ नारा प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गईं।

त. अनुपालन

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति के माध्यम से विभिन्न प्रकार्यों, नियामक आवश्यकताओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक अनुपालन निगरानी प्रणालियों (सीएमएस) के माध्यम से विभिन्न नियामक/ वैधानिक विवरणियों की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के महत्वपूर्ण परिपत्रों का सारांश आंतरिक रूप से परिचालित किया जाता है।

ग्राहकों की सम्यक् सावधानी के अनुपालन की प्रक्रिया को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बैंक ने सिडबी केवाईसी एप्लिकेशन मॉड्यूल के साथ केवाईसी प्रकार्यों को स्वचालित कर दिया है। इसके अलावा, बैंक के मौजूदा केवाईसी मॉड्यूल में वीडियो आधारित केवाईसी का प्रावधान भी लागू किया गया है। यह मॉड्यूल सभी व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक सर्वसामान्य प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो पैन सत्यापन के लिए 'प्रोटीन' (पूर्ववर्ती एनएसडीएल), आधार प्रमाणीकरण के लिए यूआईडीएआई, कॉर्पोरेट्स के सीआईएन नंबर के लिए एमसीए, इकाई के पंजीकरण और पते का विवरण प्राप्त करने के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल और केवाईसी दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एकीकृत है। इसके अलावा, बैंक के मौजूदा केवाईसी मॉड्यूल में वीडियो आधारित केवाईसी का प्रावधान भी लागू किया गया है।

थ. सहायक एवं सहयोगी - प्रभाव पैदा करना, राष्ट्रव्यापी

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड ('मुद्रा')

स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। मुद्रा ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे विभिन्न सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) को वित्त वर्ष 2025 में ₹15,658 करोड़ की

राशि मंजूर की, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह राशि ₹19,560 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2024 के ₹19,512 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में संवितरण ₹15,329 करोड़ रहा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

पीएमएमवाई के अंतर्गत निम्नलिखित 4 श्रेणियों में ऋण प्रदान करके सूक्ष्म उद्यमों के गैर-वित्तपोषित क्षेत्रों पर ध्यान संकेंद्रित किया जाता है, ताकि वे राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें:

₹50,000
तक के ऋण (शिशु)

₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख/-
तक के ऋण (किशोर)

₹5,00,000 से अधिक और ₹10 लाख/-
तक के ऋण (तरुण)

₹20 लाख तक के ऋण (तरुण प्लस)
(उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकाए हैं)

वित्त वर्ष 2025 (अनंतिम आंकड़ा) में, बैंकों/ एनबीएफसी/ एमएफआई (सदस्य ऋण संस्थाओं) को ₹6.00 लाख करोड़ के संवितरण लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया था, जिसके लिए 4.89 करोड़ खातों (नवीनीकरण और अभिवर्द्धन सहित) को ₹5.09 लाख करोड़ संवितरित किए गए हैं।

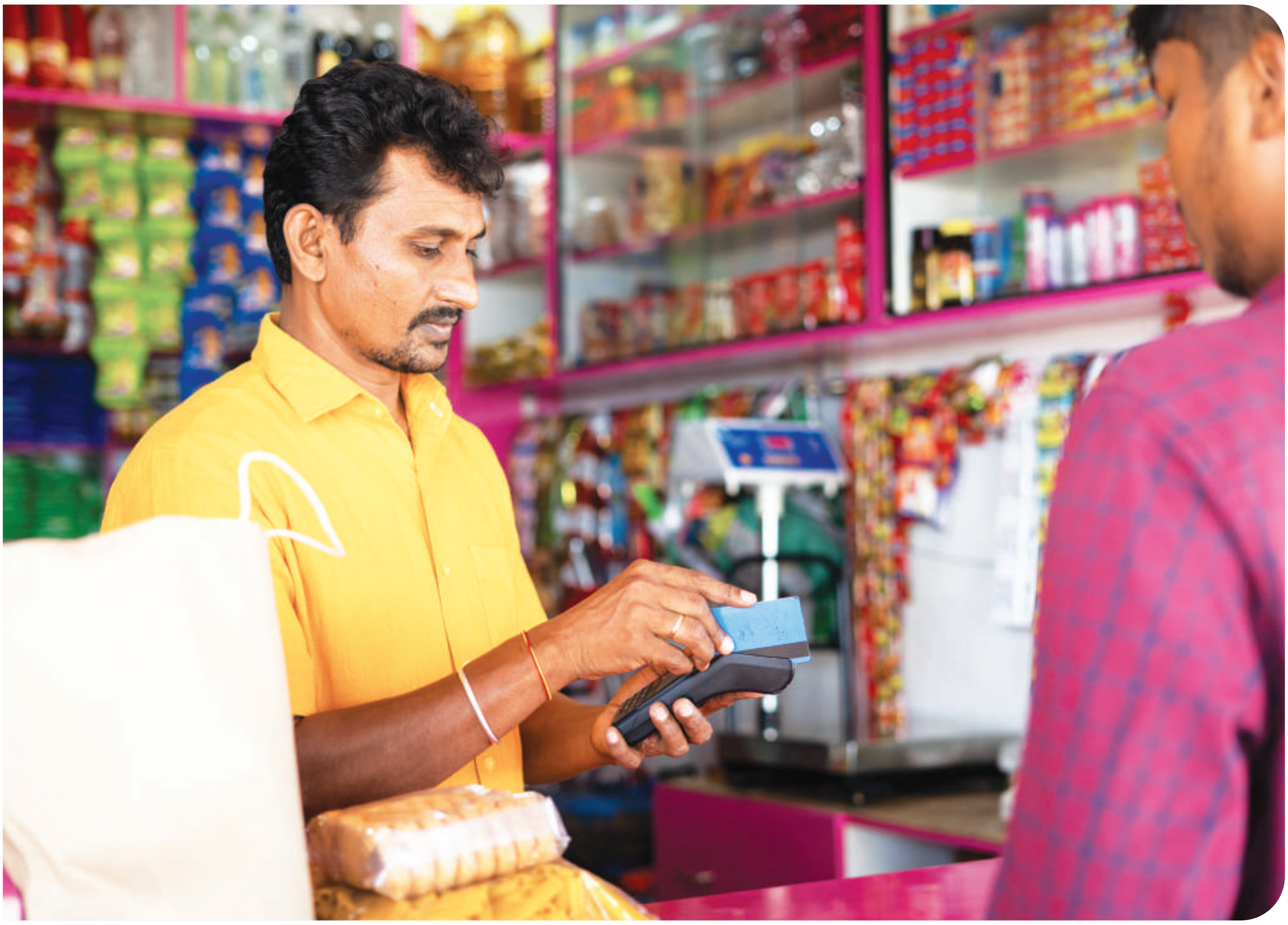

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)

एसवीसीएल की स्थापना 1999 में वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ)/ वैकल्पिक निवेश फंड्स (एआईएफ) के प्रबंध हेतु एक निवेश प्रबंध कंपनी के रूप में हुई थी। पिछले वर्षों में एसवीसीएल भारत में एमएसएमई पर केंद्रित एक अग्रणी संस्थागत निवेश प्रबंध कंपनी के रूप में विकसित हुई है। अपनी स्थापना के बाद से ही एसवीसीएल विविध क्षेत्रों में उच्च-गुणवत्ता वाले, संवृद्धिशील एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी प्रदान करती रही है।

एसवीसीएल ने ग्यारह फंड स्थापित किए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी) जो पूरी तरह से विनिवेशित और बंद हो चुकी है, एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), भारत अवसर निधि (आईओएफ), समृद्धि फंड (एसएफ), टीईएक्स फंड (टीएफ), पश्चिम बंगाल एमएसएमई वीसी फंड (डब्ल्यूबीएफ), महाराष्ट्र राज्य सामाजिक उद्यम निधि (एमएसएफ) जो पूरी तरह से निवेशित हैं और विनिवेश चरण में हैं, उभरते सितारे फंड (यूएसएफ), असम स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (एएसवीसीएफ), त्रिपुरा स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (टीएसवीसीएफ) और आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप वेंचर फंड (एएसवीएफ) जो वर्तमान में निवेश चरण में हैं।

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसटीसीएल की स्थापना 1999 में सामान्य रूप से और वीसीएफ/ एआईएफ के लिए ट्रस्टीशिप प्रकार्यों को संपन्न करने के लिए की गई थी। एसटीसीएल वर्तमान में, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी), एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), भारत अवसर निधि (आईओएफ), समृद्धि निधि (एसएफ), टेक्स फंड (टीएफ), पश्चिम बंगाल एमएसएमई वीसी फंड (डब्ल्यूबी फंड), महाराष्ट्र राज्य सामाजिक उद्यम निधि (एमएस फंड), उभरते सितारे फंड (यूएसएफ), असम स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (एएसवीसीएफ), आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप वेंचर फंड (एएसवीएफ) और त्रिपुरा स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (टीएसवीसीएफ) के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है।

सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ)

धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत सिडबी की एक विशिष्ट शाखा, जो विभिन्न गैर-लाभकारी संगठनों, जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट, समितियाँ, सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह संघ, उत्पादक संगठन, आदि को अनुदान सहायता प्रदान करके नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियाँ संचालित करती है। यह समाज के निचले तबके और उप-वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एसएसएफ समर्थित कार्यक्रमों ने 19,000 से अधिक अल्पसेवित लोगों के जीवन को बेहतर बनाया, मुख्यतः गाँवों और दूर-दराज के इलाकों, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों आदि की महिलाओं को सशक्त बनाया।

सहयोगी कंपनियाँ

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित ट्रस्ट)।

2000 में स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (बैंक, एफआई, एनबीएफसी, एमएफआई, आदि) द्वारा प्रदान किए गए ₹5 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं के संबंध में एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) परिचालित करता है (जिसे 01.04.2025 से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है), जो संपार्श्विक प्रतिभूति और/ या तीसरे पक्ष की गारंटी से समर्थित/ आंशिक रूप से समर्थित नहीं हैं।

सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान, ₹3 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की 27 लाख से भी अधिक गारंटियों को मंजूरी दी है। यह वित्त वर्ष 2024 की तुलना में गारंटियों की संख्या में 57% की उल्लेखनीय वृद्धि और गारंटीकृत राशि में 51% की वृद्धि को दर्शाता है। मंजूर की गई गारंटियों की संचयी संख्या 1.15 करोड़ रही, जो ₹9.34 लाख करोड़ की थी। इससे लगभग 303 लाख रोजगार सृजित हुए।

वित्त वर्ष 2025 में मंजूर गारंटी ₹3,05,507 करोड़ की रही।

वित्त वर्ष 2025 में मंजूर गारंटियों की संख्या – 27,15,275 ।

गारंटी की संचयी राशि ₹9.34 लाख करोड़ है।

गारंटी कवरेज की सीमा ₹5 करोड़ से बढ़कर ₹10 करोड़ हो गई।

एक्यूइटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइटे)

एक्यूइटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड भारत की पहली एमएसएमई केंद्रित रेटिंग एजेंसी है, जिसे 2005 में निगमित किया गया था और अब यह आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त और सेबी के साथ पंजीकृत एक पूर्ण-सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।

एक्यूइटे ने भारत में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में संलग्न इकाइयों की विभिन्न प्रतिभूतियों, ऋण लिखतों और बैंक की ऋण सुविधाओं के संबंध में 10,100 से अधिक क्रेडिट रेटिंग (मार्च 31, 2025 तक) प्रदान की हैं।

इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क)

आईसार्क मुख्य रूप से बैंकों/ संस्थाओं के एमएसएमई ऋणों के लिए एक आस्ति पुनर्निमाण कंपनी है। सिडबी अब इस कंपनी से संबंधित नहीं है।

रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)

2016 में स्थापित एक सिडबी-एनएसई संयुक्त उद्यम है, जो बड़े कॉरपोरेट को आपूर्ति के लिए एमएसएमई के बिलों की भुनाई हेतु एमएसएमई ऑनलाइन ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म (ट्रेड्स) का परिचालन करता है और इस प्रकार एमएसएमई के विलंबित भुगतान /तरलता से संबंधित मामलों का समाधान करता है।

मार्च 31, 2025 तक आरएक्सआईएल ने 40,000 से ज़्यादा एमएसएमई उद्यमों को अपने साथ सहयोजित किया है और ₹175,000+ करोड़ मूल्य के 80 लाख से भी अधिक बीजकों के वित्तपोषण में मदद की है। वित्त वर्ष 2025 में कुल ₹80,457 करोड़ की प्रवाह-क्षमता (थ्रो-पुट) प्राप्त हुई, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह राशि ₹46,541 करोड़ थी अर्थात् इसमें 73% की वृद्धि दर्ज हुई। मार्च 31, 2025 तक आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म पर कुल 40,344 एमएसएमई उद्यम शामिल हुए हैं।

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल)

आईएसटीएसएल की परिकल्पना एमएसएमई को प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक "प्रौद्योगिकी बैंक" के रूप में की गई थी।

आईएसटीएसएल के सीमित परिचालनों को ध्यान में रखते हुए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता [आईबीसी], 2016 के तहत इसके स्वैच्छिक परिसमापन के लिए आवेदन दायर किया गया था। तथापि, एनसीएलटी ने कंपनी के परिचालन को पुनर्जीवित करने के आवेदन को स्वीकृत कर लिया है। कंपनी हितधारकों के परामर्श से अपनी व्यावसायिक रणनीति को पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया में है।

ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड

सिडबी के नेतृत्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोर्टियम के फिनटेक प्रयास, ओपीएल ने एमएसएमई के लाभ के लिए कई तकनीकी/डिजिटल समाधान लॉन्च किए हैं। यह एमएसएमई को रु.500 लाख तक की सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी डिजिटल रूप में प्रदान करता है।

झ. प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 के अनुपालन के संदर्भ में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित अनुपात 25% से अधिक बदल गए हैं:

वित्तीय अनुपात	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
सकल एनपीए की राशि	183	100
शुद्ध एनपीए की राशि	0	0
सकल एनपीए का %	0.04	0.02
निवल लाभ मार्जिन	12.49%	12.61%

- वित्त वर्ष 2025 में सकल एनपीए की राशि बढ़कर ₹183 करोड़ हो गई है और इस प्रकार, सकल एनपीए का प्रतिशत बढ़कर 0.04% हो गया है।.
- वित्त वर्ष 2025 में निवल लाभ मार्जिन घटकर 12.49% हो गया है।

ञ. नैगम अभिशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस)

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम संख्या 15 से 27 के अनुपालन में और बैंक के नैगम अभिशासन रिपोर्ट पर प्रयोज्य सूचीबद्ध संस्थाओं के संबंध में उल्लिखित नैगम अभिशासन मानदंडों की प्रकटीकरण की आवश्यकताएं इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में निर्दिष्ट की गई हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेबी (एलओडीआर), 2015 से संबंधित अनुपालन के संबंध में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के दंड का भुगतान नहीं किया गया है।

ट. संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंध या व्यवस्था-विवरण

बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंध, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है, जिससे बड़े पैमाने पर बैंक के हित के साथ संभावित संघर्ष हो सकता हो। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, आरबीआई या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है, जो बैंक द्वारा अपने संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन से संबंधित हैं। संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्य के नोट सं.[16] में निर्धारित किया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट और उसके अनुलग्नकों का भाग है।

ठ. लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स (एफआरएन: 118769W) को वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बैंक का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। समीक्षाधीन अवधि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई भी अर्हता, आपत्तियाँ अथवा प्रतिकूल टिप्पणियाँ नहीं हैं।

ड. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, बोर्ड ने मेसर्स दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स (एफसीएस 5652), व्यावसायिक कंपनी सचिवों को वित्त वर्ष 2025 के लिए बैंक का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। मेसर्स दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स, व्यावसायिक कंपनी सचिवों द्वारा प्रदान की गई मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय

लेखापरीक्षा रिपोर्ट नैगम अभिशासन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सिडबी ने कतिपय टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2025 का अनुपालन "अनुपालन या स्पष्टीकरण" के आधार पर पूरा किया गया और यह 1 अप्रैल 2025 से अनिवार्य हो जाएगा ।

जैसा कि सेबी (एलओडीआर) के नियम 24ए में विनिर्दिष्ट है, मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मुद्रा की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो व्यावसायिक कंपनी सचिव मेसर्स राजकुमार आर. तिवारी द्वारा प्रदान की गई है, संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रा ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया है।

ध. उत्तरदायित्व कथन

निदेशक मंडल द्वारा एतद्द्वारा अभिकथन किया जाता है कि:

- वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;
- लागू लेखांकन नीतियों को सतत पालन किया गया है और किए गए सभी निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि मार्च 31, 2025 को बैंक के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने में, उचित और उपयुक्त सतर्कता रखी गई है;
- वार्षिक लेखा सतत व्यवसाय सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; तथा
- सभी प्रभावी विधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

अभिस्वीकृति

निदेशकगण वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशकगण सभी सम्मानित ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकरों और वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक, एफसीडीओ, जेआईसीए, केएफडब्ल्यू, जीआईजेड, आईएफएडी, एएफडी, एडीबी को उनके संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण ने निवर्तमान निदेशकों श्री जी. गोपाल कृष्ण, श्री कृष्ण सिंह नगन्याल और सुश्री नूपुर गर्ग द्वारा किए गए योगदान के लिए अपनी प्रशंसा भी रिकॉर्ड में दर्ज की है। साथ ही, निदेशकगण बैंक के समर्पित और प्रतिबद्ध कर्मचारियों की टीम की भी सराहना करते हैं।

बैंक के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नैगम अभिशासन रिपोर्ट

1. सिडबी का नैगम अभिशासन संबंधी दर्शन:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना सिडबी अधिनियम, 1989 के तहत की गयी। यह सिडबी अधिनियम 1989, सिडबी विनियमावली, 2000 तथा बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक अप्रैल 26, 2021 के परिपत्र से अभिशासित है। उच्च मूल्य वाला ऋण-सूचीबद्ध निकाय (जिसकी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ 500 करोड़ से अधिक है) होने के कारण इस पर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम सं. 15 से 27 के साथ-साथ, एलओडीआर 2015 के समय-समय पर संशोधित अन्य प्रावधान भी लागू होते हैं।

सिडबी, मूल्यों, नीतिबद्ध आचरण, कारोबारी पारदर्शिता, सामाजिक कार्यों में योगदान तथा व्यवसाय के उचित संचालन में हितधारकों के हित को ध्यान में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सिडबी का विश्वास है कि उत्तम अभिशासन उसके व्यवसाय और संवृद्धि का अन्तर्निहित तत्व है। अभिशासन का लक्ष्य सांविधिक एवं विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन से भी आगे जाकर शेयरधारकों की सम्पदा को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखते हुए उसमें और वृद्धि करना है।

मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष संबंधी कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") की अनुसूची V में विनिर्दिष्ट विषयों को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा हैः

2. निदेशक-मण्डल:

संसद ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ("सिडबी") की स्थापना के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (सिडबी अधिनियम) पारित किया। उक्त अधिनियम में बोर्ड के संघटन तथा कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, उनके कर्तव्य और कार्य विनिर्दिष्ट हैं।

सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अनुसार भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करता है। धारा 6(1)(ख) के अन्तर्गत भारत सरकार उप प्रबन्ध निदेशक के रूप में पदनामित दो पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करती है। सिडबी अधिनियम की धारा 6(1) (ग) के अन्तर्गत भारत सरकार दो सरकारी पदाधिकारियों को गैर-कार्यपालक निदेशक श्रेणी में नामिती निदेशक भी नामित करती है। सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(घ) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट पध्दति के अनुसार तीन निदेशकों की नियुक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं द्वारा की जाती है। सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(ङ) के अनुसार केन्द्र सरकार तीन ऐसे व्यक्तियों को निदेशक नामित करती है, जिन्हें विज्ञान, विधि, औद्योगिक वित्त, निवेश, लेखांकन, विपणन अथवा अन्य विषयों का ऐसा विशेष ज्ञान अथवा प्रोफेशनल अनुभव हो, जो केन्द्र सरकार के मतानुसार सिडबी के लिए उपयोगी हो। इनमें से एक व्यक्ति राज्य वित्त निगमों का पदाधिकारी होता है। सिडबी अधिनियम की धारा 6(1) (च) के अनुसार, शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम चार निदेशकों को अन्य शेयरधारकों द्वारा चुना जाता है। यदि शेयरधारिता के स्वरूपवश उक्त चार निदेशकों का चुनाव किया जाना सम्भव न हो, तो बोर्ड अधिकतम चार निदेशकों को सहयोजित कर सकता है। सिडबी अधिनियम में निदेशकों की "रोटेशन से सेवानिवृत्ति" का प्रावधान नहीं है।

i. निदेशकों का संघटन और श्रेणी:

यथा मार्च 31, 2025, सिडबी के बोर्ड में 3 कार्यपालक निदेशक और 9 गैर-कार्यपालक निदेशक थे। निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है।

निदेशक का नाम	श्रेणी (अध्यक्ष/ कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक/ स्वतंत्र/ नामिती)	नियुक्ति की प्रारम्भिक तारीख	पद-निवृत्ति की तारीख
श्री मनोज मित्तल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष/ कार्यपालक	27/07/2024	26/07/2027
श्री सुदत्त मंडल, उप प्रबन्ध निदेशक	कार्यपालक	03/05/2021	02/05/2026 अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
श्री प्रकाश कुमार, उप प्रबन्ध निदेशक	कार्यपालक	07/11/2023	06/11/2026 अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
डॉ. रजनीश, सरकारी निदेशक	गैर-कार्यपालक/ नामिती	22/02/2023	अगले आदेश तक
श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन, सरकारी निदेशक	गैर-कार्यपालक/ नामिती	06/08/2024	अगले आदेश तक
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल, भारतीय स्टेट बैंक के नामिती	गैर-कार्यपालक/ नामिती	03/08/2023	अगले आदेश तक
श्री लक्ष्मीचन्द मीना, भारतीय जीवन बीमा निगम के नामिती	गैर-कार्यपालक/ नामिती	28/10/2024	अगले आदेश तक
श्री मणिकुमार एस, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नामिती	गैर-कार्यपालक/ नामिती	01/01/2024	अगले आदेश तक
श्री अमित टंडन, सह-योजित निदेशक	गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र	08/08/2021	07/08/2027
श्री जितेन्द्र कालरा, सह-योजित निदेशक	गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र	13/02/2024	12/02/2027
श्री पी.जे. थॉमस, सह-योजित निदेशक	गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र	15/11/2024	14/11/2027
सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल, सह-योजित निदेशक	गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र	14/03/2025	13/03/2028

टिप्पणीः विनियम सं. 16(1) (ख) (स्वतंत्र निदेशक) के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के फलस्वरूप और उसके अनुसार उल्लेखनीय है कि चूंकि सिडबी 'उच्च' मूल्य ऋण सूचीबद्ध निकाय है और सिडबी के बोर्ड का संघटन सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6 के अनुसार किया जाना अधिदेशित है, अतः सिडबी के बोर्ड पर विद्यमान गैर-कार्यपालक निदेशकों को सिडबी में स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा। तथापि, ('उच्च' मूल्य ऋण सूचीबद्ध निकाय के सम्बन्ध में) एलओडीआर 2015 के विनियम 62 ख (1)(ख) के 27.03.2025 से अनिवार्य रूप से प्रभावी परंतुक के अनुसार नामिती निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों की सूची से बाहर रखा गया है। उक्त परंतुक निम्नवत है:

"बशर्ते, यदि कोई सूचीबद्ध इकाई निगमित निकाय हो तो उसके मामले में उस कानून के तहत निर्दिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने का अधिदेश दिया जाता है जिसके तहत वह स्थापित है। यदि वह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल/संरचना के तहत स्थापित निकाय है, तो उसके निदेशक मंडल में ऐसे निकाय के नामिती निदेशक से इतर गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।"

सिडबी अधिनियम, 1989 में विहित वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर, सेबी से अनुरोध किया गया है कि एलओडीआर 2015 की धारा 62ख (1)(ख) के अनुपालन की अपेक्षा से छूट दी जाए।

ii. उन निदेशकों के कौशल/ विशेषज्ञता/ दक्षताओं का विवरण निम्नवत है, जो यथा मार्च 31, 2025, बोर्ड का हिस्सा थेः

यथा मार्च 31, 2025, सिडबी का बोर्ड वैविध्यपूर्ण है और इसमें अनुभव, योग्यता, लिंग, कौशल-सेट तथा विशेषज्ञता का संमिश्रण है। निम्नलिखित तालिका में निदेशक-मण्डल के कौशल-सेट तथा गुणों का सारांश दिया गया है।

नाम	योग्यताएँ	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएँ
श्री मनोज मित्तल	बी.टेक (मकैनिकल), पीजीडीबीएम, सीएआइआइबी, अर्थशास्त्र में परास्नातक	अभिशासन एवं नेतृत्व, प्रबन्धन, अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय अनुभव एवं सम्बन्ध, वित्त, बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग
श्री सुदत्त मंडल	बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल) तथा पीजीडीएम (वित्त)	आस्ति एवं जोखिम प्रबन्धन, अनुपालन, रणनीति, लेखांकन, वित्त, बैंकिंग, व्यापारिक एवं निवेश वित्त, परियोजना वित्त, एसएमई ऋणप्रदायगी, क्लस्टर विकास, प्रबन्धन एवं प्रशासन, अभिशासन एवं नेतृत्व
श्री प्रकाश कुमार	रसायन अभियांत्रिकी में बी.टेक, वित्तीय प्रबन्धन में मास्टर्स	रणनीति, वित्त, परियोजना वित्त, एसएमई वित्तीयन, एनबीएफसी एवं अल्पवित्त वित्तीयन, जोखिम प्रबन्धन, संसाधन प्रबन्धन, अनर्जक आस्ति प्रबन्धन, व्यवसाय प्रक्रिया रीइंजीनियरिंग, एमएसएमई वित्तीयन एवं विकास, प्रबन्धन एवं प्रशासन, अभिशासन एवं नेतृत्व
डॉ. रजनीश	अर्थशास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय विधि में मास्टर्स तथा पीएच.डी.	वित्त, एमएसएमई वित्तीयन, एसएमई ऋणप्रदायगी, वित्तीय विश्लेषण, व्यापारिक वित्त, जोखिम प्रबन्धन, दबावग्रस्त लेखा प्रबन्धन तथा ऋण-परिचालन
श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	एमबीए	वित्त, एमएसएमई वित्तीयन, एसएमई ऋणप्रदायगी, वित्तीय विश्लेषण, व्यापारिक वित्त, जोखिम प्रबन्धन, दबावग्रस्त लेखा प्रबन्धन तथा ऋण-परिचालन
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	एम.एससी.	रणनीति, वित्त, परियोजना वित्त, एसएमई वित्तीयन, जोखिम प्रबन्धन, एमएसएमई वित्तीयन एवं विकास, खुदरा बैंकिंग, प्रबन्धन एवं प्रशासन, अभिशासन एवं नेतृत्व
श्री लक्ष्मी चन्द मीना	बी. एससी.	अभिशासन एवं नेतृत्व, प्रबन्धन, कार्मिक एवं औद्योगिक सम्बन्ध, प्रशासन एवं विपणन, बीमा क्षेत्र
श्री मणिकुमार एस	बी. कॉम, सीएआइआइबी, एफसीएमएस, एड्वांस पीजीडीसीए, एमबीए (वित्त), एमएस (बैंकिंग)	ऋण आयोजना, वित्तीय प्रबन्धन, ग्रामीण नवोन्मेष, अल्प ऋण एवं वित्तीय समावेशन, एकीकृत जोखिम प्रबन्धन, मानव संसाधन रूपान्तरण, बैंकिंग प्रौद्योगिकियाँ, स्टार्ट-अप निवेश एवं नये वित्तीय उत्पादों की संरचना, रणनीतिक आयोजना एवं उत्पाद नवोन्मेषन
श्री अमित टंडन	बीए (ऑनर्स), एमबीए तथा एम.फिल.	अभिशासन एवं नेतृत्व, वाणिज्य बैंकिंग, परियोजना वित्त, अर्थशास्त्र, प्रबन्धन, कॉर्पोरेट विधिक मामले
श्री जितेन्द्र कालरा	बी.एससी. (अभियांत्रिकी) तथा एमबीए	उद्यम एवं आजीविका संवर्ध्दन, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास, ग्रामीण रूपान्तरण एवं पुनर्योजी कृषि, क्लस्टर विकास, नीति-निर्माण, संगठनात्मक रूपान्तरण, प्रबन्धन एवं प्रशासन, अभिशासन एवं नेतृत्व
श्री पी.जे. थॉमस	बी.एससी. (ऑनर्स), एमबीए तथा सीएआइआइबी	अभिशासन एवं नेतृत्व, बैंकिंग एवं वित्त, बैंकिंग विनियम, बैंकिंग पर्यवेक्षण एवं वित्तीय समावेशन, अर्थशास्त्र, प्रबन्धन
सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल	बीए (इंगलिश ऑनर्स), एमबीए (डीआइपी), चार्टर्ड अकाउंटेंसी (इंटरमीडिएट)	अभिशासन एवं नेतृत्व, प्रबन्धन, विलयन एवं अभिग्रहण, स्टार्टअप्स, निवेश बैंकिंग, वैकल्पिक निवेश निधि

सिडबी अधिनियम 1989 के अनुसार निम्नलिखित तालिका में निदेशकों के मुख्य गुण एवं कौशल उल्लिखित हैं, जिन्हें बोर्ड के मापदण्डों जैसे औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान, प्रासंगिक अनुभव और अभिशासन एवं नेतृत्व के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक का नाम	औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान	अनुभव	अभिशासन एवं नेतृत्व
श्री मनोज मित्तल	√	√	√
श्री सुदत्त मंडल	√	√	√
श्री प्रकाश कुमार	√	√	√
डॉ. रजनीश	√	√	√
श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	√	√	√
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	√	√	√
श्री लक्ष्मी चन्द मीना	√	√	√
श्री मणिकुमार एस	√	√	√
श्री अमित टंडन	√	√	√
श्री जितेन्द्र कालरा	√	√	√
श्री पी.जे. थॉमस	√	√	√
सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल	√	√	√

iii. अन्य सूचीबद्ध निकायों के बोर्ड/ समितियों में निदेशकों की सदस्यता/ अध्यक्षता संबंधी विवरण:

निदेशक का नाम	सिडबी से इतर सूचीबद्ध निकाय का नाम, जिसमें निदेशक उक्त निकाय के बोर्ड के सदस्य हों	अन्य सूचीबद्ध निकाय के बोर्ड/ समिति का नाम, जिसमें निदेशक अध्यक्ष/ सदस्य हैं	अन्य सूचीबद्ध निकाय में निदेशक की श्रेणी
श्री मनोज मित्तल	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुदत्त मंडल	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री प्रकाश कुमार	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. रजनीश	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआइडी)	लेखापरीक्षा समिति- सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र नामिती निदेशक) गैर-कार्यपालक (नामिती निदेशक)
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री लक्ष्मी चन्द मीना	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मणिकुमार एस	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अमित टंडन	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जितेन्द्र कालरा	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री पी.जे. थॉमस	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल	एस्टर इंडस्ट्रीज लि.	(i) लेखापरीक्षा समिति – अध्यक्ष (ii) जोखिम प्रबन्धन समिति- सदस्य (iii)नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति- अध्यक्ष (iv)हितधारक सम्बन्ध समिति – अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र निदेशक)

टिप्पणी:

1. निदेशकों में से कोई भी, उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध निकायों सहित, 7 से अधिक सूचीबद्ध निकायों में निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. पूर्णकालिक निदेशकों/ प्रबन्ध निदेशक में से कोई भी 3 से अधिक सूचीबद्ध निकायों में स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
3. बोर्ड के निदेशकों में से कोई भी उन सभी सूचीबद्ध निकायों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य तथा 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह कोई निदेशक हो।
4. निदेशकों के मध्य आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।
5. गैर-कार्यपालक निदेशकों में से किसी के भी पास यथा मार्च 31, 2025 को सिडबी के शेयर तथा परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

iv. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान निदेशकों का परिवर्तन:

वर्ष के दौरान बोर्ड के संघटन में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

नाम	नियुक्ति की तारीख	पद-मुक्ति की तारीख (त्यागपत्र की स्थिति में)	टिप्पणियाँ (जैसे परिवर्तन के कारण आदि)
श्री मनोज मित्तल	27/07/2024	-	नियुक्तिः भारत सरकार ने जुलाई 26, 2024 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए श्री मनोज मित्तल को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया।
श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	06/08/2024	-	नामितः भारत सरकार ने अगस्त 6, 2024 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन को श्री भूषण कुमार सिन्हा के स्थान पर सिडबी के बोर्ड में अपना नामिती निदेशक नामित किया।
श्री लक्ष्मी चन्द मीना	28/10/2024	-	नामितः भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने अक्तूबर 10, 2024 के पत्र के ज़रिए श्री के.एस. नग्न्याल के स्थान पर श्री लक्ष्मी चन्द मीना को अपना नामिती निदेशक नामित किया।
श्री पी.जे. थॉमस	15/11/2024	-	सहयोजितः बोर्ड ने नवम्बर 14, 2024 को आयोजित अपनी 224वीं बैठक में श्री पी.जे. थॉमस को नवम्बर 15, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक सहयोजित किया।
सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल	14/03/2025	-	सहयोजितः निदेशक-मण्डल ने सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल को मार्च 14, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में सहयोजित किये जाने का अनुमोदन किया।
श्री सिवा सुब्रमण्यन रमण	-	18/04/2024	पद-मुक्तिः भारत सरकार की दिनांक अप्रैल 07, 2021 की अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल पूरा किया।
श्री भूषण कुमार सिन्हा	-	05/08/2024	पद-मुक्तिः भारत सरकार द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन को नामित किये जाने के फलस्वरूप श्री सिन्हा बोर्ड के सदस्य पद से मुक्त हो गये।
श्री के.एस. नग्न्याल	-	27/10/2024	पद-मुक्तिः भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा श्री लक्ष्मी चन्द मीना को बोर्ड पर नामित किए जाने के फलस्वरूप श्री नग्न्याल बोर्ड के सदस्य पद से मुक्त हो गये।
श्री जी.गोपाल कृष्णा	-	10/08/2024	पद-मुक्तिः उन्होंने अगस्त 10, 2024 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
सुश्री नूपुर गर्ग	-	03/02/2025	पद-मुक्तिः उन्होंने फरवरी 3, 2025 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

v. निदेशक-मण्डल की बैठकें:

सेबी के विनियमानुसार वर्ष में बोर्ड की कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएँगी, और दो बैठकों के मध्य अधिकतम एक सौ बीस दिन का समयान्तराल रहेगा।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्याः 04 (चार)

बैठकों की तारीखें: 29/05/2024, 13/08/2024, 14/11/2024 तथा 07/02/2025

निदेशकों के नाम	नियुक्ति/ नामांकन/ सहयोजन के पश्चात् पात्रतानुसार बैठकों में प्रतिभागिता-संख्या	बैठकों में प्रतिभागिता की संख्या	25/09/2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
श्री मनोज मित्तल	3	3	हाँ
श्री सुदत्त मंडल	4	4	हाँ
श्री प्रकाश कुमार	4	4	हाँ
डॉ. रजनीश	4	1	-
श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	3	3	-
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	4	2	-
श्री लक्ष्मी चन्द मीना	2	2	-
श्री मणिकुमार एस	4	3	-
श्री अमित टंडन	4	3	हाँ
श्री जितेन्द्र कालरा	4	4	-
श्री पी.जे. थॉमस	1	1	-
सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल	0	0	-
उन निदेशकों के नाम जो वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड का हिस्सा थे और जो सिडबी बोर्ड के सदस्य पद से मुक्त हो गये।			
श्री सिव सुब्रमण्यन रमण	0	-	-
श्री भूषण कुमार सिन्हा	1	0	-
श्री के.एस. नगन्याल	2	2	-
श्री जी. गोपालकृष्णा	1	1	-
सुश्री नूपुर गर्ग	3	3	हाँ

3. बोर्ड स्तर की समितियाँ:

सिडबी अधिनियम, 1989, सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर), सरकारी निर्देशों/ दिशानिर्देशों, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार सिडबी के बोर्ड ने ग्यारह समितियाँ गठित की हैं, जो इस प्रकार हैं- लेखापरीक्षा समिति (एसी), जोखिम प्रबन्धन समिति (आरआइएमसी), नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), हितधारक सम्बन्ध समिति (एसआरसी) कार्यपालक समिति (ईसी), धोखाधड़ीयुक्त प्रस्तावों की निगरानी और अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति(एससीबीएमएफ), सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आइटीएससी), ग्राहक सेवा समिति (सीएससी), वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी), इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगकारी उधारकर्ता समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी) तथा संधारणीय विकास लक्ष्य (सीएसडीजी) समिति।

सिडबी के निदेशक-मण्डल ने समितियों के चार्टर को अनुमोदित किया है, जिसमें समिति के संघटन, कार्यों, बैठक की आवृत्ति, गणपूर्ति आदि का समावेश है। यह सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर नैगम अभिशासन खण्ड में उपलब्ध है।

I. लेखा-परीक्षा समिति: बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। यह सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा सेबी (एलओडीआर) संशोधन अधिसूचना दिनांक मार्च 27, 2025 के प्रावधानों का अनुपालन करती है। उक्त दोनों विनियमों के कठोर प्रावधानों को चार्टर में समाहित किया गया।

क. यथा मार्च 31, 2025, उक्त समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें 5 गैर-कार्यपालक निदेशक, 1 स्वतंत्र निदेशक और 2 पूर्णकालिक निदेशक थे, जिनका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
1	सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल	गैर-कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबन्ध निदेशक
3	श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबन्ध निदेशक
4	डॉ. रजनीश	गैर-कार्यपालक निदेशक
5	श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	गैर-कार्यपालक निदेशक
6	श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	गैर-कार्यपालक निदेशक
7	श्री लक्ष्मी चंद मीना	गैर-कार्यपालक निदेशक

ख. सिडबी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की प्राथमिक भूमिका वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, वित्तीय विवरणियों में उल्लेखनीय समायोजनों की समीक्षा, लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों में परिवर्तनों तथा उनके औचित्यों के परीक्षण, विसलब्लोअर प्रणाली के कामकाज की निगरानी, आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा तथा सम्बन्धित पक्षकार के लेनदेन को अनुमोदित करने की होती है। यह समिति निर्गम के माध्यम से जुटाई गयी निधियों के प्रयोग/उपयोग संबंधी विवरणी की प्रबन्धन के साथ समीक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। इन उत्तरदायित्वों में प्रस्ताव प्रलेख में विनिर्दिष्ट से इतर उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त निधियों की विवरणी का परीक्षण किया जाना और आगे की कार्रवाई के लिए बोर्ड को समुचित संस्तुति किया जाना शामिल है। इसके अलावा, समिति संदिग्ध धोखाधड़ी, अनियमितताओं के मामलों में आन्तरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी आन्तरिक जाँच के निष्कर्षों अथवा आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों में उल्लेखनीय विफलताओं की समीक्षा करती है और बोर्ड को इन मामलों की सूचना देती है।

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या: 04 (चार)

घ. बैठकों की तारीखें: 29/05/2024, 13/08/2024,14/11/2024 तथा 05/02/2025.

ङ. लेखापरीक्षा समिति की बैठक और उपस्थिति

निदेशकों का नाम	कार्यकाल में सम्पन्न बैठकों की संख्या	प्रतिभागिता की गयी बैठकों की संख्या
सुश्री पद्मजा शैलेन रुपारेल	0	0
श्री सुदत्त मंडल	4	4
श्री प्रकाश कुमार	4	4
डॉ. रजनीश	4	1
श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	3	3
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	4	1
श्री लक्ष्मी चन्द मीना	1	1
सुश्री नूपुर गर्ग	3	3
श्री भूषण कुमार सिन्हा	1	0
श्री के एस नग्न्याल	2	2

II. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति स्थापित है और उस सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुरूप है, जिस सीमा तक वह सिडबी अधिनियम, 1989 के प्रतिकूल न हो।

क. यथा मार्च 31, 2025, इस समिति में निम्नलिखित 3 सदस्य थे। सभी सदस्य गैर-कार्यपालक/ स्वतंत्र निदेशक हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
1	श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	गैर-कार्यपालक निदेशक
2	श्री लक्ष्मी चन्द मीना	गैर-कार्यपालक निदेशक
3	श्री जितेन्द्र कालरा	गैर-कार्यपालक निदेशक

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सिडबी अधिनियम 1989 की धारा 6(1)(च) के प्रथम परंतुक के अनुसार बोर्ड को यथेष्ट संख्या में किन्तु अधिकतम चार निदेशकों के सहयोजन की संस्तुति करने, ऐसे निदेशकों के कार्यनिष्पादन-मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर उक्त सहयोजित निदेशकों की नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाने/जारी रखने के सम्बन्ध में बोर्ड को संस्तुति करने और निदेशकों के मूल्यांकन का मापदण्ड तैयार करने की भूमिका निभाती है।

क. वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्याः वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की दो बैठकें आयोजित की गयीं।

ख. बैठकों की तारीखः 14/11/2024 और 11/02/2024, दोनों बैठकें श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुईं।

ग. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें और उपस्थिति

निदेशकों के नाम	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	प्रतिभागिता की गयी बैठकों की संख्या
श्री मनोज मुट्टतिल अय्यप्पन	2	2
श्री लक्ष्मी चन्द मीना	1	1
श्री जितेन्द्र कालरा	2	2
सुश्री नूपुर गर्ग	1	1

III. **हितधारक सम्बन्ध समितिः** यह समिति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार गठित की गयी है।

क. यथा मार्च 31, 2025, समिति में 3 गैर-कार्यपालक निदेशकों, 1 स्वतंत्र निदेशक और 2 पूर्णकालिक निदेशकों सहित 5 सदस्य थे, जिनका विवरण निम्नवत हैः

क्रम सं.	समिति के सदस्य का नाम	पदनाम
1	श्री पी.जे. थॉमस	गैर-कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबन्ध निदेशक
3	श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबन्ध निदेशक
4	श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	गैर-कार्यपालक निदेशक
5	श्री लक्ष्मी चन्द मीना	गैर-कार्यपालक निदेशक

ख. हितधारक समिति शेयरधारकों एवं प्रतिभूति धारकों की शिकायतों की निगरानी करने, प्रभावी मताधिकार सुनिश्चित करने, पंजीयक एवं अंतरणकर्ता एजेंट के सेवा-मानकों की समीक्षा तथा दावारहित लाभांशों में कमी लाने के उपायों के कार्यान्वयन की भूमिका निभाती है। यह बैंक के शेयरधारकों को लाभांश वारंटों, वार्षिक रिपोर्टों तथा सांविधिक सूचनाओं की समय पर प्राप्ति भी सुनिश्चित करती है।

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की एक बैठक सम्पन्न हुई।

घ. बैठक की तारीख: 24/03/2025

ङ. शेयरधारक सम्बन्ध समिति की बैठक में उपस्थिति के विवरण निम्नवत हैं:

निदेशकों के नाम	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	प्रतिभागिता की गयी बैठकों की संख्या
श्री पी.जे. थॉमस	1	1
श्री सुदत्त मंडल	1	1
श्री प्रकाश कुमार	1	1
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	1	0
श्री लक्ष्मी चन्द मीना	1	1

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनामः श्री पंकज कुमार साहू (कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान निवेशक-शिकायतों की स्थितिः

प्रतिभूति	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	उन शिकायतों की संख्या जिनका समाधान प्रतिभूति-धारक की संतुष्टि-अनुसार नहीं हो सका	लम्बित शिकायतों की संख्या
शेयरधारक	0	0	0
अपरिवर्तनीय सूचीबद्ध प्रतिभूति-धारक	0	0	0

IV. जोखिम प्रबन्धन समितिः बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरआइएमसी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों की अनुरूपता में हुआ है।

क. यथा मार्च 31, 2025, समिति में 3 गैर-कार्यपालक निदेशकों तथा 2 पूर्णकालिक निदेशकों सहित कुल 5 सदस्य थे, जो निम्नवत हैं:

क्रम सं	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
1	श्री अमित टंडन	गैर-कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबन्ध निदेशक
3	श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबन्ध निदेशक
4	श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	गैर-कार्यपालक निदेशक
5	श्री मणिकुमार एस	गैर-कार्यपालक निदेशक

ख. जैसाकि उद्यम जोखिम प्रबन्धन (ईआरएम) नीति में विनिर्दिष्ट है, आरआइएमसी की भूमिका में ऋण, विपणन, परिचालन जोखिमों, आस्ति-देयता प्रबन्धन, निवेश, आइकैप तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जोखिम प्रबन्धन नीतियाँ तैयार करना शामिल है। इसमें आन्तरिक एवं बाह्य जोखिमों जैसे वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्रगत, संधारणीयता तथा सिडबी-विशिष्ट साइबर सुरक्षा को चिह्नित किया जाना समाहित है। आरआइएमसी जोखिम नीतियों तथा तत्सम्बन्धी ढाँचे की आवधिक समीक्षा सम्पन्न करता है, ताकि सिडबी के परिचालनों से जुड़े जोखिमों की निगरानी एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से उपयुक्त पध्दतियों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, आरआइएमसी जोखिम प्रबन्धन नीति का पर्यवेक्षण एवं देखरेख और जोखिम प्रबन्धन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन तथा अन्य जोखिम प्रबन्धन समितियों, जैसे उद्यम जोखिम प्रबन्धन समिति (ईआरएमसी) और आस्ति-देयता प्रबन्धन समिति (आलको) की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण अथवा संशोधन भी करती है।

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्याः वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की सात बैठकें आयोजित की गयीं।

घ. बैठकों की तारीखें: 27/05/2024, 26/06/2024, 23/07/2024, 12/08/2024, 12/11/2024, 13/02/2025 तथा 25/03/2025.

ङ. जोखिम प्रबन्धन समिति का संघटन, बैठकें और उनमें उपस्थितिः

निदेशकों के नाम	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	प्रतिभागिता की गयी बैठकों की संख्या
श्री अमित टंडन, अध्यक्ष	7	7
श्री सुदत्त मंडल	7	6
श्री प्रकाश कुमार	7	6
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	7	3
श्री मणिकुमार एस	7	6

V. कार्यपालक समिति: बोर्ड की कार्यपालक समिति का गठन सिडबी अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

क. यथा मार्च 31, 2025, उक्त समिति में 2 गैर-कार्यपालक निदेशकों तथा 3 पूर्णकालिक निदेशकों सहित कुल 5 सदस्य थे, जो निम्नवत हैं:

क्रम सं.	समिति-सदस्य का नाम	पदनाम
1	श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबन्ध निदेशक
3	श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबन्ध निदेशक
4	श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	गैर-कार्यपालक निदेशक
5	श्री जितेन्द्र कालरा	गैर-कार्यपालक निदेशक

ख. इस समिति की भूमिका में क्रेडिट एक्सपोज़र मानदण्डों/ शक्ति-प्रत्यायोजन के अनुसार ऋण एवं निवेश संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित करना, योजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट रियायत-योग्य सीमाओं से ऊपर के लिए रियायत की आवश्यकता वाले मामलों में बैंकों/एसएफबी को पुनर्वित्त सहायता मंजूर करना, संस्थागत वित्त के अंतर्गत बैंकों एव राज्य वित्तीय संस्थाओं को एकमुश्त निपटान, पुनर्संरचना आदि की मंजूरी देना, एनबीएफसी के विनिर्दिष्ट पोर्टफोलियो के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त के अन्तर्गत एक्सपोज़र और प्रतिभूतीकरण/कार्य के अनुमोदन/मंजूरी पर विचार करना, मंजूरी, पात्रता मानदण्ड तथा डीओपी के अनुसार मंजूरी के अन्य मानदण्डों के विषय में न्यूनतम मानदण्डों में रियायत युक्त प्रस्तावों तथा संपृक्त ऋणप्रदायगी (कनेक्टेड लेंडिंग) प्रावधान-युक्त प्रस्तावों पर विचार करना और बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अथवा प्रत्यायोजित अन्य कार्यों का निर्वहन किया जाना शामिल है।

ग. वर्ष के दौरान कार्यपालक समिति की बैठक 6 बार यानी दिनांक 02/07/2024, 23/09/2024, 18/12/2024, 07/01/2025, 05/02/2025 और 20/03/2025 को सम्पन्न हुई।

घ. कार्यपालक समिति का संघटन, बैठकें और उपस्थिति:

निदेशकों के नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	प्रतिभागिता की गयी बैठकों की संख्या
श्री मनोज मित्तल	5	5
श्री सुदत्त मंडल	6	6
श्री प्रकाश कुमार	6	6
श्री अनिंद्य सुन्दर पॉल	6	2
श्री जितेन्द्र कालरा	5	5
श्री जी. गोपालकृष्णा	1	1

VI. **वसूली समीक्षा समिति:** वसूली समीक्षा समिति की भूमिका ₹5 करोड़ और उससे अधिक मूलधन बकाया वाले अनर्जक आस्ति प्रस्तावों तथा एसएमए, पुनर्संरचित खातों की समीक्षा करने की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गयीं।

VII. **इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगात्मक उधारकर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी):** आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी की भूमिका में प्रस्तावों को इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगात्मक उधारकर्ता के रूप में चिह्नित करने के लिए समिति द्वारा इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगात्मक उधारकर्ता चिह्नित किए जाने के विषयक में आदेश पारित किया जाना शामिल है। समिति इरादतन चूक के मामलों और असहयोगात्मक उधारकर्ताओं तथा यदि उनका वर्गीकरण हो, तो उसकी भी अर्धवार्षिक आधार पर समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी।

VIII. **उच्च मूल्ययुक्त धोखाधड़ी की निगरानी संबंधी विशेष समिति (एससीएमएलवीएफ):** एससीएमएलवीएफ का कार्य ₹1 करोड़ और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा करना तथा वसूली की प्रगति की स्थिति की निगरानी करना, सभी स्तरों पर स्टाफ-जवाबदेही सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से की गयी उपचारी कार्रवाई जैसे आन्तरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाए जाने की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करना है। एससीएमएलवीएफ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 3 बार बैठकें कीं।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2024 में जारी मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसरण में उच्च मूल्ययुक्त धोखाधड़ी की निगरानी संबंधी विशेष समिति (एससीएमएलवीएफ) का नाम बदलकर अब धोखाधड़ीयुक्त प्रस्तावों की निगरानी और अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) कर दिया गया है। इसके विषयक्षेत्र और कार्य भी संशोधित किए गये हैं। एससीबीएमएफ बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन का पर्यवेक्षण, धोखाधड़ी युक्त प्रस्तावों की समीक्षा और निगरानी करती है, तथा आन्तरिक नियंत्रण सुदृढ़ करने और धोखाधड़ी को न्यूनतम रखने के उपाय सुझाती है। यह प्रवृत्तियों तथा प्रणालीगत समस्याओं का परीक्षण करती है, धोखाधड़ी का पता लगाने में विलम्ब की पहचान करती है, उच्च प्रबन्धन एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देती है, जाँच एवं वसूली-प्रक्रिया की निगरानी करती है, समय पर स्टाफ-जवाबदेही सुनिश्चित करती है और भविष्य में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से उपचारी कार्रवाई की समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एससीबीएमएफ ने एक बार बैठक की है।

IX. **ग्राहक-सेवा समिति (सीएससी):** सीएससी का कार्य बैंक में ग्राहक-सेवा की स्थिति की समीक्षा करना और ग्राहक-सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उपाय सुझाना है। यह समिति ग्राहक-शिकायतों तथा उनके समय पर समाधान की निगरानी भी करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएससी ने 4 बार बैठकें आयोजित कीं।

X. **सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आइटीएससी):** आइटीएससी का कार्य आईटी विजन, रणनीति एवं बैंक के आइटी नीति संबंधी दस्तावेज़ों को अनुमोदित करना, व्यवसाय और आइटी रणनीति में परस्पर अनुरूपता तथा आइटी संगठनात्मक ढाँचे का व्यवसाय मॉडल एवं उसकी दिशा का पूरक होना सुनिश्चित करना है। यह समिति सूचना एवं साइबर सुरक्षा के लिए शीर्ष समिति के रूप में भी काम करती है और संतोषजनक स्तर की सूचना सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से सूचना सुरक्षा के विषय में रणनीतिक एवं वित्तीय निर्णय लेती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आइटीएससी ने 4 बार बैठकें आयोजित कीं।

XI. **"संधारणीय विकास लक्ष्य" संबंधी समिति (सीएसडीजी):** सीएसडीजी बैंक हेतु ऐसी रणनीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो एसडीजी प्राप्त करने में एमएसएमई/हितधारकों की मददगार सिध्द हो। यह बैंक के एसडीजी संबंधी प्रयासों की निगरानी और समीक्षा करती है तथा एसडीजी एजेण्डा, खासकर जलवायु परिवर्तन, कार्बन तटस्थता, संधारणीयता आदि के प्रभावी कार्यान्वयन में बैंक का मार्गदर्शन करती है। यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) संबंधी दिशानिर्देशों के विकास का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करती है तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की एक बैठक सम्पन्न हुई।

4. वित्त वर्ष 2025 हेतु निदेशकों का पारिश्रमिक :

निदेशक का नाम	आयकर अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार वेतन (राशि ₹ में)	अन्य लाभ (राशि ₹ में)	सकल वेतन (राशि ₹ में)
1	2	3	4=2+3
श्री मनोज मित्तल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	36,41,607	28,14,170	64,55,777
श्री सुदत्त मंडल (उप प्रबंध निदेशक)	41,06,326	21,17,325	62,23,651
श्री प्रकाश कुमार (उप प्रबंध निदेशक)	44,65,019	26,46,673	71,11,692
श्री सिवसुब्रमणियन रमण (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (कार्यकाल 18/04/2024 को समाप्त)	3,58,473	5,95,875	9,54,348

अन्य लाभ में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आवास की सज्जा, उपयोगिता बिल, समाचार पत्र व आवधिक पत्रिकाएं आदि शामिल हैं।

4.1 गैर-कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक और बैठक शुल्क:

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिडबी द्वारा निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। देय शुल्क निम्नानुसार है:

बैठक	प्रति बैठक देय बैठक शुल्क
निदेशक मंडल	₹40,000 (निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹10,000 अतिरिक्त)
समिति	₹20,000 (समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु ₹5,000 अतिरिक्त)

टिप्पणी : सिडबी के निदेशक मंडल में नियुक्त कार्यपालक निदेशक या सरकारी अधिकारी किसी भी बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल बैठक शुल्क :

निदेशकों का नाम	भुगतान की गई निवल राशि (स्रोत पर कर की कटौती के बाद) (राशि ₹ में)
भारतीय स्टेट बैंक (नामिती निदेशक श्री अनिंद्य सुंदर पॉल के लिए)	3,60,000
श्री लक्ष्मी चंद मीना	1,85,000
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	1,40,000
नाबार्ड (नामिती निदेशक श्री मणिकुमार एस के लिए)	2,80,000
श्री अमित टंडन	4,70,000
श्री जितेंदर कालरा	4,20,000
श्री पी. जे थॉमस	1,30,000
श्री जी. गोपालकृष्ण	1,85,000
श्रीमती नुपुर गर्ग	3,40,000

5. साधारण सभा बैठकें :

वित्त वर्ष	दिनांक	बैठक का स्थान	समय (भारतीय मानक समय)	पारित किए गए विशेष प्रस्ताव
2023-24	सितंबर 25, 2024	लखनऊ	पूर्वाह्न 11.00 बजे	• श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन (डीआईएन : 10733238) की अगस्त 06, 2024 से प्रभावी नियुक्ति का अनुमोदन, जिन्हें केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एफटी -1/12/2022 आईएफ-II दिनांक अगस्त 06, 2024 के माध्यम से निदेशक नियुक्त किया था, जो क्रमावर्तन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे। • श्री अनिंद्य सुंदर पॉल (डीआईएन : 10272439) की अगस्त 03, 2023 से प्रभावी नियुक्ति का अनुमोदन, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, जो क्रमावर्तन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे। • श्री मणिकुमार एस. (डीआईएन : 08956660) की जनवरी 01, 2024 से प्रभावी नियुक्ति का अनुमोदन, जिन्हें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, जो क्रमावर्तन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे। • सुश्री नूपुर गर्ग (डीआईएन : 03414074) को स्वतंत्र (सहयोजित) निदेशक के रूप में जारी रखने की मंजूरी हेतु। • श्री जितेन्द्र कालरा (डीआईएन : 08722638) की फरवरी 13, 2024 से तीन वर्ष हेतु प्रभावी नियुक्ति का अनुमोदन, जिन्हें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा स्वतंत्र निदेशक (सहयोजित) के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जो क्रमावर्तन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।
2022-23	जून 26, 2023	लखनऊ	अपराह्न 03: 00 बजे	कोई नहीं
2021-22	जून 25, 2022	लखनऊ	पूर्वाह्न 10.30 बजे	कोई नहीं

डाक मतपत्र: सिडबी द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से गत वर्ष कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया । आगामी वार्षिक साधारण सभा बैठक के प्रस्तावित कामकाज में से किसी के लिए भी डाक मतपत्र के माध्यम से संकल्प पारित करना आवश्यक नहीं है।

6. सामान्य जानकारी/अभिपुष्टिकरण और प्रकटीकरण

i. **संचार के साधन:** तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम सामान्यत: 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' और 'जनसत्ता' में प्रकाशित किए जाते हैं तथा सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर भी अपलोड किए जाते हैं।

ii.. सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के लिए कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया है।

iii. **सामान्य शेयरधारक जानकारी:**

- वित्त वर्ष 2025 हेतु सिडबी की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक 29 सितंबर, 2025, सोमवार को सिडबी बोर्ड कक्ष, 7वां तल, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001 में आयोजित की जाएगी।
- लाभांश भुगतान तिथि: 29 सितंबर, 2025 को अथवा उसके बाद (साधारण बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर)
- रिकॉर्ड तिथि: वार्षिक साधारण बैठक की तारीख

iv. सिडबी के इक्विटी शेयर किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं। सिडबी एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्था है और सिडबी के अपरिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं, साथ ही, एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि एनएसई को वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹ 17,40,500/- के सूचीबद्धता शुल्क (जैसे लागू है) का भुगतान किया गया था।

v.. सिडबी पुष्टि करता है कि सिडबी की प्रतिभूतियों को वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया था।

vi. **शेयरधारिता का वितरण:**

शेयरधारक का नाम	% धारिता
भारत सरकार	20.85
भारतीय स्टेट बैंक	15.65
भारतीय जीवन बीमा निगम	13.33
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	9.36
पंजाब नेशनल बैंक	5.96
अन्य	34.85
कुल	100.00

vii. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि अप्रैल 1, 2024 से मार्च 31, 2025 (दोनों दिन शामिल) की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक संबद्धता सुविधा रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, अर्थात एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा प्रदान की गई थी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में श्रेणी - I के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में पंजीकृत है और जिसकी पंजीकरण सं.: INR000004058 तथा पता: सी -101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400083; दूरभाष: 022-49186000; फैक्स: 022-49186060; वेबसाइट: www.in.mpms.mufg.com है।

viii. शेयर अंतरण प्रणाली: सिडबी एक इक्विटी सूचीबद्ध संस्था नहीं है। सिडबी के शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए गए थे। सिडबी सामान्य विनियम, 2000 का विनियम 27 सिडबी के शेयरों के अंतरण से संबंधित है और सिडबी ने एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, सिडबी प्रतिभूतियों (एनसीएस) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था और केवल डीमैट रूप में जारी किया गया था।

ix. सिडबी के शेयर अमूर्त रूप में हैं और किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं। अत सिडबी के इक्विटी शेयर किसी भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग-योग्य नहीं हैं।

x. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और रेटिंग: केयर रेटिंग्स लिमिटेड, क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, इक्रा लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सिडबी द्वारा जारी विभिन्न लिखतों के श्रेणी निर्धारण के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, रेटिंग एजेंसियों ने श्रेणी निर्धारणों की पुष्टि की है और सिडबी के श्रेणी निर्धारण में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

केयर रेटिंग्स लिमिटेड	राशि जिसका श्रेणीनिर्धारण किया गया (₹ करोड़ में)	दिनांक	श्रेणी निर्धारण	श्रेणीनिर्धारण कार्रवाई
दीर्घावधि बैंक सुविधाएँ	42,500	28-03-2025	केयर एएए; स्थिर	पुनः पुष्टि
अल्पावधि बैंक सुविधाएं	97,500	28-03-2025	केयर A1+	पुनः पुष्टि
एमएसई/आरआईडीएफ जमा	2,12,000	28-03-2025	केयर एएए; स्थिर	पुनः पुष्टि
अप्रतिभूत मोचनीय बॉण्ड	1,38,000	28-03-2025	केयर एएए; स्थिर	पुनः पुष्टि
दीर्घावधि / अल्पावधि लिखत - सीडी / सीपी प्रोग्राम	1,16,000	28-03-2025	केयर एएए; स्थिर /केयर ए1+	पुनः पुष्टि
सावधि जमा	23,000	28-03-2025	केयर एएए; स्थिर	पुनः पुष्टि

केयर रेटिंग्स लिमिटेड	राशि जिसका श्रेणीनिर्धारण किया गया (₹ करोड़ में)	दिनांक	श्रेणी निर्धारण	श्रेणीनिर्धारण कार्रवाई
अपरिवर्तनीय डिबेंचर	1,05,000	06-03-2025	क्रिसिल एएए/ स्थिर	पुनः पुष्टि

इक्रा लिमिटेड	राशि जिसका श्रेणीनिर्धारण किया गया (₹ करोड़ में)	दिनांक	श्रेणी निर्धारण	श्रेणीनिर्धारण कार्रवाई
अपरिवर्तनीय डिबेंचर	31,615	08-01-2025	इक्रा एएए स्थिर	पुनः पुष्टि

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	राशि जिसका श्रेणीनिर्धारण किया गया (₹ करोड़ में)	दिनांक	श्रेणी निर्धारण	श्रेणीनिर्धारण कार्रवाई
वाणिज्यिक पत्र	88,600	04-03-2025	इंड ए1+	पुनः पुष्टि

xi. संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन, असंबद्ध रूप से और व्यवसाय के सामान्य संचलन के अंतर्गत किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, उल्लेखनीय महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकारों के साथ हुए लेनदेन निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन

क्र.सं.	नाम	पैन	सूचीबद्ध संस्था या उसकी सहायक संस्था के साथ प्रतिपक्षकार का संबंध	संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकार	समीक्षाधीन अवधि में लेन-देन का अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
1	बैंक ऑफ इंडिया	AAACB0472C	समान निदेशक	उधार / निवेश	45,263.11
2	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)	AAJCM6526F	समान निदेशक	उधार/पारिश्रमिक/प्राप्त ब्याज / अन्य लेनदेन	39,58.2

संबद्ध पक्षकार लेनदेन की महत्वपूर्णता और संबद्ध पक्षकार लेनदेन व्यवहार विषयक नीति के अनुसार, [एकल आधार पर या किसी वित्तीय वर्ष के पिछले लेनदेनों को मिलाकर किये गए लेनदेन, एक हजार करोड़ रुपये या सूचीबद्ध संस्था के गत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध संस्था के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक होने पर) और (ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संदर्भ में किसी संबद्ध पक्ष को किए गए भुगतान वाला लेनदेन, एकल आधार पर या गत वित्तीय वर्ष के पिछले लेनदेन को मिलाकर, सूचीबद्ध संस्था के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध संस्था के वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक होने पर) महत्वपूर्ण लेनदेन माना जाएगा।]

वित्त वर्ष 2025 के लिए सिडबी का 10% समेकित कारोबार रु.1,000 करोड़ से अधिक होने के फलस्वरूप, महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन की सीमा को रु. 1,000 करोड़ माना गया है। साथ ही ब्रांड उपयोग/रॉयल्टी के संबंध में कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

xii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अधिनियम/विनियम के किसी उल्लंघन के लिए सेबी द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया था।

xiii. सिडबी के निदेशक मंडल ने फरवरी 06, 2023 को आयोजित अपनी 217वीं बैठक में सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति को मंजूरी दी है। यह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 22 और सेबी (पीआईटी) (संशोधन) विनियम, 2018 के विनियम संख्या 9 ए (6) की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है, जिनमें व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य गोपनीयता बनाए रख कर और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से संरक्षण देकर व्हिसिल ब्लोअर में विश्वास पैदा करना है, ताकि प्रभावी नैगम अभिशासन सुनिश्चित हो सके। शिकायतों का निस्तारण समयबध्द तरीके से किया जाना चाहिए। जांचकर्ताओं को भी उत्पीड़न से संरक्षण मिलना चाहिए। अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जांच के बाद यदि शिकायत झूठी या तुच्छ पाई गई, तो सिडबी को व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। उक्त नीति सिडबी की वेबसाइट यानी www.sidbi.in पर उपलब्ध करा दी गई है। व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार, किसी भी कार्मिक को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से रोका नहीं गया।

xiv. संबंधित पक्षकार लेनदेन की सारभूतता पर नीति और 'सारभूत' सहायक संस्था निर्धारित करने की नीत सिडबी की वेबसाइट पर www.sidbi.in पर अग्रलिखित लिंक के तहत उपलब्ध हैं: https://www.sidbi.in/en/corporate-governance#section1।

xv. बैंक ब्याज दर और आस्तियों एवं देयताओं के बेमेल से उत्पन्न विनिमय जोखिम की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए डेरिवेटिवों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा लिए गए सभी डेरिवेटिव हेजिंग के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा उधार के रूप में रहते हैं, जो एमटीएम नहीं होते हैं, लेकिन केवल रूपांतरित होते हैं। बैंक डेरिवेटिव का व्यापार नहीं करता है। आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश और लेखा नीतियां निदेशक मंडल द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं। बैंक ने डेरीवेटिव सौदों से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए एक व्यवस्था लागू की है। बैंक डेरीवेटिव सौदों के फलस्वरूप होने वाले लेनदेन के लेखांकन के लिए उपचय पध्दति अपनाता है।

xvi. यथा मार्च 31, 2025 को अंचल / क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

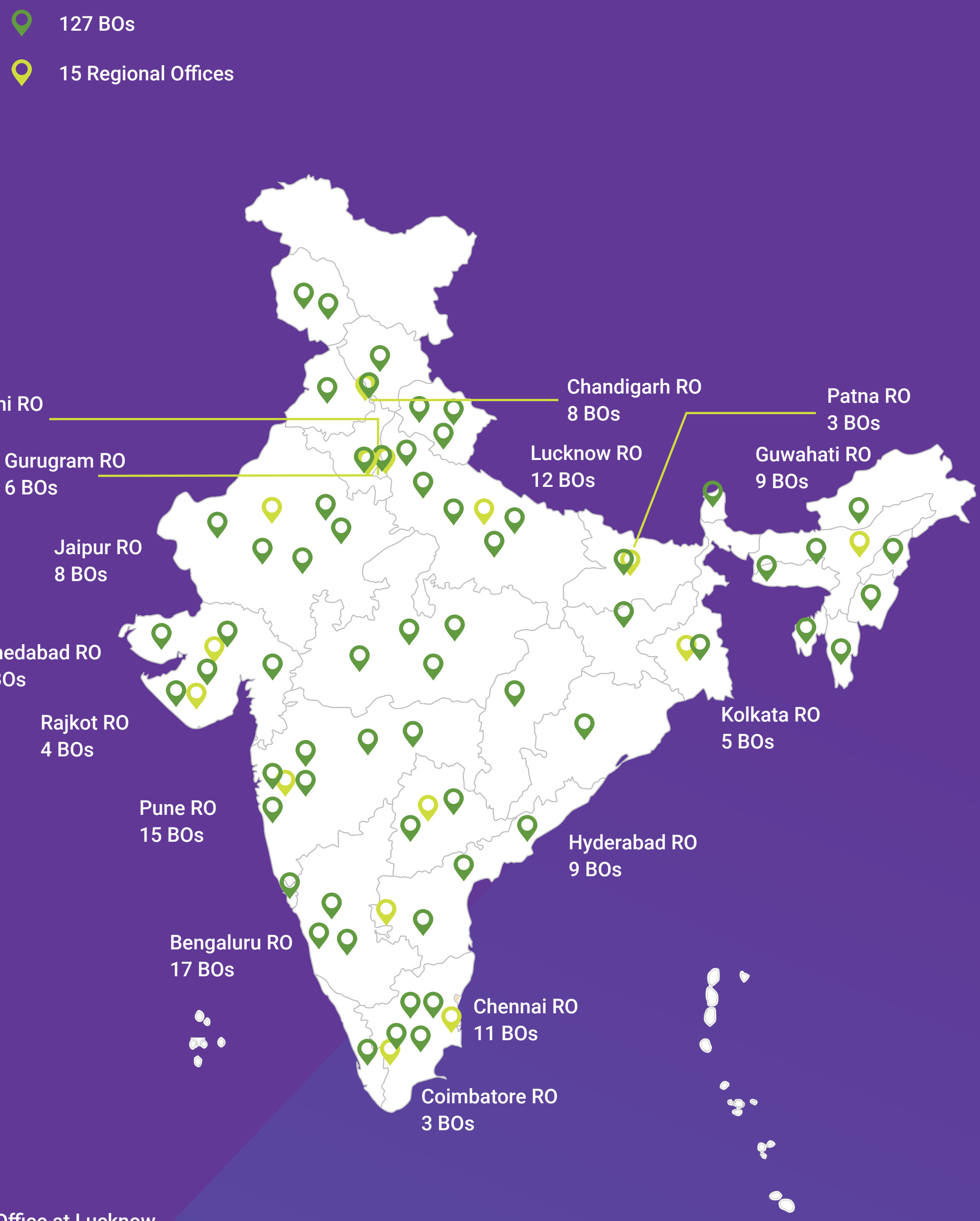

Head Office at Lucknow
Offices at Mumbai, New Delhi & Chennai

As on March 31, 2025

Map not to scale. For illustrative purposes only.

xvii. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों (मेसर्स जे. काला एंड एसोसिएट्स) को भुगतान किया गया कुल शुल्क रु.38,95,788.40/- था। सिडबी के सांविधिक लेखा परीक्षक इसकी किसी सहायक संस्था के लेखा परीक्षक नहीं है। सहायक संस्थाओं द्वारा अपने अपने सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान किया गया कुल शुल्क नीचे तालिका में दिया गया है।

क्रमांक	सहायक संस्थाओं के नाम	सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम	प्रदत्त कुल शुल्क
1	मुद्रा	डी. कोठारी एंड कंपनी	₹ 3,50,000/-
2	एसवीसीएल	मेसर्स हिनेश आर. दोषी एंड कं. एलएलपी	₹ 1,60,000 + प्रासंगिक व्यय ₹ 10,000 + 18% जीएसटी
3	एसटीसीएल	मेसर्स भूषण खोट एंड कं.	₹ 75,000 + प्रासंगिक व्यय ₹ 5,000 + 18% जीएसटी
4	सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन	कुमार चंदन एंड एसोसिएट्स*	लागू नहीं (प्रस्तावित पारिश्रमिक - ₹ 70,000 प्रतिवर्ष)

*टिप्पणी: वित्त वर्ष 2025 हेतु डीपीएनसीसी की नियुक्ति निदेशक मंडल के विचाराधीन है।

xviii. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या: शून्य

वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

xix. सिडबी की सारभूत सहायक संस्थाओं का विवरण; ऐसी सहायक संस्थाओं की स्थापना की तारीख और स्थान और उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम और नियुक्ति की तारीख सहित

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025		वित्त वर्ष 2024	
	कुल आय	निवल मालियत	कुल आय	निवल मालियत
सिडबी (समेकित)	40,753	35,472	34,232	31,188
कुल आय/निवल मालियत का 10%	4,075.3	3,547.2	3,423.2	3,118.8

सारभूत सूचीबद्ध सहायक संस्था - कोई सूचीबद्ध सहायक संस्था नहीं

सारभूत गैर- सूचीबद्ध सहायक संस्था

सहायक संस्थाओं के नाम	कुल आय / निवल मालियत	10% से अधिक हां/नहीं	कुल आय / निवल मालियत	10% से अधिक हाँ / नहीं	सारभूत सहायक संस्था हाँ/ नहीं
मुद्रा	2,272.98/ 4,835.75	हाँ	2,317.59/ 4,052.71	हाँ	हाँ
एसवीसीएल	12.7/53.8	नहीं	13.33/52.23	नहीं	नहीं
एसटीसीएल	0.84/10.1	नहीं	0.94/9.55	नहीं	नहीं

मुद्रा सिडबी की सारभूत सहायक संस्था है, जिसे सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में मार्च 18, 2015 को मुंबई में स्थापित किया गया था। मुद्रा के सांविधिक लेखा परीक्षक डी. कोठारी एंड कंपनी हैं।

xx. सिडबी ने विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में विनिर्दिष्ट नैगम अभिशासन अपेक्षाओं का वहाँ तक अनुपालन किया है, जहाँ तक कि वे सिडबी अधिनियम, 1989 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं, सिवाय इसके जो साचिविक लेखापरीक्षा तथा साचिविक अनुपालन रिपोर्ट में इंगित है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2025 में अनुपालन "अनुपालन या स्पष्टीकरण" आधार पर लागू था तथा यह अप्रैल 01, 2025 से अनिवार्य होगा। साथ ही, सिडबी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

xxi. सिडबी के निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जो कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। सिडबी का नैगम अभिशासन दृष्टिकोण समावेशी प्रकृति का है और निदेशक मंडल के सदस्यों तथा बाह्य विशेषज्ञों की राय को विधिवत मान्यता दी जाती है और उनका समावेश निदेशक मंडल के निर्णयों में किया जाता है।

7. पत्राचार के लिए पता:

पंजीकृत कार्यालय: सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश

कॉर्पोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन, सी -11, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051, महाराष्ट्र

8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2025 हेतु निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक ।

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान सिडबी के कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री मनोज मित्तल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पूर्व उन्होंने आईएफसीआई लिमिटेड में 3 वर्ष तक प्रबंध निदेशक एवं मुक्ष्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा दी। इसके पहले वे सिडबी में 5 वर्ष तक उप प्रबंध निदेशक रहे। श्री मनोज मित्तल के पास संगठनात्क विकास को बल देने तथा रणनीतिक नेतृत्व के माध्यम से प्रभाव और लाभप्रदता को बढ़ाने का 3 दशकों से अधिक का कार्यानुभव है। उन्हें बहुपक्षीय एजेंसियों / भारत सरकार द्वारा निधीकृत विभिन्न संधारणीय व विकासपरक कार्यक्रमों के डिजाइन, प्रबंधन और प्रभाव मूल्यांकन के क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। एमएसएमई के समग्र विकास हेतु वे ऋण के अतिरिक्त सहायता के दृष्टिकोण के प्रबल पक्षधर हैं। एक प्रशिक्षित अभियंता होने के साथ, श्री मित्तल ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक भी हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के एक प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

श्री सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक/ कार्यपालक निदेशक

श्री सुदत्त मंडल ने 3 मई 2021 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। सिडबी में आने से पूर्व वे भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। उनके पास एक्ज़िम बैंक के विभिन्न उद्धागों (आस्तियों, देयताओं, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन एवं रणनीति) में कार्य करने का 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश वित्त, परियोजना वित्त, क्लस्टर वित्त सहित लघु एवं मध्यम उद्यम ऋण, व्यापार वित्त तथा सीमापार विकास वित्त में 20 वर्ष का परिचालन अनुभव शामिल है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक हैं और उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, वित्त में विशेषज्ञता के साथ, प्राप्त किया है।

श्री प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक/कार्यपालक निदेशक

श्री प्रकाश कुमार ने 07 नवंबर, 2023 को सिडबी के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले, वे सिडबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण उद्धागों का नेतृत्व किया, जैसे, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अल्प वित्त उद्धाग, प्रत्यक्ष ऋण उद्धाग, जोखिम प्रबंध उद्धाग, राजकोष और संसाधन प्रबंध उद्धाग आदि। उन्होंने डीएफआईडी, यूके के सहयोग से सिडबी द्वारा कार्यान्वित निर्धनतम राज्य समावेशी वृद्धि (पीएसआईजी) नामक प्रतिष्ठित परियोजना का भी नेतृत्व किया है। उन्हें सिडबी में लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण, अल्प वित्त, जोखम प्रबंध, राजकोष, गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंध, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 28 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्हें भारत और विदेश, दोनों में एमएसएमई वित्तपोषण और विकास से जुडे क्षेत्रों से संबंधित कई सम्मेलनों / सेमिनारों में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। वे आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एनएमआईएमएस, मुंबई से वित्तीय प्रबंधन में परास्नातक हैं।

अनुलग्नक I

डॉ. रजनीश

गैर-कार्यपालक निदेशक / सरकार के नामिती

डॉ. रजनीश भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1997 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री, बर्न विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। डॉ. रजनीश ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ करोलिना, यूएसए से ह्यूबर्ट हम्फरी फैलोशिप प्रोग्राम भी किया है। वर्तमान में वे भारत सरकार में अपर सचिव और एमएसएमई मंत्रालय में विकास आयुक्त हैं। डॉ रजनीश भारत में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक नीति निर्माण से संबद्ध हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में उन्हें वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और नगर नियोजन, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में काम करने का 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति (2012-2017) और भारत के वित्त मंत्री (2011-12) के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है।

श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन

गैर-कार्यपालक निदेशक / सरकार के नामिती

श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन को भारत सरकार ने 6 अगस्त, 2024 से सिडबी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया। वे व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हैं तथा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम से बीएससी की है। वर्तमान में, वे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थ हैं। इससे पूर्व, उन्होंने करूर व्यास्य बैंक में व्यवसाय प्रमुख, एमएसएमई (स्मार्ट बिज़नेस सेगमेंट) के रूप में कार्य किया है। वे उत्कर्ष लघु वित्त बैंक में व्यवसाय प्रमुख (एमएसएमई) भी रहे हैं। उन्हें एसएमई ऋण, वित्तीय विश्लेषण, व्यापार वित्त, जोखिम प्रबंधन, दबावग्रस्त खाता प्रबंधन तथा ऋण परिचालनों के क्षेत्र में 25 वर्षों का विशद अनुभव है। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक से पूर्व उन्होंने एक्सिस बैंक लिमिटेड में, सर्कल प्रमुख – वाणिज्यिक बैंकिंग के पद पर कार्य किया। साथ ही, उन्होंने एक्सचेंसर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंफोसिस बीपीओ तथा बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड में भी कार्य किया है।

श्री अनिंद्य सुंदर पॉल

गैर-कार्यपालक निदेशक/शेयरधारक (एसबीआई नामिती) निदेशक

श्री अनिंद्य सुंदर पॉल एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में विभिन्न पदों पर 28 वर्षों से अधिक का समृध्द अनुभव है। श्री पॉल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय शाखाओं में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करने सहित बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने बैंक के क्षेत्रीय और नेटवर्क प्रभाग का भी नेतृत्व किया। श्री पॉल ने भारतीय स्टेट बैंक की हांगकांग शाखा में भी कार्य किया। वह वर्तमान में एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक (एसएमई तथा एसएफसी) के पद पर हैं, और बैंक के लगभग ₹3.34 ट्रिलियन के लघु एवं मध्यम उद्यम संविभाग को संभाल रहे हैं।

अनुलग्नक I

श्री लक्ष्मी चंद मीना

गैर-कार्यपालक निदेशक/शेयरधारक (एलआईसी नामिती) निदेशक

श्री लक्ष्मी चंद मीना ने 1988 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यग्रहण किया तथा निगम की विभिन्न शाखाओं और मंडल कार्यालयों में विभिन्न प्रशासनिक व विपणन कार्यों के क्षेत्र में उन्हें विशद और विविध अनुभव प्राप्त है। वे गांधीनगर मंडल और लखनऊ मंडल में विपणन प्रबंधक के रूप में पदस्थ थे। उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के दो मंडल कार्यालयों, नामतः शिमला मंडल और चंडीगढ़ मंडल में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक प्रभारी के रूप में नेतृत्व भी किया। श्री मीना का एलआईसी आवास वित्त लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) के केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक (विपणन) के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल भी रहा है, जहां उन्होंने एलआईसी एचएफएल के विपणन प्रकार्यों का संचालन किया। इसके बाद, वे वरिष्ठ व्यवसाय एसोसिएट (एसबीए) विभाग, एलआईसी, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में सचिव के पद पर रहे। नाज़ुक कोविड अवधि के दौरान वे पश्चिम अंचल कार्यालय, मुंबई में क्षेत्रीय प्रबंधक (सीआरएम/दावा) के रूप में पदस्थ रहे तथा उसके बाद एलआईसी, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में प्रमुख (सीआरएम/दावा) रहे। कार्यपालक निदेशक के संवर्ग में, उन्होंने राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), पुणे में कार्य किया। तत्पश्चात, उन्होंने एलआईसी के मुंबई स्थित प्रबंध विकास केंद्र (एमडीसी) में कार्यग्रहण किया तथा इसके निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। श्री मीना ने बीएससी की डिग्री हासिल की है।

श्री मणिकुमार एस

गैर-कार्यपालक निदेशक/शेयरधारक (नाबार्ड नामिती) निदेशक

श्री मणिकुमार एस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य (एफसीएमए) हैं और वित्त में एमबीए, एमएस (बैंकिंग) और कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडवांस्ड पीजी डिप्लोमा धारक हैं। वे भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। उनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से विकेंद्रीकृत ऋण आयोजना, वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण नवोन्मेष, अल्प वित्त और वित्तीय समावेशन, एकीकृत जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन रूपांतरण, बैंकिंग प्रौद्योगिकी, स्टार्ट-अप निवेश और नए वित्तीय उत्पाद तैयार करने विषयक क्षेत्रों में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। श्री मणिकुमार एस. वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), प्रधान कार्यालय, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। वे नबसमृ□ध्द फाइनेंस लि. के निदेशक मंडल में भी हैं, जो नाबार्ड की एनबीएफसी-सहायक संस्था है।

श्री अमित टंडन

गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक

श्री अमित टंडन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (आईआईएएस) के संस्थापक और जुलाई 2011 से इसके प्रबंध निदेशक हैं। आईआईएएस से पहले, श्री अमित टंडन अक्टूबर 2001 से जून 2011 तक फिच रेटिंग्सः इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उन्होंने फिच रेटिंग्स लंका का भी पर्यवेक्षण किया। फिच में आने से पहले, वह 17 वर्ष (मई 1984 से सितंबर 2001 तक) आईसीआईसीआई समूह में थे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं और व्यवसायों में बारी-बारी से काम किया, जिसमें परियोजना वित्त, लीज़िंग और मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन शामिल हैं। आईसीआईसीआई समूह के साथ उनकी अंतिम भूमिका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में निवेश बैंकिंग के प्रमुख के रूप में थी। वे मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य, कंपनी अधिनियम पर प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कार्य समूहों में से एक के सदस्य, और सेबी द्वारा गठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कोटक समिति के सदस्य रहे हैं। श्री अमित टंडन ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली से एमबीए किया है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूके से एमफिल की डिग्री प्राप्त की है।

अनुलग्नक I

श्री जितेन्द्र कालरा
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक

श्री जितेंद्र कालरा को एमएसएमई क्लस्टर विकास की गहरी समझ और अनुभव है। 1991 में सिविल सेवक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री कालरा ने यूनिडो में और भारत के दो सबसे बड़े सीएसआर फाउंडेशनों - डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन में वरिष्ठ नेतृत्व भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने उद्यम और आजीविका संवर्ध्दन, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास, ग्रामीण रूपांतरण और पुनर्योजी कृषि के क्षेत्रों में व्यापक रूप से काम किया है। यूनिडो में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कार्यान्वयन और नीति स्तरों पर भारत में 'एमएसएमई क्लस्टर विकास' दृष्टिकोण को चलाने में मदद की। वर्तमान में, श्री कालरा "नैब फाउंडेशन" के निदेशक हैं, जो नाबार्ड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है और जिसे अभिसरण के माध्यम से अभिनव परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। वह संस्कृति निर्माण और संगठनात्मक रूपांतरण पर वरिष्ठ नेतृत्व टीमों को प्रशिक्षण और कोचिंग देने में सक्रिय है। श्री जितेंद्र कालरा के पास बीएससी (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) और एमबीए की डिग्री है।

श्री पी जे थॉमस
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक

श्री पी जे थॉमस विज्ञान में बीएससी (मानद) स्नातक हैं तथा बैंकिंग व फाइनेंस में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यट ऑफ बैंकर्स के एक प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक में एक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण से पूर्व अपना कैरियर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अधिकारी के तौर पर आरंभ किया तथा विभिन्न पदों पर सेवाएं दीं, जिनमें क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, बेंगलूरू का पद भी शामिल है। एक स्थापित केंद्रीय बैंकर के अपने सेवाकाल की 36 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान, उन्हें आरबीआई के बैंकिंग विनियमन, बैंकिंग पर्यवेक्षण तथा वित्तीय समावेशन विभागों में कार्य करने का लंबा अनुभव प्राप्त है। वे विजया बैंक और केनरा बैंक के साथ आरबीआई के वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक भी रहे। उन्होंने बासेल, फ्रैंकफर्ट, कुआलालंपुर और मनीला में अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ-साथ फेडरल रिज़र्व ऑफ न्यूयॉर्क एंड फ्लोरिडा में बैंकिंग विनियमन एवं पर्यवेक्षण में विदेश में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। उन्होंने आंध्रा बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडलों में आरबीआई के नामिती निदेशक के रूप में भी सेवा दी है।

सुश्री पद्मजा शैलेन रूपारेल
गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक

सुश्री पद्मजा रूपारेल भारतीय उद्यमिता परिवेश में राष्ट्रीय स्तर पर पहचानप्राप्त एक प्रमुख कर्मी हैं तथा स्वयं एक सक्रिय एंजेल निवेशक होने के अतिरिक्त उन्होंने कई प्रासंगिक संस्थानों की स्थापना में सहायता की है। उनके कार्यकारी अनुभव में बड़े कार्पोरेट, एमएंडए तथा स्टार्टअप्स / नवोदित कंपनियां शामिल हैं। उन्हें कई वर्ष तक "सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं" की विभिन्न सूचियों में शामिल किया जाता रहा है तथा फॉर्च्यून इंडिया, फोर्ब्स इंडिया और बिजनेस टुडे की सूची में इनकी पुनरावृत्ति हुई है। वुमैन इकॉनॉमिक फोरम ने उन्हें अपने "वुमैन ऑफ दि डिकेड इन इंवेस्टमेंट बैंकिंग" अवार्ड से सम्मानित किया है। वे बीजरूपी और आरंभिक चरण के निवेशों हेतु भारत के एकमात्र बड़े क्षैतिज प्लेटफॉर्म इंडियन एंजेल नेटवर्क की सह संस्थापक हैं। उन्होंने भारत सरकार के जैव तकनीक विभाग के नवोन्मेष प्रकोष्ठ बीआईआरएसी की भागीदारी से भारत के पहले क्षेत्र केंद्रित एंजेल निवेशक समूह बायोएंजेल्स की स्थापना की है। सुश्री पद्मजा आईएएन समूह के अद्वितीय उद्यम पूंजी व्यवसाय की संस्थापक भागीदार हैं, जिसकी आईएएन निधि आई है, जो कि सेबी में पंजीकृत एआईएफ श्रेणी I की यूएस $55 मिलियन की उद्यम पूंजी निधि है। वरिष्ठ प्रबंध भागीदार के रूप में, अब उन्होंने आईएएन अल्फा निधि के साथ इसकी दूसरी निधि आरंभ की है, जो सेबी में पंजीकृत एआईएफ श्रेणी II की यूएस $125 मिलियन की उद्यम पूंजी निधि है। सुश्री पद्मजा टाई एनसीआर बोर्ड की सदस्य हैं तथा उन्हें ग्लोबल बिज़नेस एंजेल नेटवर्क (जीबीएएन) की सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे सरकार की एनईएसी की सदस्य हैं और सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारत सरकार) तथा टीडीबी (प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार) के निदेशक मंडल में हैं। सुश्री पद्मजा आईवीसीए (भारतीय उद्यम पूंजी संघ) की कार्यकारी परिषद की सदस्य है तथा टीआईई एनसीआर के निदेशक मंडल में हैं। वे नासकॉम की डीप टेक काउंसिल की सदस्य हैं। सुश्री पद्मजा एवेंडस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेक, एस्टर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड तथा मणिपाल टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड के निदेशक मंडलों में एक स्वतंत्र निदेशक भी है।

अनुलग्नक II

Deep Shukla & Associates
COMPANY SECRETARIES
A-603, Maruti Bhuvan, Parsi Panchayat Road,
Opp. Sona Udyog, Andheri East, Mumbai - 400069.
022 - 35518802
+91 9594863281
csoffice@deepshukla.com/deep@deepshukla.com
www.deepshukla.com

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the financial year ended March 31, 2025

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
Corp. Office: SIDBI,SwavalambanBhavan,
C-11, G-Block,Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisionsand the adherence to good corporate practices by **Small Industries Development Bank of India** (*hereinafter called theSIDBI*).

Based on my said verification of SIDBI's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by SIDBI and also the information provided by SIDBIduring the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, SIDBIhascomplied with the statutory provisions listed hereunder for the financial year ended on 31st March, 2025 and also that SIDBI has proper Board-processes and compliance-mechanism in place*(subject to the observations mentioned in this report)*:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by SIDBI for the financial year ended on 31st March 2025 according to the provisions of:

(i) The Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (SIDBI Act, 1989);

(ii) The Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000;

(iii) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder as amended;*(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(iv) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder as amended; *(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(v) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder as amended; *(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(vi) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;*(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(vii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): —

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; *(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No. 5364
COMPANY SECRETARIES

अनुलग्नक II

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; *(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999*(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*;

(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;*(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; *(to the extent Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;*(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*;

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;*(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*;

(i) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;

(j) The Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007;

(k) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993;

(l) The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India; *(Not Applicable to SIDBI during the Audit Period)*

(b) The Listing Agreements entered into by the SIDBI with the Stock Exchange *viz* NSE Ltd along with the relevant Regulations of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as applicable for respective periods.

During the period under review, SIDBI has complied with the provisions of theAct, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above, *subject to the following observations*:

- *As per available record, it is to be noted that "MUDRA" is a material subsidiary of SIDBI and hence Secretarial Audit Report (MR-3) of MUDRA wasto be annexed with an Annual Report of SIDBI for the F.Y. 2023-24. However, said information is missing in the said Annual Reportfor 2023-24, as stipulated in Reg. 24A of SEBI (LODR). As explained by the management, during the F.Y. 2023-24, the said regulation was applicable on comply or explain basis.It is mandatorily applicable with effect from 01 April 2025 and accordingly SIDBI will comply with the same in upcoming financial year. In our view, clarificationgiven by the management is satisfactory to us.*

- *As per minutes of Annual General Meeting held on 25th September, 2024, it is observed that Chairperson of Stakeholder Relative Committee was not present, as stipulated in Reg. 20(3) of SEBI (LODR). As explained by the management, the chairperson of Stakeholders Relationship Committee hadcompleted his tenure on August 10, 2024. Hence, he was not present in the AGM held on September 25, 2024. As explained by the management, during the F.Y. 2024-25, the said regulation was applicable on comply or explain basis.It is mandatorily applicable with effect from 01 April 2025 and accordingly SIDBI will henceforth adhere to the regulation. In our view, clarificationgiven by the management is satisfactory to us.*

अनुलग्नक II

- *As per available information, we have not found details of separate meetings of Independent Directors, as stipulated in Reg. 25(3) of SEBI (LODR). As explained by the management, Regulation 25(3) is mandatorily applicable with effect from 01 April 2025. Formal meeting of Independent Directors, as per regulations, will be held from FY 2025-26 onwards.In our view, clarificationgiven by the management is satisfactory to us.*

- *Under SEBI (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007, listed entity or any of its employee needs to obtain certificate from National Institute of Securities Markets (NISM) established by the SEBI. As per available record, SIDBI or any of its employee has not obtained such certificate.* Also, no activity permitted under *the merchant Banking registration Certificate was undertaken by SIDBI during the FY 2025. As explained by the management, they are in to the process of obtaining the same. In our view, clarificationgiven by the management is satisfactory to us.*

- *As per Regulation 23(2), All related party transactions [and subsequent material modifications] shall require prior approval of the audit committee [of the listed entity].While SIDBI had taken prior approval for prospective related party transaction for the period from April 01, 2024 till March 31, 2025, from its Audit Committee at its meeting held on May 29, 2024, there were some transactions for which prior approval was not obtained. However, all such transactions reported to and ratified by the AC on a quarterly basis.As explained by the management, related party transactions (RPTs) without prior approval were those which could not be identified at the time of taking prior approval. However, all such approval were ratified by the Audit Committee (AC) subsequently. Further, the Bank had approval from the AC to enter into additional RPTs, over and above the limits so approved and/or for unplanned transactions, subject to post facto reporting and ratification by the AC on a quarterly basis.*

I further report that:

- The Board of Directors of SIDBI is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and/or Independent Directors.
- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

- All the resolutions were passed with consent of majority Directors/Unanimously.

I further report that:

- there are adequate systems and processes in the SIDBI commensurate with the size and operations of the SIDBI to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No.: 5364
COMPANY SECRETARIES

अनुलग्नक II

I further report that during the audit period there were no specific events/actions having a major bearing on the SIDBI's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, guidelines and standards.

For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

Place: Mumbai
Date: 28/04/2025

DEEP SHUKLA
{PROPRIETOR}
FCS: 5652
CP NO.5364
UDIN:F005652G000217897

अनुलग्नक II

Annexure to Secretarial Report and forming part of the report

To,
The Members,
Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
Corp. Office: SIDBI,SwavalambanBhavan,
C-11, G-Block,Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I further state that my said report of the even date has to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial/ Statutory Records is the responsibility of the Management of the SIDBI. My responsibility is to express an opinion on these records based on the audit.

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the SIDBI.

4. Wherever required I have obtained *orally*,the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happenings of events etc.

5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standard is the responsibility of management. My examination is limited to the verification of procedures on test basis and shall not stand responsible for any non -compliance.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the SIDBI nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the SIDBI.

For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No.: 5364
COMPANY SECRETARIES

Place: Mumbai
Date: 28/04/2025

DEEP SHUKLA
{PROPRIETOR}
FCS: 5652
CP NO.5364
UDIN:F005652G000217897

अनुलग्नक III

Deep Shukla & Associates
COMPANY SECRETARIES
A-603, Maruti Bhuvan, Parsi Panchayat Road,
Opp. Sona Udyog, Andheri East, Mumbai - 400069.
022 - 35518802
+91 9594863281
csoffice@deepshukla.com/deep@deepshukla.com
www.deepshukla.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

[As per Part E of schedule V of SEBI (LODR)]

To,
The Members,
Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
Corp. Office: SIDBI, Swavalamban Bhavan,
C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai - 400051, Maharashtra, India.

I have examined the compliance with the conditions of Corporate Governance by Small Industries Development Bank of India ('the SIDBI') for the year ended March 31, 2025, as stipulated in the relevant applicable regulations under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations), to the extent as applicable.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination was limited to a review of procedures and implementation thereof, adopted by the SIDBI for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the SIDBI.

SIDBI is established and governed by SIDBI Act, 1989 and SIDBI General Regulation, 2000. Thus, Corporate Governance Structure and compliances are in accordance with applicability of the relevant regulations under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not conflict with SIDBI Act, 1989 and SIDBI General Regulations, 2000.

For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

FCS No. 5652
C.P. No.: 5364

Place: Mumbai
Date: 28/04/2025

DEEP SHUKLA
{PROPRIETOR}
FCS: 5652
CP NO.5364
UDIN: F005652G000217974

अनुलग्नक IV

CS Deep Shukla & Associates
COMPANY SECRETARIES

A-603, Maruti Bhuvan, Parsi Panchayat Road,
Opp. Sona Udyog, Andheri East, Mumbai - 400069.
022 - 35518802
+91 9594863281
csoffice@deepshukla.com/deep@deepshukla.com
www.deepshukla.com

ANNUAL SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

Annual Secretarial Compliance Report of "Small Industries Development Bank of India (SIDBI)"for the year ended March 31, 2025

We, Deep Shukla & Associates have examined:

(a) all the documents and records made available to us and explanation provided by **SIDBI** ("the high value Debt Listed Entity"),
(b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchange(s),
(c) website of the listed entity
(d) other relevant document(s)/ filing, which has been relied upon to make this certification,

for the year ended March 31, 2025 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of :

(a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder;
(b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"); ***[Not applicable during the review period];***

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, are:-

(c) Regulations to the extent as applicable as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;*duly updated;*
(d) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; ***[Not applicable during the review period]***
(e) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;***[Not applicable during the review period]***
(f) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; ***[Not applicable during the review period]***

1

M.S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES COMPANY SECRETARIES FCS No. 5652 C.P. No.: 5364

अनुलग्नक IV

(g) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; *[Not applicable during the review period*

(h) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

(i) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(j) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 2022;

(k) The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;

(l)The Securities and Exchange Board of India (Merchant Banking) Regulations, 1992;

(m) The Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities market) Regulations, 2007

And based on the above examination, we hereby report that, during the Review Period:

(a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, *except* in respect of matters specified below: –

Sr. No	Compliance Requirement (Regulations/ circulars / guidelines including specific clause)	Deviations	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary
1.	As per Regulation 24A(1)(a) of SEBI LODR, every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor who shall be a Peer Reviewed Company Secretary and shall annex a Secretarial Audit Report in such form as specified, with the annual report of the listed entity.	As per available record, it is to be noted that "MUDRA" is a material subsidiary of SIDBI and hence Secretarial Audit Report (MR-3) of MUDRA hadto be annexed with an Annual report of SIDBI for the F.Y. 2023-24. However, said information is missing in said AR for 2023-24, as stipulated in Reg. 24A of SEBI (LODR).	As explained by the management, during the F.Y. 2023-24, the said regulation was applicable on comply or explain basis. It is mandatorily applicable with effect from 01 April 2025 and accordingly SIDBI will comply the same in upcoming financial year. In our view, clarification given by the management is satisfactory to us.
2.	As per Regulation 20(3) of SEBI LODR, the Chairperson of the Stakeholders Relationship Committee shall be present at the annual general meetings to answer queries of the security holders.	As per minutes of Annual General Meeting held on 25th September, 2024, it is observed that Chairperson of Stakeholder Relative Committee was not present, as stipulated in Reg. 20(3) of SEBI (LODR)	As explained by the management, the chairperson of Stakeholders Relationship Committee completed his tenure on August 10, 2024. Hence, he was not present in the

2

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
CP No. 5364
COMPANY SECRETARIES

अनुलग्नक IV

Sr. No	Compliance Requirement (Regulations/ circulars / guidelines including specific clause)	Deviations	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary
			AGM held on September 25, 2024.As explained by the management, during the F.Y. 2024-25, the said regulation was applicable on comply or explain basis. It is mandatorily applicable with effect from 01 April 2025 and SIDBI will henceforth adhere to the regulation. In our view, clarification given by the management is satisfactory to us.
3.	As per Regulation 25(3) of SEBI LODR, the independent directors of the listed entity shall hold at least one meeting in a [financial] year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall strive to be present at such meeting.	As per available information, we have not found details of separate meetings of Independent Directors, as stipulated in Reg. 25(3) of SEBI (LODR)	As explained by the management, Regulation 25(3) is mandatorily applicable with effect from 01 April 2025. Meeting of Independent Directors, as per regulations, will be held from FY 2025-26 onwards. In our view, clarification given by the management is satisfactory to us.
4.	Under SEBI (Certification of Associated Persons in The Securities Markets) Regulations, 2007, listed entity or any of its employee needs to obtain certificate from National Institute of Securities Markets (NISM) established by the SEBI.	As per available record, SIDBI or any of its employee has not obtained such certificate.Also, no activity permitted under the merchant Banking registration Certificate was undertaken by SIDBI during the FY 2025.	As explained by the management, they are in the process of obtaining the same. In our view, clarification given by the management is satisfactory to us.
5.	As per Regulation 23(2), all related party transactions [and subsequent material modifications] shall require prior approval of the audit committee [of the listed entity]	While SIDBI had taken prior approval for prospective related party transaction for the period from April 01, 2024 till March 31, 2025, from its Audit Committee (AC) at its meeting held on May 29, 2024, there	As explained by the management, related party transactions (RPTs) without prior approval were those which could not be identified at the time of taking prior approval.

3

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No. 6364
COMPANY SECRETARIES

अनुलग्नक IV

Sr. No	Compliance Requirement (Regulations/ circulars / guidelines including specific clause)	Deviations	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary
		were some transactions for which prior approval was not obtained. However, all such transactions reported to and ratified by the AC on a quarterly basis.	However, all such approval were ratified by the Audit Committee (AC) subsequently. Further, the Bank had approval from the AC to enter into additional RPTs, over and above the limits so approved and/or for unplanned transactions, subject to post facto reporting and ratification by the AC on a quarterly basis.

(b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder insofar as it appears from our examination of those records.

(c) The following are the details of actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder:

Sr. No	Action Taken by	Details of Violation	Details of action taken e.g. fines, warning letter, debarment, etc.	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary
Not Applicable				

(d) The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No.: 5364
COMPANY SECRETARIES

अनुलग्नक IV

Sr. No	Observations of the Practicing Company Secretary in the previous reports	Observations made in the secretarial compliance report for the year ended... (The years are to be mentioned)	Actions taken by the listed entity, if any	Comments of the Practicing Company Secretary on the actions taken by the listed entity
Not Applicable				

For: M/s. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
(Peer Review Certificate No: 2093/2022)

M/S. DEEP SHUKLA & ASSOCIATES
FCS No. 5652
C.P. No.: 5364
COMPANY SECRETARIES

Place: Mumbai
Date: 28/04/2025

DEEP SHUKLA
{PROPRIETOR}
FCS: 5652
CP NO.5364
UDIN:F005652G000217831

5

अनुलग्नक V

Rajkumar R. Tiwari
FCS., LLM., MBA(Fin)., Mcom., MA(Eco)., M. Phil.,
PGDICM & IA., DIPL., DTL., DFM.
Practising Company Secretary

Office : 3/1413, 14th Floor, Navjivan Commercial Premises Co-op. Soc. Ltd., Lamington Road, Mumbai Central, Mumbai 400 008. Tel. : 022-23011981 / 022-66351981(M) 9820353375
E-mail:raj.nj4227@gmail.com / raj_nj13@hotmail.com

Date: 25 JUN 2025

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st March, 2025
(Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies Appointment and Remuneration of Managerial Personnel Rules, 2014)

To,
The Members,
Micro Units Development & Refinance Agency Limited
[MUDRA Ltd.]
Swavalamban Bhavan, Plot No. C-11,'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai- 400051

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Micro Units Development & Refinance Agency Limited(CIN: U65100MH2015PLC274695)** (hereinafter called "the company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts /statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the **Micro Units Development & Refinance Agency Limited** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2025 ('Audit Period')** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-Process and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **Micro Units Development & Refinance Agency Limited** ("the Company") for the financial year ended on **31st March, 2025** according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ("the Act") including amendments thereof and the rules made there under;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under **(Not Applicable to the Company);**

R. R. TIWARI FCS-4227 C.P. : 2400 Practising Company Secretary

Page **1** of **3**

अनुलग्नक V

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Company)**

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; **(Not Applicable to the Company)**

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; **(Not Applicable to the Company)**

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; **(Not Applicable to the Company)**

d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; **(Not Applicable to the Company)**

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; **(Not Applicable to the Company)**

f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Act and dealing with clients; **(Not Applicable to the Company)**

g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; **(Not Applicable to the Company)**

h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not Applicable to the Company)**

i) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; **(Not Applicable to the Company)**

vi. The Company has identified and confirmed the following laws as being specifically applicable to the Company:

a) Systemically Important Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2015 read with Master Circular as issued by Reserve Bank of India with respect to Returns to be submitted by NBFCs, as may be applicable.

R. R. TIWARI FCS-4227 C.P.: 2400 Practising Company Secretary

Page **2** of **3**

अनुलग्नक V

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

a) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

During the year under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

I further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings/Committee Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, except where consent of directors was received for circulation of the agenda and notes on agenda at a shorter notice and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All the resolutions, decisions of the Board and Committees thereof were carried out with requisite majority.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the period under review the Company has enhanced the borrowing limit to Rs. 8,000 Crores, pursuant to the provisions of Section 180 (1) (c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 by passing Shareholders Special resolution in the 9th Extra-Ordinary General Meeting of the Company held at shorter notice on Monday, 27th January, 2025.

R. R. TIWARI
FCS-4227
C.P.: 2400
Practising Company Secretary

25/06/2025

Place: Mumbai
Date: June 25, 2025

CS Rajkumar R. Tiwari
Company Secretary in whole time practice:
C.P. No.:2400 FCS No.:4227
P.R. No. 2041/2022
UDIN: F004227G000661499

This report is to be read with my letter of even date which is annexed as **Annexure A** and forms an integral part of this report.

Page **3** of **3**

अनुलग्नक V

Rajkumar R. Tiwari
FCS., LLM., MBA(Fin)., Mcom., MA(Eco)., M. Phil.,
PGDICM & IA., DIPL., DTL., DFM.
Practising Company Secretary

Office : 3/1413, 14th Floor, Navjivan Commercial Premises Co-op. Soc. Ltd., Lamington Road, Mumbai Central, Mumbai 400 008. Tel. : 022-23011981 / 022-66351981(M) 9820353375
E-mail:raj.nj4227@gmail.com / raj_nj13@hotmail.com

Date: 25 JUN 2025

Annexure-A

To,
The Members,
Micro Units Development & Refinance Agency Limited
[MUDRA Ltd.]
Swavalamban Bhavan, Plot No. C-11,'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai- 400051

I further state that my report of the even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion on these records based on my audit.

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test bases to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

4. Where ever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The Compliance of the Provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

R. R. TIWARI
FCS-4227
C.P.: 2400
Practising Company Secretary

25/06/2025

Place: Mumbai
Date: June 25, 2025

CS Rajkumar R. Tiwari
Company Secretary in whole time practice:
C.P. No.: 2400 FCS No.:4227
P.R. No. 2041/2022
UDIN: F004227G000661499

Page 1 of 1

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

SidbiOfficial SidbiOfficial SidbiOfficial SidbiOfficial SidbiOfficial

Great Place To Work. Certified

Concept & Design (info@wyatt.co.in)